



दून विश्वविद्यालय, देहरादून की प्रथम परिनियमावली, 2009

यू0जी0सी0 अधिनियम दिनांक 30 जून 2010 की धारा 5.0.0, 5.1.2 एवं 5.1.3 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति महोदय के अनुमोदन पत्र संख्या 418/ जी0एस0/शिक्षा/ C6-2/2011 दिनांक 04 मई 2011 के उपरान्त प्रथम संशोधन।

तथा

शासनादेश सं0 1424/XXIV(4)/2019-01(28)/2016 दिनांक 06.09.2019 के क्रम में विश्वविद्यालय कार्य परिषद की संस्तुति एवं कुलाधिपति के अनुमोदन (2502जी0एस0(शिक्षा)/ c6-2/2011 दिनांक 03 अक्टूबर 2022) के द्वारा द्वितीय संशोधन।

दून विश्वविद्यालय, देहरादून
की प्रथम परिनियमावली, 2009

प्रकाशक— कुलसचिव कार्यालय

दूरभाष— 0135—2533136

मूल्य— रू०150/-

प्रतियाँ— 100

दून विश्वविद्यालय
मोथरॉवाला रोड़, केदारपुर
पो०ओ० अजबपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड।

क्रम सं०	विषय	पेज न०
1	संक्षिप्त शीर्ष और प्रारम्भ	1
2	परिभाषाएं	1
3	कुलपति	3
4	कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य	4
5	प्रति-कुलपति	4
6	संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता)	5
7	कुलसचिव: कर्तव्य	6
8	वित्त अधिकारी, उसकी शक्तियां एवं कृत्य	7
9	विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी	7
10	विश्वविद्यालय के प्राधिकारी	10
11	सभा: कृत्य एवं शक्तियां	10
12	कार्य परिषद: कृत्य एवं शक्तियां	10
13	वित्तसमिति	12
14	शैक्षिक (विद्वत्) परिषद: कृत्य एवं शक्तियां	13
15	स्कूल संकाय परिषद: कृत्य एवं शक्तियां	16
16	स्कूल	17
17	अध्ययन केन्द्रों का संगठनात्मक स्वरूप	19
18	अध्ययन केन्द्र	19
19	प्रभाग का अध्यक्ष	19
20	अध्ययन केन्द्र का अध्यक्ष	20
21	शिक्षकों का वर्गीकरण	20
22	कर्मचारियों की श्रेणियां	21
23	नियुक्तियां	21
24	सेवा की शर्तें और निबन्धन	31
25	कर्मचारी का हटाया जाना	32
26	अधिभार	33
27	विश्वविद्यालय परामर्शी समिति	34
28	विश्वविद्यालय के परिसर/परिसरों में अनुशासन का अनुरक्षण	34
29	महाविद्यालय/संस्थानों की संबद्धता	34
30	स्कूल सोसाइटी और विश्वविद्यालय छात्र परिषद	36
31	पूर्वछात्र संगम संगठन	37
32	मुख्य छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक, सहायक छात्रावास अधीक्षक	37
33	छात्र परामर्श पद्धति और छात्र चिन्ही करण संख्या	38

34	परामर्शी एवं व्यावसायिक सेवाएँ	38
35	सेवानिवृत्ति की आयु	39
36	अवकाश नियम	39
37	भविष्य निधि	43
38	सेवा निवृत्तिक उपादान	43
39	यात्रा एवं अन्य भत्ते	44
40	डिग्री और डिप्लोमा का प्रदान किया जाना	45
41	अध्येयतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक तथा अन्य पुरस्कार	46
42	अध्यादेश	46
43	विनियम	46
43 (1)	व्याप्ति	48
43 (2)	वेतनमान, वेतन निर्धारण और अधिवर्षता आयु	49
43 (3)	नियुक्ति और अर्हताएं	49
43 (4)	सीधी भर्ती/अर्हतायें	52
43 (5)	चयन समिति का गठन और चयन प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देश	71
43 (6)	चयन प्रक्रिया	73
43 (7)	विश्वविद्यालय के सम कुलपति/कुलपति का चयन:	81
43 (8)	इतर कार्यार्थ छुट्टी, अध्ययन छुट्टी, सबैटिकल छुट्टी तथा अन्य प्रकार की छुट्टियाँ	82
43 (9)	शोध संवर्धन अनुदान	83
43 (10)	सी.ए.एस. के अन्तर्गत सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु पिछली सेवाओं की गणना	83
43 (11)	परिवीक्षा और स्थायी करण की अवधि	84
43 (12)	शिक्षकों के पदों का सृजन और उन का भरा जाना	84
43 (13)	परिशिष्ट आधार पर नियुक्तियाँ	85
43 (14)	शिक्षण दिवस	85
43 (15)	कार्यभार	86
43 (16)	सेवा करार और वरिष्ठता का निर्धारण करना	86
43 (17)	व्यावसायिक आचार संहिता	87
43 (18.0)	उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में मानकों को बनाए रखना	93
43 (18)	अनुदान	94
43 (19.1)	पीएचडी./एम.फिल और अन्य उच्चतर शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार।	94
43 (19.2)	पदोन्नति	94
43 (19.3)	वेतन और भत्ते	95

उत्तराखण्ड शासन

शिक्षा अनुभाग-6

दून विश्वविद्यालय, केदारपुर, देहरादून की प्रथम परिनियमावली, 2009

अधिसूचना

28 अप्रैल, 2009 ई0

संख्या 142/xxiv(6)/2009 – दून विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा 23 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, दून विश्वविद्यालय के संचालन हेतु निम्नलिखित प्रथम परिनियम बनाते हैं-

1- संक्षिप्त शीर्ष और प्रारम्भ [धारा 23 (1)]-

1. इस परिनियमावली का संक्षिप्त शीर्षक दून विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2009 है।
2. यह परिनियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2- परिभाषाएं-

इन परिनियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (क) 'शैक्षिक क्रिया कलाप' से विश्वविद्यालय के शिक्षण, शोध, ज्ञान/सूचना का प्रसार अभिप्रेत है,
- (ख) 'अधिनियम' से दून विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;
- (ग) 'केन्द्र' से विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री प्रदान किए जाने के लिए शैक्षिक गतिविधियाँ निष्पादन करने हेतु स्थापित शैक्षिक केन्द्र/अध्ययन केन्द्र अभिप्रेत है;
- (घ) 'अध्यक्ष' से विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा नियुक्त प्राधिकरण को अध्यक्ष और केन्द्र अथवा प्रभाग अध्यक्ष अभिप्रेत है;

- (ड.) 'कुलाधिपति', 'कुलपति', 'प्रति-कुलपति', 'कुलसचिव' और 'वित्त अधिकारी' से क्रमशः विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति, प्रति-कुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी अभिप्रेत है;
- (च) 'मुख्य छात्रावास अधीक्षक', 'छात्रावास अधीक्षक' और 'सहायक छात्रावास अधीक्षक' से क्रमशः विश्वविद्यालय के छात्रावास के मुख्य छात्रावास अधीक्षक छात्रावास अधीक्षक और सहायक छात्रावास अधीक्षक अभिप्रेत है;
- (छ) संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) से विश्वविद्यालय के अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) अभिप्रेत है;
- (ज) 'संकाय विकास समिति' से संकाय की विकास समिति अभिप्रेत है;
- (झ) 'संकाय चयन समिति' से संकाय की चयन समिति अभिप्रेत है;
- (ञ) 'छात्रावास' से विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए आवास अभिप्रेत है;
- (ट) विश्वविद्यालय के 'अधिकारी', 'प्राधिकारी', 'कोर्ट (सभा), कार्य परिषद्', 'शैक्षिक (विद्वत्) परिषद्' और 'संकाय' से क्रमशः विश्वविद्यालय के अधिकारी, प्राधिकारी, सभा, कार्य परिषद्, शैक्षिक (विद्वत्) परिषद् और संकाय अभिप्रेत हैं;
- (ठ) 'विहित' से अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों, और विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ड) 'आचार्य/प्राध्यापक', 'सह-आचार्य/सह प्राध्यापक', 'सहायक आचार्य/सहायक प्राध्यापक' से विश्वविद्यालय के अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप नियुक्त प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक अभिप्रेत हैं;
- (ढ) 'स्कूल संकाय परिषद्' से स्कूल का संकाय परिषद् अभिप्रेत है;
- (ण) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (त) 'विश्वविद्यालय' से दून विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;
- (थ) 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है।

3- कुलपति (धारा-11)-

- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा, जो तीन वर्ष की अवधि के लिए पदभार ग्रहण करेगा;
- (2) कुलपति का वेतनमान ऐसा होगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाये और वह ऐसे भत्ते प्राप्त करेगा, जैसे विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों को अनुमन्य होंगे:

परन्तु यह कि कुलपति की सेवाओं की शर्तों एवं निबंधनों में उसकी कार्यवधि में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि यदि किसी मामले में कुलपति पेंशनधारी हो या पेंशन पाने के लिए अर्ह हो तो उसकी परिलब्धियां राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएंगी।
- (3) कुलपति को निःशुल्क सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका रखरखाव विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
- (4) कुलपति को अनुमन्य यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते ऐसे होंगे, जैसे कार्य परिषद् द्वारा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अवधारित किये जाएं। वह निःशुल्क चिकित्सा सुविधा और उत्तराखण्ड सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर यथा संशोधित शर्तों और दरों पर विश्वविद्यालय के चिकित्साधिकारी की संस्तुति पर बाह्य चिकित्सकीय सहायता के लिए संदर्भित किए जाने पर चिकित्सा मूल्य के समतुल्य प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा।
- (5) कुलपति, विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों को अनुमन्य अवकाश के अनुरूप अवकाश प्राप्त करने को हकदार होगा।
- (6) यदि कुलपति तीन माह से कम की अवधि, के लिए किसी भी कारणवश अवकाश पर हो तो वह प्रति-कुलपति, यदि उपलब्ध हो, या विश्वविद्यालय के संकाय में से योग्य वरिष्ठतम सदस्य अथवा संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) को कुलपति के पद पर नियुक्त करेगा।
- (7) यदि किसी मामले में कुलपति के तीन माह से अधिक अवकाश या उसके अवकाश की अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी कारण से कार्यभार ग्रहण न किया गया हो, या ऐसी रिक्ति, जिसे शीघ्रता से नहीं भरा जा सके, तो कुलाधिपति छः माह की अवधि या कुलपति के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख तक, इसमें जो भी कम हो, के लिए विश्वविद्यालय में प्रति-कुलपति या वरिष्ठतम संकायाध्यक्ष को नियुक्त कर

सकता है। कुलाधिपति ऐसे मामले में कुलपति की नियुक्ति को अवधि को विस्तारित कर सकता है, परन्तु ऐसी नियुक्ति की कुल अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4- कुलपति की शक्तियाँ और कर्तव्य [धारा 11 (6)]-

- (1) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षिक अधिकारी होगा और सम्पूर्ण शैक्षिक तथा व्यवसायिक गतिविधियों, अनुशासन और दक्षता की प्रगति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) कुलपति, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् और शैक्षिक (विद्वत्) परिषद् की बैठकें अध्यक्ष के रूप में आहूत करेगा।
- (3) कुलपति, विश्वविद्यालय में कुलाधिपति की अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।
- (4) कुलपति, विश्वविद्यालय के आय-व्ययक, लेखा विवरण एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्ट विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (5) आपात स्थिति घटित होने में, परन्तु अपेक्षित कार्यवाई के लिए कुलपति अपनी ओर से ऐसी कार्यवाई जैसा आवश्यक हो, कर सकेगा और वह अधिकारी/अधिकारियों या प्राधिकारी/प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाई किए जाने के प्रत्याशा में निर्णय ले सकेगा।
- (6) कुलपति नियुक्तियों, निलम्बन, पदच्युति या संकाय के सदस्यों, अधिकारियों या कर्मचारियों, जिनके लिए कार्य परिषद् नियुक्ति प्राधिकारी है, के सम्बन्ध में कार्य परिषद् के निर्देशों को प्रभावी करेगा।
- (7) कुलपति, कार्य परिषद् के परामर्श के उपरान्त, विश्वविद्यालय में प्रत्येक शाखा के लिए संकाय चयन समिति/समितियों को नियुक्तियों को सुनकर बनाने के लिए उपलब्ध विशेषज्ञों में से पाँच विशेषज्ञों का एक पैनल राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा। पैनल तीन वर्षों की अवधि के लिए मान्य रहेगा।
- (8) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसा कि विहित किया जाए।

5- प्रति-कुलपति (धारा 12)-

- (1) प्रति-कुलपति की नियुक्ति स्कूलों के संकायाध्यक्षों/केन्द्रों के निर्देशकों/विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों में से की जायेगी।

- (2) प्रति-कुलपति की नियुक्ति की अवधि कुलपति अवधि के साथ ही समाप्त हो जायेगी।
- (3) प्रति-कुलपति को निःशुल्क सुविधाओं युक्त आवास उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) प्रति-कुलपति, कुलपति द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट कार्यों में सहायता करेगा एवं ऐसी अन्य शक्तियों और दायित्वों का निर्वहन करेगा, जैसे कुलपति द्वारा सौंपे जाएं।

6- संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) (धारा 13)-

- (1) संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) इस प्रयोजनार्थ गठित चयन समिति की संस्तुति पर कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उसकी कार्यावधि तीन वर्ष होगी, जिसे तीन वर्ष के लिए अगली कार्यावधि हेतु कुलपति द्वारा विशेष परिस्थितियों में विस्तारित किया जा सकेगा।
- (2) संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) संबंधित स्कूल का प्रधान संकायाध्यक्ष होगा और कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा;

परन्तु, यह कि जब संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) का पद रिक्त हो या किसी कारण से वह दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम हो तो उसके पद का कार्यभार ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्वहन किया जायेगा, जिसे कुलपति द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किया जाए।

(3) स्कूल का संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता)-

- (क) स्कूल में शिक्षण तथा शोध क्रियाकलापों के संचालन तथा सामान्य आयोजन के लिए उत्तरदायी होगा;
- (ख) शैक्षणिक कार्यक्रमों और संबंधित स्कूल की नीतियों को बनाएगा;
- (ग) स्कूल में अपेक्षित शैक्षणिक और प्रशासनिक मानकों में रखरखाव को सुनिश्चित करेगा;
- (घ) परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में उपबन्धित प्राविधानों के अधीन अनुशासन और उपयुक्त अनुपालन सुनिश्चित करेगा;
- (ङ) स्कूल संकाय परिषद् का अध्यक्ष होगा;
- (च) स्कूल में शिक्षण प्रगति का अनुश्रवण और स्कूल द्वारा दिए गए पाठ्यक्रमों में छात्रों की उपलब्धि की प्रस्थापना करेगा;

- (छ) स्कूल में शोध गतिविधियों की प्रगति और विभिन्न कालिक शोध कार्यक्रमों की प्रगति का अनुश्रवण करेगा;
- (ज) स्कूल के शिक्षण और क्रियाकलापों को नियत क्षेत्र में जानकारी के प्रसार की सुविधा उपलब्ध करायेगा;
- (झ) स्कूल का बजट तैयार करेगा, शिक्षकों के अवकाश, व्यवहारिक बैठकें, सम्मेलन, सेमिनार में शिक्षकों को प्रतिभाग करने हेतु तदनुसार अनुमति प्रदान करेगा;
- (ञ) समय-समय पर स्कूल के शिक्षण अन्य क्रियाकलापों के बारे में कुलपति को सूचना देगा;
- (ट) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और जनसामान्य से सम्पर्क बनाने के लिए मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य करेगा; और
- (ठ) कुलपति द्वारा समय-समय पर निर्देशित अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

7- कुलसचिव: कर्तव्य (धारा 14)-

- (1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। कुलसचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसे परिनियम 23 के खण्ड (8) में विहित है।
- (2) कुलसचिव-
- (क) सभा, कार्य परिषद् तथा शैक्षिक (विहित) परिषद् का पदेन सचिव होगा;
- (ख) विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रवेश, और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का संचालन तथा छात्रों को परीक्षाफल रिपोर्ट जारी करने के लिए उत्तरदायी होगा;
- (ग) विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा;
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री तथा डिप्लोमा की पंजी का रख-रखाव करेगा;
- (ङ) विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातकों की एक पंजी का रख-रखाव करेगा;

(च) शैक्षिक कलैण्डर तैयार करेगा और शैक्षिक विनियमों/अध्यादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएगा, और

(छ) विश्वविद्यालय की ओर से विधिक मामलों पर कार्यवाही करेगा।

(3) कुलसचिव की अनुपस्थिति में, कुलपति किसी व्यक्ति को कुलसचिव के कर्तव्यों में निर्वहन के लिए नियुक्त कर सकता है।

8- वित्त अधिकारी, उसकी शक्तियां एव कृत्य (धारा 15)-

(1) वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। वित्त अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी परिनियम 23 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ख) में विहित है।

(2) वित्त अधिकारी की अनुपस्थिति में, कुलपति किसी व्यक्ति को वित्त अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त कर सकता है।

(3) वित्त अधिकारी-

(क) विश्वविद्यालय की सम्पूर्ण सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा;

(ख) कार्य परिषद् द्वारा गठित समितियों के अभिलेखों का रख-रखाव और बैठकों हेतु सूचना पत्र जारी करेगा;

(ग) कार्य परिषद् के पदीय पत्र-व्यवहार का संचालन करेगा; और

(घ) कुलपति द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(4) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय का बजट तैयार करेगा और लेखा से संबद्ध समस्त विवरणों का रख-रखाव करेगा।

(5) वित्त अधिकारी कार्य परिषद् में बिना मताधिकार के विशिष्ट आमन्त्रित के रूप में प्रतिभाग करेगा।

9- विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी (धारा 9)-

(1) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी निम्नवत होंगे:-

(क) अधिष्ठाता छात्र कल्याण;

(ख) मानव संसाधन अधिकारी;

(ग) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष;

(क) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,

(1) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। अधिष्ठाता छात्र कल्याण की नियुक्ति प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी इन परिनियम 23 के खण्ड (8) में विहित है।

(2) अधिष्ठाता छात्र कल्याण—

(एक) छात्रों के लिए आवासीय एवं भोजन की सेवाओं की व्यवस्था करेगा,

(दो) विश्वविद्यालय में साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रिया-कलापों का आयोजन करेगा।

(तीन) विश्वविद्यालय में खेल और अन्य आमोद-प्रमोद क्रिया-कलापों का आयोजन करेगा,

(चार) छात्रों के लिए परामर्श कार्यक्रमों का आयोजन करेगा,

(पाँच) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए स्कूल/संकाय स्तर पर पदस्थापना में सहायता प्रदान करने हेतु आयोजन करेगा,

(छः) पूर्व छात्र संगम के क्रियाकलापों का आयोजन करेगा,

(सात) विश्वविद्यालय के छात्रों के अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा,

(आठ) विश्वविद्यालय की केन्द्रीय अनुशासन समिति का सदस्य सचिव होगा,

(नौ) विश्वविद्यालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करेगा,

(दस) छात्रों को छात्रवृत्ति, अध्ययेतावृत्ति और अन्य वित्तीय सहायता के संवितरण का पर्यवेक्षण करेगा,

(ग्यारह) छात्रों के लिए यात्रा की व्यवस्था करेगा, और

(बारह) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसे कुलपति द्वारा सौंपे जाएं।

(ख) मानव संसाधन अधिकारी—

(1) मानव संसाधन अधिकारी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। मानव संसाधन अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिनियम 23 के खण्ड (8) में विहित है।

(2) मानव संसाधन अधिकारी—

(एक) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों सहित वर्गीकृत पंजी का रख-रखाव करेगा,

(दो) विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी करेगा और सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया का आयोजन करेगा।

(तीन) विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों की छंटनी और चयन समिति की बैठकों का आयोजन करेगा।

(चार) चयन समिति की संस्तुतियों को कुलपति/कार्य परिषद् को प्रस्तुत करेगा, और नियुक्ति पत्र जारी करेगा,

(पाँच) विश्वविद्यालय से संबंधित कर्मचारियों को नियंत्रित करेगा,

(छः) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा, और

(सात) कुलपति द्वारा सौंपे गए अन्य मामलों का व्यवहरण करेगा।

(ग) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष—

(1) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष, विश्वविद्यालयका पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी परिनियम 23 के खण्ड (8) में विहित है।

(2) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष—

(एक) विश्वविद्यालय पुस्तकालय का रख-रखाव करेगा,

(दो) संकायों और छात्रों के लिए पुस्तकालय की सेवाओं का आयेजन करेगा,

(तीन) विश्वविद्यालय पुस्तकालय का बजट तथा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, और

(चार) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि कुलपति द्वारा निर्देशित किया जाए।

10- विश्वविद्यालय के प्राधिकारी (धारा 17)-

सभा, कार्य परिषद् और शैक्षिक (विद्वत) परिषद् स्कूल संकाय परिषद् के अतिरिक्त प्रत्येक अध्ययन केन्द्र विश्वविद्यालय के प्राधिकारी भी गठित करेंगे।

11- सभा: कृत्य एवं शक्तियां (धारा 18)-

(1) सभा का सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्यता धारण करेगा:

परन्तु, यह कि पदेन सदस्य सभा की सदस्यता उसकी अधिवर्षता पर या उसके कार्यकाल की समाप्ति पर, जिसके लिए वह सभा का सदस्य बना है, सदस्य नहीं रह जाएगा,

(2) कुलाधिपति की अध्यक्षता में कार्य परिषद् द्वारा वर्ष में एक बार नियत तिथि को सभा की बैठक होगी। सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व बैठक में उपस्थित होने की सूचना प्रेषित की जाएगी और दस सदस्य गणपूर्ति करेंगे।

(3) सभा कार्य परिषद् की कार्यवाही, विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती वर्ष की उपलब्धि तथा विश्वविद्यालय की भविष्य की योजनाओं पर विचार करेगी,

(4) सभा, विश्वविद्यालय के सम्प्रेषित तुलन-पत्र और अपेक्षित आय-व्ययक पर विचार करेगी।

(5) सभा, सभा के सदस्यों में से किसी रिक्ति को भर सकेगी,

(6) यदि किसी मामले में राय भिन्न हो तो बहुमत की राय अभिभावी होगी।

(7) विश्वविद्यालय का कुलसचिव सभा का सचिव होगा।

12- कार्य परिषद: कृत्य एवं शक्तियां (धारा 19)-

(1) कार्य परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा:

परन्तु, यह कि पदेन सदस्य की सदस्यता अधिवर्षता या पद से त्याग पत्र देने पर, जिससे वह परिषद् का सदस्य बना है, से समाप्त हो जाएगी।

- (2) कार्य परिषद् के एक तिहाई सदस्य यथाशक्य प्रतिवर्ष सेवा निवृत्त होंगे।
- (3) विश्वविद्यालय का कुलसचिव कार्य परिषद् गैरसदस्यीय सचिव होगा।
- (4) स्कूल के दो संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) कार्य परिषद् में नामित होंगे, जिनमें से एक विज्ञान और तकनीकी का दूसरा मानविकी और अन्य अध्ययन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेगा।
- (5) विश्वविद्यालय का वरिष्ठतम प्राध्यापक कार्य परिषद् का सदस्य होगा, परन्तु यह कि उसकी अवधि समाप्त होने पर दूसरा वरिष्ठतम प्राध्यापक परिषद् में नामित होगा। कोई प्राध्यापक दो लगातार अवधि के लिए कार्य परिषद् का सदस्य नहीं हो सकेगा।
- (6) कार्य परिषद्—
- (एक) संकाय स्तर के पदों के संबंध में यथा नियमित संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता), प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक के लिए गठित चयन समिति की संस्तुति पर नियुक्तियों का अनुमोदन करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी होगी। परिषद् विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्तियां जिनका वेतनमान का अधिकतम रु0 13500 /— है, के खुले चयन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित पदों पर नियुक्ति का अनुमोदन भी करेगी। संविदा संकाय के मामले में कुलपति द्वारा की गई नियुक्तियों के बारे में कार्य परिषद् को सूचित किया जायेगा।
- (दो) राज्य सरकार के अनुमोदन से प्रशासनिक और लिपिकीय पदों का सृजन करेगी, और
- (तीन) विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति का विनियमन और अनुश्रवण करेगी।
- (7) कार्य परिषद् राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय की ओर से जंगम सम्पत्ति के अन्तरण के लिए अधिकृत कर सकती है।
- (8) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की ओर से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार देश या विदेश में किसी संस्था के साथ की गई किसी संविदा या करार को निरस्त, उपान्तरित या निर्णीत कर सकती है।
- (9) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की सामान्य मोहर का चयन/अनुमोदन करेगी।
- (10) कार्य परिषद् की बैठक में गणपूर्ति उपस्थित सदस्यों की एक-तिहाई होगी।

13- वित्त समिति (धारा 22)-

(1) वित्त समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी:-

- | | |
|--|-----------|
| (एक) कुलपति | - अध्यक्ष |
| (दो) उच्च शिक्षा विभाग में राज्य सरकार का प्रमुख सचिव अथवा उसका नाम निर्देशिती | -सदस्य |
| (तीन) वित्त विभाग में राज्य सरकार का प्रमुख सचिव अथवा उसका नाम निर्देशिती | -सदस्य |
| (चार) कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट कार्य परिषद् के दो सदस्य | -सदस्य |
| (पाँच) विश्वविद्यालय वित्त अधिकारी | - सदस्य |

- (2) वित्त समिति, कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों के प्रशासन से संबद्ध विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय और साधनों को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और विशेष कारणों से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकती है और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद् पर आबद्धकर होगी।
- (3) वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए विनियमों द्वारा उसे प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किये जायें।
- (4) जब कि वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा सिफारिश न की जाय, कार्य परिषद् उस पर कोई विनिश्चय नहीं करेगी और यदि कार्य परिषद् वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो वह निर्दिष्ट प्रस्ताव को अपनी असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापस करेगी और यदि कार्य परिषद् पुनः वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिनका विनिश्चय अन्तिम होगा।
- (5) वित्त समिति की बैठक में गणपूर्ति समिति के तीन सदस्यों द्वारा होगी।

14- शैक्षिक (विद्वत्) परिषदः कृत्य एवं शक्तियां (धारा 20)-

(1) शैक्षिक (विद्वत्) परिषद निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी:-

(एक) कुलपति जो शैक्षिक (विद्वत्) परिषद का अध्यक्ष होगा,

(दो) संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) स्कूल,

(तीन) प्रभाग का सभापति,

(चार) अध्ययन केन्द्रों के सभापति,

(पाँच) प्रत्येक स्कूल से वरिष्ठता के आधार पर चक्रीय क्रम में प्रति वर्ग से एक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक-प्राध्यापक मनोनीत सदस्य, और

(छः) विश्वविद्यालय में प्रत्येक स्कूल संकाय परिषद के सचिव,

(2) शैक्षिक (विद्वत् परिषद) के पदेन सदस्य निम्नलिखित होंगे:-

(एक) वित्त अधिकारी,

(दो) अधिष्ठाता छात्र कल्याण,

(तीन) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष,

(घ) मानव संसाधन अधिकारी, और

(ङ) विहित अवधि के लिए कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय का अन्य कोई अधिकारी।

(3) कुलसचिव शैक्षिक (विद्वत्) परिषद का सचिव होगा।

(4) कुलपति की संस्तुति पर शैक्षिक (विद्वत्) परिषद में प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय में नियुक्त न हों, विश्वविद्यालय की समृद्धि के लिए सहयोजित कर सकेंगे, तथापि विश्वविद्यालय में ऐसे विशेषज्ञों की संख्या विद्यमान स्कूलों की संख्या से अधिक नहीं होगी। ऐसे सदस्यों को शैक्षिक (विद्वत्) परिषद में मत देने का अधिकार नहीं होगा और उनके पद की शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कुलपति द्वारा विहित की जाएं।

- (5) शैक्षिक (विद्वत) परिषद्, शैक्षिक सत्र में न्यूनतम चार बैठकें उसके कार्य-संव्यवहार के लिए आयोजित करेगी।
- (6) कुलपति द्वारा कभी भी शैक्षिक (विद्वत) परिषद् की विशेष बैठक का आयोजन किया जा सकेगा या परिषद् के एक तिहाई सदस्यों के अनुरोध पर 10 दिन पूर्व सूचना पर बैठक की जा सकेगी।
- (7) शैक्षिक (विद्वत) परिषद् विशिष्ट मामलों में, अपेक्षित कार्यवाही किए जाने के लिए संस्तुतियां प्रदान किए जाने हेतु अल्पकालिक और सशक्त समितियों का गठन कर सकती है। ऐसी समितियों की संस्तुतियां अनुमोदन और उसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कुलपति को अग्रसारित की जाएंगी। संस्तुतियां शैक्षिक (विद्वत) परिषद् की आगामी बैठक में अनुमोदन के लिए भी रखी जाएंगी।
- (8) शैक्षिक (विद्वत) परिषद्:-
- (क) विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की अपेक्षानुसार प्रदेश और पाठ्यक्रम,
 - (ख) प्रवेश परीक्षाओं और मंत्रणा का आयोजन,
 - (ग) शिक्षा नीति,
 - (घ) विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों और वाह्य संस्थाओं/संगठनों के मध्य कार्यक्रमों में सहयोग,
 - (ङ) शैक्षिक और शोध कार्यक्रमों के संबंध में स्कूलों या अध्ययन केन्द्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण,
 - (च) विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्रों को संस्थित किए जाने के लिए पाठ्यक्रम कार्यक्रम और पाठ्यविवरण तैयार करना,
 - (छ) छात्रवृत्तियां, अध्ययेता वृत्तियों, पुरस्कारों, पदकों आदि को संस्थित करना,
 - (ज) उपाधि और मानद् उपाधि को प्रदान करना और दीक्षान्त समारोह का आयोजन,
 - (झ) विश्वविद्यालय के छात्रों से शुल्क लेना,

(ज) प्रश्नपत्रों के निर्धारकों, अनुसीमकों और अन्य लोगों को संदाय किये जाने वाले मानदेय और परीक्षाओं का सामान्य संचालन/मंत्रणा तथा अन्य ऐसे विषयों के लिए ली गई सेवाओं का भुगतान,

(ट) विश्वविद्यालय में विभिन्न शैक्षिक स्तरों में अपेक्षित नियुक्तियों और पदोन्नतियों की अर्हताएं, एवं

(ठ) स्कूलों की स्थापना/बन्द करना, संविलीन या पुनर्संविलीन केन्द्रों आदि में विभाजित करना, और छात्रों और संकायों से संबंधित किसी अन्याय मामलों में और शैक्षिक हितों के अन्य मामलों में और शैक्षिक हितों के अन्य मामलों में निर्णय ले सकती है।

(9) शैक्षिक (विद्वत्) परिषद्, विभिन्न उपाधियों और डिप्लोमा के लिए अभ्यर्थियों का अनुमोदन जारी करेगी और दीक्षान्त समारोह में मानद उपाधियों के लिए अभ्यर्थियों की संस्तुति कार्य परिषद् को करेगी।

(10) यदि शैक्षिक परिषद् का यह समाधान हो जाए कि ऐसे निर्णय को प्रभावी करने हेतु पर्याप्त कारण विद्यमान हैं तो शैक्षिक (विद्वत्) परिषद् किसी व्यक्ति को संस्थित की गई डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र, पुरस्कार मानद या विशिष्टताएं प्रत्याहरित करने का निर्णय ले सकती है।

(11) शैक्षिक (विद्वत्) परिषद्, पाठ्यक्रम और पाठ्येत्तर समिति, केन्द्रीय अनुशासन समिति, शैक्षिक नीति समिति और पुस्तकालय परामर्श समिति के लिए एक शैक्षिक वर्ष की अवधि के लिए विभिन्न समितियां गठित करेगी। शैक्षिक (विद्वत्) परिषद् पाठ्यक्रम एवं पाठ्येत्तर समिति, केन्द्रीय अनुशासन समिति और शिक्षा नीति समिति का अध्यक्ष भी चुनेगी।

(क) पाठ्यक्रम एवं पाठ्येत्तर समिति:-

(12) इस समिति की राय/आगम के लिए परिषद् द्वारा मामलों में पाठ्यक्रम एवं पाठ्येत्तर समिति अपनी संस्तुतियां शैक्षिक (विद्वत्) परिषद् को उपलब्ध करायेगी।

(ख) केन्द्रीय अनुशासन समिति:-

(13) इस समिति का सदस्य विश्वविद्यालय के प्रत्येक स्कूल से प्राध्यापक के पद की श्रेणी से प्रथम निर्वाचन हेतु शैक्षिक (विद्वत्) परिषद् से लिया जायेगा। अधिष्ठाता छात्र कल्याण समिति का सचिव होगा।

(ग) शैक्षिक नीति समिति:-

- (14) इस समिति की सदस्यता विश्वविद्यालय के प्रत्येक स्कूल से वरिष्ठ संकाय सदस्य निर्वाचन हेतु शैक्षिक (विद्वत) परिषद् से लिया जाएगा। समिति शैक्षिक (विद्वत) परिषद् द्वारा उसे सन्दर्भित मामलों में अपनी संस्तुति उपलब्ध कराएगी।

(घ) पुस्तकालय परामर्शी समिति:-

- (15) यह समिति स्कूलों के संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता), वित्त अधिकारी, कुलसचिव, मानव संस्थान अधिकारी और शैक्षिक (विद्वत) परिषद् द्वारा प्रत्येक महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिये चुना गया एक सदस्य मिलकर गठित होगी। कुलपति अध्यक्ष और विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष समिति का सचिव होगा।

15- स्कूल संकाय परिषद्: कृत्य एवं शक्तियां (धारा 17 एवं 21)-

- (1) प्रत्येक स्कूल, स्कूल की योजनाओं, संगठन और विकास से संबंधित मामलों में निर्णय लेने हेतु एक स्कूल संकाय समिति का गठन करेगा। संकाय समिति समय-समय पर स्कूल के विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के क्रियाकलापों के पुनर्विलोकन और पाठ्यक्रम मामलों सहित शैक्षणिक कार्यक्रमों को जोड़ने, हटाने अथवा उपान्तरित करने के लिए निर्णय ले सकेगी।
- (2) स्कूल की स्कूल संकाय समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात:-
- (एक) संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) स्कूल,
- (दो) स्कूल के अध्ययन केन्द्र/केन्द्र प्रभागों के अध्यक्ष,
- (तीन) समस्त नियमित संकाय सदस्य,
- (चार) समस्त दीर्घकालिक परिदर्शक संकाय सदस्य,
- (पाँच) प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय के अन्य स्कूलों से शैक्षिक (विद्वत) परिषद् द्वारा निर्वाचित तीन सदस्य,
- (3) स्कूल संकाय परिषद् एक या दो छात्रों को जब कभी आवश्यकता हो, की राय से तथ्यों को प्रकाश में लाने के लिए आमंत्रित करने का विनिश्चय कर सकेगी।

- (4) स्कूल संकाय परिषद् की एक शिक्षा सत्र में न्यूनतम चार बैठकें होंगी।
- (5) संबंधित स्कूल का संकायध्यक्ष (अधिष्ठाता) स्कूल संकाय परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। संकाय के एक सदस्य को परिषद् का एक वर्ष के लिए सचिव के रूप में चुना जाएगा।
- (6) स्कूल संकाय परिषद् सभी शैक्षिक मामलों, जिनमें स्कूल के संगठनात्मक स्वरूप, विभिन्न छात्रों के कार्यक्रम, प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की अर्हता, अपेक्षित संकाय के अध्ययन केन्द्र/प्रभागों और उनकी अर्हता, अन्य संस्थान/विश्वविद्यालय/संगठन, शोध स्कूलों की पहचान और शोध का पुनर्विलोकन और निर्माण संक्रियाओं का विस्तार और मामलों में विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण के द्वारा इसकी राय के लिए स्कूल संकाय परिषद् को संदर्भित करेगी।
- (7) स्कूल संकाय परिषद् रिपोर्ट तैयार करने, विशिष्ट मामलों में संस्तुतियां देने अथवा अन्य किन्हीं विषयों के लिए इसकी समितियां नियुक्त कर सकेगी।

16- स्कूल-

(1) विश्वविद्यालय :-

- (क) पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन स्कूल,
- (ख) जनसंचार स्कूल,
- (ग) सामाजिक विज्ञान स्कूल,
- (घ) प्रबंधन स्कूल,
- (ङ) भौतिक विज्ञान स्कूल,
- (च) जीव विज्ञान स्कूल,
- (छ) तकनीकी स्कूल,
- (ज) डिजाइन स्कूल,
- (झ) भाषा स्कूल, एवं
- (ञ) अन्य कोई स्कूल, जिसे वह स्थापित करने का विनिश्चय करे, नियत तिथि से स्थापित कर सकता है।

- (2) कार्य परिषद् शैक्षिक (विद्वत्) परिषद् की संस्तुति से विश्वविद्यालय के किसी स्कूल को स्थापित, बन्द, विलीन, पुनर्विलीन, या पुनर्गठित जैसा आवश्यक समझे, कर सकेगी।
- (3) स्कूल का संगठनात्मक स्वरूप ऐसा होगा जैसा शिक्षक (विद्वत्) परिषद् द्वारा संस्तुत और कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाय।

- (4) प्रत्येक स्कूल, शैक्षिक (विद्वत) परिषद् को सूचित करके उसके प्रभावी कार्यों के लिए समय-सारणी समिति और अन्य समिति की स्थापना कर सकेगा। समय-सारणी समिति स्कूल द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए वर्षवार मुख्य समय-सारणी तैयार करेगी।

(क) संकाय विकास समिति: कृत्य-

- (5) प्रत्येक स्कूल संबंधित स्कूल के संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) और प्राध्यापक की श्रेणी को वरीयता देकर दो नियमित संकाय सदस्यों से एक संकाय विकास समिति गठित करेगा। समिति के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होंगे-

(क) नियमित/दीर्घकालिक अभ्यागत संकाय के अभ्यर्थियों के चयन के लिए छंटनी,

(ख) उच्च स्तर पर अगली नियमित प्रोन्नति के लिए अभ्यर्थियों की छंटनी,

(ग) मान्यता प्राप्त/अल्पकालिक अभ्यागत और सहायक संकाय का चयन,

(घ) नियमित/दीर्घकालिक अभ्यागत संकाय के कार्य और स्कूल की वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा, और

(ङ) संवैक्षित शोध प्रस्ताव/परियोजना बाह्य वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तुत करना।

(ख)- संकाय चयन समिति: कृत्य-

- (6) संकाय चयन समिति संबंधित स्कूल की संकाय विकास समिति के सदस्यों से गठित होगी, इसके अतिरिक्त बाह्य विषयों के विशिष्ट विशेषज्ञों द्वारा जैसा इस परिनियमावली के परिनियम 23 भाग (क) में विहित है, निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी।

(क) नियमित/दीर्घकालिक अभ्यागत संकाय का चयन,

(ख) नियमित संकाय का उन्नयन,

(ग) परीवीक्षा अवधि के पूर्ण होने पर स्थायीकरण/उत्तरवर्ती पदोन्नति हेतु कार्य का पुनर्विलोकन, और

(घ) नियमित संकाय का पंचवर्षीय कार्य पुनर्विलोकन।

17- अध्ययन केन्द्रों का संगठनात्मक स्वरूप [धारा 22 (च)]-

प्रत्येक स्कूल कार्य परिषद द्वारा क्रियात्मक तथा ढांचागत रूप से प्रभागों/या अध्ययन केन्द्रों में संगठित किया जा सकता है, जो शैक्षिक क्रियाकलापों और प्रशासन की प्राथमिक इकाई के रूप में कार्य करेंगे।

18- अध्ययन केन्द्र [धारा 22 (च)]-

- (1) शैक्षिक (विद्वत्) परिषद् शिक्षा और शोध की प्रगति के लिए स्कूलों में अध्ययन केन्द्रों की स्थापना कर सकती है।
- (2) विश्वविद्यालय, अध्ययन केन्द्रों में विशिष्ट क्षेत्रों के लिए स्वतन्त्र इकाई के रूप में जब-कभी आवश्यकता हो, स्थापित कर सकेगा।
- (3) प्रारम्भ में विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र निम्नलिखित होंगे:-
 - (क) लोकनीति के लिए केन्द्र (सामाजिक विज्ञान स्कूल)
 - (ख) हिमालयी अध्ययन के लिए केन्द्र (पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन स्कूल),
 - (ग) जैव प्रौद्योगिकी के लिए केन्द्र (जीव विज्ञान स्कूल),
 - (घ) सूचना तकनीकी के लिए केन्द्र (तकनीकी स्कूल)।

19- प्रभाग का अध्यक्ष [धारा 22 (च)]-

- (1) प्रभाग का अध्यक्ष सामान्यतः प्राध्यापक स्तर का होगा और शिक्षण संस्था, शोध और प्रभाग में अन्य शैक्षिक क्रियाकलापों के प्रति उत्तरदायी होगा:

परन्तु, यह कि जहां प्रभाग में कोई प्राध्यापक उपलब्ध न हो, नियमित अध्यक्ष के चयन होने तक प्रभाग के दायित्वों को वरिष्ठ संकाय सदस्य को सौंपा जा सकता है।
- (2) प्रभाग का अध्यक्ष कुलपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए इस निमित्त गठित चयन समिति की संस्तुति पर नियुक्त किया जाएगा। तीन वर्ष के दूसरे कार्यकाल का विस्तार कुलपति द्वारा किया जा सकता है।
- (3) प्रभाग का अध्यक्ष स्कूल के संकायध्यक्ष (अधिष्ठाता) के प्रति उत्तरदायी होगा और वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसे संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) द्वारा सौंपे जाएं।

20- अध्ययन केन्द्र का अध्यक्ष [धारा 22 (च)]-

- (1) स्कूल में प्रत्येक अध्ययन केन्द्र का एक अध्यक्ष होगा जो शिक्षण और शोध कार्यक्रमों के प्रतिपादन तथा समन्वय समस्त शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी होगा। जब तक वर्तमान में प्राध्यापक केन्द्र में न हो, केन्द्र का वरिष्ठ संकाय सदस्य, तब तक अध्यक्ष के उत्तरदायित्व चयनित अध्यक्ष की तरह कर सकेगा।
- (2) अध्यक्ष सामान्यतया तीन वर्ष की अवधि के लिए इन निमित्त गठित चयन समिति की संस्तुति पर कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में तीन वर्ष के दूसरे कार्यकाल का विस्तार कुलपति द्वारा किया जा सकता है।
- (3) प्रभाग का अध्यक्ष स्कूल के संकायध्यक्ष (अधिष्ठाता) के प्रति उत्तरदायी होगा और वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसे संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) द्वारा सौंपे जाए।

21- शिक्षकों का वर्गीकरण (धारा 20)-

- (1) विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति वर्गीकृत रूप में नियमित, संविदा के पद या 'मान्यता प्राप्त' से हो सकेगी, कार्य परिषद् जहां आवश्यकतानुसार वर्गीकरण में कुछ भी हो, उपान्तरित कर सकेगी,
- (2) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक-प्राध्यापक और जिसे उपयुक्त समझे शिक्षकों की नियुक्तियां कर सकेगी। नियुक्त शिक्षक विश्वविद्यालय के वेतनभोगी कर्मचारी होंगे।
- (3) अवैतनिक/अभ्यागत प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अभ्यागत विद्वान या प्रतिष्ठित प्राध्यापक शिक्षक भी नियुक्त होंगे।
- (4) कुलपति संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) की संस्तुति पर प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, या संविदा पर कोई अन्य पदनाम से शिक्षक नियुक्त कर सकता है। स्कूल में प्रथम नियुक्ति की दशा में, कुलपति संविदा पर शिक्षक/शिक्षकों/परामर्शियों की नियुक्ति के लिए खोज और चयन समिति का गठन कर सकता है। देश से बाहर के उच्च विशिष्टता प्राप्त व्यक्ति को उसकी अनुपस्थिति में संविदा पर नियुक्त करने के लिए विचार किया जा सकता है। ऐसी नियुक्तियों के संबंध में कार्य परिषद् को सूचित किया जायेगा।

- (5) विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त शिक्षक विश्वविद्यालय के बाहर मान्यता प्राप्त संस्था के स्टाफ सदस्य होंगे। ऐसे शिक्षक विश्वविद्यालय की शैक्षिक (विद्वत) परिषद् द्वारा अनुमोदित शैक्षिक पाठ्यक्रमों और शोध के कार्य में मार्गदर्शन हेतु नियुक्त किये जा सकते हैं। ऐसे शिक्षकों की मान्यता तब तक बनी रहेगी जब तक वे संबंधित मान्यता प्राप्त संस्था के कर्मचारी हैं।
- (6) कार्य परिषद् कुलपति या शैक्षिक (विद्वत) परिषद् के सन्दर्भित किए जाने पर शिक्षक से मान्यता वापस ले सकती है।
- (7) शिक्षकों की नियुक्ति के नियम इस प्रयोजनार्थ गठित चयन समिति की संस्तुति पर होगी जैसा कि परिनियमावली के परिनियम 23 के खण्ड (5) में प्राविधानित है।

22- कर्मचारियों की श्रेणियां (धारा 22)-

(1) विश्वविद्यालय में कर्मचारियों/कार्मिकों की निम्नलिखित श्रेणियां हो सकती हैं :-

- (क) शैक्षिक कर्मचारी: संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता), केन्द्र/प्रभाग के अध्यक्ष, प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक-प्राध्यापक, अभ्यागत विद्वान, अवैतनिक प्राध्यापक, प्रतिष्ठित प्राध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष और अन्य कोई व्यक्ति, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक कर्मचारी के रूप में पदाभिहित किया जाए।
- (ख) तकनीकी कर्मचारी: अभियन्ता, पुस्तकालय तकनीशियन, पुस्तकालय सहायक, चालक, दूरभाष संचालक, कम्प्यूटर संचालक, खेल अनुदेशक/प्रशिक्षक फार्मासिस्ट, नर्स और कोई अन्य व्यक्ति, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी कर्मचारी के रूप में पदाभिहित किया जाए।
- (ग) प्रशासनिक और सहयोगी कर्मचारी: कुलसचिव, वित्त अधिकारी, मानव संसाधन अधिकारी, भण्डार और क्रय अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, खेल अधिकारी, कुलपति का निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, कार्यालय सहायक, भण्डार प्रभारी, परिचर, सुरक्षा रक्षक और कोई अन्य व्यक्ति जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासनिक कर्मचारी के रूप में पदाभिहित किया जाए।

23- नियुक्तियां (धारा 16 एवं धारा 22)-

- (1) विश्वविद्यालय में समस्त नियुक्तियां योग्यता के आधार पर की जाएंगी जैसा कि विद्वत परिषद्/ विश्वविद्यालय द्वारा मार्गदर्शन अवधारित किए गए हों, संकाय के वरिष्ठ पदों की स्थिति में नियुक्तियां विशेष रूप से शिक्षण, शोध,

संगठनात्मक/नेतृत्व के गुण योग्यता और व्यावसायिक/सामाजिक विकास के लिए योगदान के आधार पर होगी।

- (2) अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अन्यत्र श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार दिया जायेगा।
- (3) संकाय में शिक्षकों की समस्त नियुक्तियां इन परिनियमों के प्रावधानों के अधीन न्यूनतम देश के तीन व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्रों में रिक्तियां विज्ञापित कर दी जाएंगी। शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्तियाँ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियानुसार की जायेगी।
- (4) नियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में कार्य परिषद् को संस्तुति की जाएगी। 'समस्त नियुक्तियों' और मान्यता प्राप्त शिक्षकों के संदर्भ में कार्य समिति को चयन समिति की संस्तुतियां अग्रसारित करने के लिए प्ररूप विहित किया जाएगा, परन्तु यह कि विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त शिक्षक के रूप में उच्च शैक्षिक स्तर के व्यक्ति को जिसका शिक्षण और शोध में सहयोग हो, वैयक्तिक साक्षात्कार में आमंत्रित किए बिना नियुक्त कर सकता है मान्यता प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शर्तें और निबन्धन विहित किए जाएंगे।

(क) शिक्षकों के चयन लिए समिति—

- (5) कुलपति निम्नलिखित शैक्षिक कर्मचारियों का चयन करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष होगा, परन्तु यदि वह किसी कारण चयन समिति की बैठक में उपस्थित रहने में असमर्थ रहता है, तो यह कि वह सम्बद्ध स्कूल के संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) को यह प्राधिकार प्रतिनिधायन कर सकता है। संकाय चयन समिति, संबंधित स्कूल के शिक्षकों के चयन हेतु अपनी संस्तुति देगी:

* (क) संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता)—

(एक) विश्वविद्यालय में कुलपति द्वारा नामित स्कूल का संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता),

(दो) कुलपति द्वारा नामित सम्बन्धित शाखा/विषय के दो विशेषज्ञ:

परन्तु किसी भी कारण वश संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) की नियमित नियुक्ति न हो पाने तक कुलपति शाखा/विषय से सम्बन्धित वरिष्ठतम अध्यक्ष को अधिकतम एक वर्ष के लिए नियुक्त कर सकेगा।

* (ख) अध्ययन केन्द्र/प्रभाग के अध्यक्ष—

(एक) संबद्ध स्कूल का संकायाध्याक्ष (अधिष्ठाता),

(दो) कुलपति द्वारा नामित सम्बद्ध स्कूल के दो वरिष्ठतम आचार्य:

परन्तु यदि वरिष्ठ आचार्य उपलब्ध न हो तो शाखा/विषय के दो बाह्य विशेषज्ञ:

परन्तु यह भी किसी भी कारणवश अध्यक्ष की नियमित नियुक्ति न हो पाने तक कुलपति सम्बद्ध अध्ययन केन्द्र/प्रभाग वरिष्ठ आचार्य को अधिकतम एक वर्ष के लिए प्रभारी नियुक्त कर सकेगा।

* (ग) प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक और सहायक-प्राध्यापक—

(एक) सहायक प्राध्यापक—

(अ) विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद हेतु चयन समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:—

1. कुलपति, चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।
2. विश्वविद्यालय के सम्बन्धित वैधानिक निकाय अर्थात् कार्यपरिषद् एवं कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञों की सूची में से कुलपति द्वारा नामित संबंधित विषय के 3 विशेषज्ञ।
3. सम्बन्धित संकाय का संकायाध्यक्ष, जहाँ लागू हो।
4. संबंधित विभाग/स्कूल का विभागाध्यक्ष।
5. कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद्।

अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/शारीरिक रूप से अशक्त के प्रतिनिधि के रूप में कुलपति अथवा कार्यवाहक कुलपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद् बशर्ते कि इन श्रेणियों के अभ्यर्थी हों तथा चयन समिति में इस श्रेणी का व्यक्ति सम्मिलित न हों।

(ब) चयन समिति की गणपूर्ति 4 सदस्यों से होगी बशर्ते कि उसमें 2 वाह्य विशेषज्ञ प्रतिभाग कर रहें हों।

(दो) सह-प्राध्यापक—

(अ) विश्वविद्यालय में सह-प्राध्यापक के पद हेतु चयन समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:-

1. कुलपति, चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।
2. कुलाधिपति, द्वारा नामित एक शिक्षाविद्।
3. विश्वविद्यालय के सम्बन्धित वैधानिक निकाय अर्थात् कार्यपरिषद एवं कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञों की सूची में से कुलपति द्वारा नामित संबंधित विषय के 3 विशेषज्ञ।
4. सम्बन्धित संकाय का संकायाध्यक्ष, जहाँ लागू हो।
5. संबंधित विभाग/स्कूल का विभागाध्यक्ष।
6. अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /अल्पसंख्यक/महिला/शारीरिक रूप से अशक्त के प्रतिनिधि के रूप में कुलपति अथवा कार्यवाहक कुलपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद् बशर्ते कि इन श्रेणियों के अभ्यर्थी हों तथा चयन समिति में इस श्रेणी का व्यक्ति सम्मिलित न हो।

(ब) चयन समिति के गणपूर्ति 4 सदस्यों से होगी बशर्ते कि उसमें 2 बाह्य विशेषज्ञ प्रतिभाग कर रहे हों।

(तीन) प्राध्यापक-

विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद हेतु चयन समिति की संरचना सह-प्राध्यापक के पद के लिये गठित चयन समिति की संरचना के समान होगी।

(पाँच) अध्ययन केन्द्र/प्रभाग से सम्बद्ध अध्यक्ष-

(एक) सम्बद्ध स्कूल का संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता),

(दो) कुलपति द्वारा नामित सम्बद्ध स्कूल के दो वरिष्ठतम आचार्य:

परन्तु यदि वरिष्ठ आचार्य उपलब्ध न हो तो शाखा/विषय के दो बाह्य विशेषज्ञ:

परन्तु यह भी किसी भी कारणवश अध्यक्ष की नियमित नियुक्ति न हो पाने तक कुलपति सम्बद्ध अध्ययन केन्द्र/प्रभाग के वरिष्ठ आचार्य को अधिकतम एक वर्ष के लिए प्रभारी नियुक्त कर सकेगा।

नियम 23 (5) (ग) में संशोधन

यूजी0सी0 रेगूलेशन दिनांक 30 जून 2010 की धारा 5.0.0, 5.1.2 एवं 5.1.3 में वर्णित प्राविधानों को, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति महोदय के अनुमोदन पत्र संख्या 418/जी0एस0/शिक्षा/C6-2/2011 दिनांक 04 मई 2011 के अनुरूप शिक्षकों के चयन हेतु गठित की जाने वाली समिति सम्बन्धी नियम 23 (5) (ग) को विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2009 में एतद् द्वारा अंगीकृत कर विश्वविद्यालय परिनियमावली में निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है।

परिनियम 23 (5) (ग) में वर्तमान व्यवस्था	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था
1	2
<p>शिक्षकों के चयन के लिए समिति: परिनियमावली नियम-23 (5) (ग)- प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक- (एक) सम्बद्ध स्कूल का संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) (दो) कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट जो अन्य स्कूल का संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) होगा। (तीन) संकाय विकास समिति का एक सदस्य (चार) कुलपति के परामर्श के पश्चात स्कूल में शाखा/विषय के लिये अध्ययन केन्द्र/प्रभाग में कुलाधिपति द्वारा नामित पाँच विशेषज्ञों के पैनल में से दो बाह्य विशेषज्ञ। (पाँच) अध्ययन केन्द्र/प्रभाग से सम्बद्ध अध्यक्ष (एक) सम्बद्ध स्कूल का संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) (दो) कुलपति द्वारा नामित सम्बद्ध स्कूल के दो वरिष्ठतम आचार्य।</p>	<p>शिक्षकों के चयन के लिए समिति: सहायक प्रध्यापक- (अ) विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद हेतु चयन समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:- 1. कुलपति, चयन समिति के अध्यक्ष होंगे। 2. विश्वविद्यालय के सम्बन्धित वैधानिक निकाय अर्थात् कार्य परिषद् एवं कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञों की सूची में से कुलपति द्वारा नामित संबंधित विषय के तीन विशेषज्ञ। 3. सम्बन्धित संकाय का संकायाध्यक्ष, जहाँ लागू हो। 4. संबंधित विभाग/स्कूल का विभागाध्यक्ष। 5. कुलपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद्। अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/शारीरिक रूप से अशक्त के प्रतिनिधि के रूप में कुलपति अथवा कार्यवाहक कुलपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद् शर्तें कि इन श्रेणियों के अभ्यर्थी हों तथा चयन समिति में इस श्रेणी का व्यक्ति सम्मिलित न हो। (ब) चयन समिति की गणपूर्ति 4 सदस्यों से होगी बशर्तें कि उसमें 2 बाह्य विशेषज्ञ प्रतिभाग कर रहे हो। सह प्राध्यापक- (अ) विश्वविद्यालय में सह प्राध्यापक के पद हेतु चयन समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:- 1. कुलपति, चयन समिति के अध्यक्ष होंगे। 2. कुलपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद्। 3. विश्वविद्यालय के सम्बन्धित वैधानिक निकाय</p>

	<p>अर्थात् कार्य परिषद् एवं कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञों की सूची में से कुलपति द्वारा नामित संबंधित विषय के तीन विशेषज्ञ।</p> <p>4. सम्बन्धित संकाय का संकायाध्यक्ष, जहाँ लागू हों।</p> <p>5. संबंधित विभाग/स्कूल का विभागाध्यक्ष।</p> <p>6. कुलपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद्।</p> <p>अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/शारीरिक रूप से अशक्त के प्रतिनिधि के रूप में कुलपति अथवा कार्यवाहक कुलपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद् बशर्ते कि इन श्रेणियों के अभ्यर्थी हों तथा चयन समिति में इस श्रेणी का व्यक्ति सम्मिलित न हो।</p> <p>(ब) चयन समिति की गणपूर्ति 4 सदस्यों से होगी बशर्ते कि उसमें 2 वाह्य विशेषज्ञ प्रतिभाग कर रहे हों।</p> <p>प्राध्यापक— विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद हेतु चयन समिति की संरचना सह-प्राध्यापक के पद के लिये गठित चयन समिति की संरचना के समान होगी।</p>
--	--

(6) संकाय के पदाभिहित व्यक्तियों की नियुक्तियां धारा 23 की उपधारा (5) में गठित चयन समिति के विचाराधीन पदों के लिये नये या विभिन्न पदों सहित की जाएंगी।

(7) उपर्युक्त परिनियम (5) में उल्लिखित चयन समिति/समितियां भारत से बाहर के अभ्यर्थी के मामले में उसके जीवनवृत्त तथा उसकी शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर उसकी अनुपस्थिति में विचार कर सकती है।

(ख) अधिकारियों की नियुक्ति—

(8) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्तियां निम्नवत् होंगी:—

* (क) कुलसचिव—

कुलसचिव की नियुक्ति कार्य परिषद् द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त कम से कम तीन नामों के पैनल में से प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर अधिकतम पांच वर्ष के लिए की जायेगी।

कार्य परिषद् कुलसचिव के चयन हेतु उक्त पैनल में से कुलपति की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन कर नियुक्ति कर सकेगी:

परन्तु यह किसी कारणवश कुलसचिव की नियुक्ति न हो पाने की दशा में कार्य परिषद् द्वारा अधिकतम एक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों में से प्रभारी कुलसचिव नियुक्त किया जा सकता है।

*** (ख) वित्त अधिकारी—**

विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विहित प्राविधानों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

*** (ग) विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष—**

विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए चयन समिति का गठन कुलपति, जो समिति का अध्यक्ष होगा, पुस्तकालय विज्ञान/प्रबंधन क्षेत्र का एक बाह्य विशेषज्ञ, विश्वविद्यालय के दो स्कूलों में संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) और यदि कुलसचिव संकाय का सदस्य है, से किया जाएगा।

*** (घ) अधिष्ठाता छात्र कल्याण—**

अधिष्ठाता छात्र कल्याण की नियुक्ति कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षिक और शोध गतिविधियों और नियमित सेवा तथा मौलिक पद पर धारणाधिकार रखने वाले प्राध्यापकों में से की जाएगी।

*** (ङ) अन्य अधिकारी—** जिसमें निम्न सम्मिलित हैं कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के संकाय में से नियुक्त किए जा सकेंगे:—

(एक) मानव संसाधन अधिकारी— मानव संसाधन अधिकारी की नियुक्ति कुलपति द्वारा तीन वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर की जायेगी।

कुलपति इस हेतु एक वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, कुलसचिव तथा राज्य सरकार द्वारा नामित एक सदस्य की समिति गठित कर नियुक्ति करेंगे:

परन्तु यह कि किसी कारणवश मानव संसाधन अधिकारी की नियमित नियुक्ति न होने की दशा में कुलपति अधिकतम एक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों में से नियुक्त कर सकता है।

(दो) प्रशासनिक निदेशक— प्रशासनिक निदेशक की नियुक्ति कुलपति द्वारा अधिकतम पांच वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर की जायेगी।

कुलपति इस हेतु वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, कुलसचिव तथा राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य की समिति गठित कर नियुक्त कर सकता है।

परन्तु यह कि किसी कारणवश प्रशासनिक निदेशक की नियमित नियुक्ति न होने की दशा में अधिकतम एक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों में से नियुक्त कर सकते हैं।

(तीन) भण्डार और क्रय अधिकारी— भण्डार और क्रय अधिकारी की नियुक्ति कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय की शैक्षिक एवं शोध गतिविधियों और नियमित सेवा तथा मौलिक पद पर धारणाधिकार रखने वाले शैक्षिक कर्मचारियों में से की जायेगी। भण्डार और क्रय अधिकारी विश्वविद्यालय की विभिन्न शाखाओं में अपेक्षित सामग्री के क्रय एवं भण्डार (स्टॉक) के अभिलेखों का रख-रखाव तथा विश्वविद्यालय के भण्डार के लिए उत्तदायी होगा। वह विश्वविद्यालय में संकायों और प्रशासनिक शाखाओं में उनके द्वारा अपेक्षित खरीदारी में सहयोग करेगा।

(चार) विश्वविद्यालय का चिकित्सा अधिकारी— विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति दो चिकित्सीय विशेषज्ञ, वित्त अधिकारी, कुलसचिव और कुलपति की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय चयन समिति द्वारा की जाएगी। चिकित्साधिकारी विश्वविद्यालय के संकायों और अन्य कर्मचारियों तथा छात्रों को चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा। वह इसके अतिरिक्त कुलपति द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(पाँच) निर्माण कार्य और संयंत्र निदेशक— निर्माण कार्य और संयंत्र निदेशक की नियुक्ति कुलपति द्वारा अभियंता की डिग्री धारकों में से पांच वर्ष हेतु प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जायेगी:

परन्तु अपरिहार्य कारणवश अधिकतम एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर एक बार किया जा सकता है, वह स्वच्छता, जल प्रदाय, विद्युत और भवन

रख-रखाव तथा कुलपति द्वारा सौंपे गए अन्य निर्माण कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा।

(छः) कोई अन्य अधिकारी- जो विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्ति हेतु अभिनिश्चित किया जाए।

* (च) यदि किसी संकाय सदस्य को अपने दायित्वों से अतिरिक्त कार्य सौंपे जाएं तो उसे ऐसा कार्यभार ग्रहण करने के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध अन्य व्यक्ति जो उन दायित्वों का निर्वहन करता हो, की सुविधाओं के अतिरिक्त ऐसे भत्तों का संदाय किया जाएगा जो उचित समझा जाए।

(ग) अभ्यागत संकाय-

(9) कुलपति कार्य परिषद् को सूचित करके अभ्यागत संकाय या अभ्यागत प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक-प्राध्यापक के रूप में विश्वविद्यालय में उच्च शैक्षणिक कार्य और शोध की प्रगति में सहायता देने के लिए देश या विदेश से अध्ययन के क्षेत्र में उच्च शैक्षणिक एवं विशेष योग्यता से युक्त व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है। दीर्घवधि के लिए अभ्यागत संकाय एक से दो वर्ष के लिए नियुक्त की जा सकती है। अल्पकालिक अभ्यागत संकाय एक वर्ष की अवधि तक के लिए नियुक्त किया जा सकता है। नियुक्त व्यक्ति नियमित कक्षा/कक्षाएं पढ़ाएगा, विशेष व्याख्यानों का आयोजन और कार्यशाला तथा सेमिनार का संचालन करेगा। उसके वेतन भत्ते, यात्रा भत्ता और अन्य शर्तें और निबंधन ऐसे होंगे जैसे नियुक्त व्यक्ति तथा विश्वविद्यालय के मध्य आपसी सहमति से अभिनिश्चित हों।

(घ) चेयर प्राध्यापक-

(10) विश्वविद्यालय अपने अध्ययन केन्द्र में प्रख्यात लोक नीति संगठनों या व्यक्तियों द्वारा प्रायोजित विन्यास पीठ (चेयर) स्थापित कर सकती है और समुचित रूप से अर्ह व्यक्तियों को दून चेयरों पर नियुक्त कर सकती है। ऐसी नियुक्ति का शासनादेश में शर्तें और निबंधन और वित्तीय तथा अन्य पहलू विहित किए जाएंगे।

(ङ) अभ्यागत विद्वान-

(11) कोई व्यक्ति जिसका विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र के ज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान हो उसकी सूचना कार्य परिषद् को देकर कुलपति अधिकतम एक वर्ष

की अवधि के लिए अभ्यागत विद्वान के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। अभ्यागत विद्वान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, व्याख्यान देने, कार्यशाला और सेमीनारों का आयोजन और शिक्षण तथा शोध कार्यक्रमों का विकास करेगा। विद्वान को पारिश्रमिक संदाय दिया जाएगा और विश्वविद्यालय तथा विद्वान के मध्य सहमति के आधार पर आतिथ्य उपलब्ध कराया जाएगा।

(च) मानद प्राध्यापक—

(12) कार्य परिषद् और संबंधित स्कूल के संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) की संस्तुति पर कुलपति कार्य परिषद् को सूचित करके प्रतिष्ठित विद्वान को जिसका अध्ययन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हो, स्कूल में अध्यापन के लिए मानद प्राध्यापक के रूप में नियुक्त कर सकता है। मानद प्राध्यापक की नियुक्ति की अवधि विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित की जाएगी। मानद प्राध्यापक को संबंधित स्कूल द्वारा उसके कार्य के निर्वहन के लिए समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मानद प्राध्यापक को कार्य के निर्वहन के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, लेकिन कोई वेतन नहीं दिया जाएगा।

(छ) प्रतिष्ठित प्राध्यापक—

(13) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षक को प्रतिष्ठित प्राध्यापक की उपाधि प्रदान कर सकती है जिसने विश्वविद्यालय में अपनी कार्यावधि के दौरान अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया हो। सम्बन्धित स्कूल संकाय परिषद् शैक्षिक (विद्वत) परिषद् और कुलपति इसके लिए कार्य परिषद् को संस्तुति कर सकती है। प्रतिष्ठित प्राध्यापक को उसके शैक्षिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित स्कूल द्वारा समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उपाधि विश्वविद्यालय की ओर से बिना वित्तीय या अन्य वचनबद्धता के आजन्म होगी।

(ज) एडजंक्ट नियुक्तियां—

(14) कुलपति कार्य परिषद् को सूचित करके उद्योग तथा अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञों की एडजंक्ट प्राध्यापक या एडजंक्ट/सहायक प्राध्यापक या अन्य पद पर पदाभिहित कर जैसा वह उचित समझे, दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त व्यक्ति एवं विश्वविद्यालय के मध्य समझौते से शर्तों एवं निबंधनों पर प्रतिष्ठित व्यवसायियों को नियुक्त कर सकता है।

(झ) संविदा नियुक्तियां—

- (15) कुलपति विशेष परिस्थितियों के अधीन अध्ययन केन्द्र को अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर व्यक्ति को भाड़े पर लेने की अनुज्ञा दे सकता है। ऐसे भाड़े पर लिए गए व्यक्ति को शिक्षण एवं शोध के लिए विश्वविद्यालय द्वारा जो समुचित समझा जाए, पर पदाभिहित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय ऐसी नियुक्तियों के बारे में कार्य परिषद् को अवगत करायेगा।

(ज) अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियां—

- (16) अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति जो अधिनियम और इन परिणियमों से आच्छादित नहीं हैं, कुलपति द्वारा कार्य परिषद् के अनुमोदन से की जाएगी सिवाय शिक्षणोत्तर पदोंके जिनका वेतनमान का अधिकतमम रू0 13500— है (समय—समय पर यथा संशोधित) कुलपति द्वारा कार्य परिषद् को संदर्भित किए बिना की जा सकेगी।

24— सेवा की शर्तें और निबन्धन (धारा 22)—

- (1) विश्वविद्यालय में समस्त नियुक्तियां दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएंगी। तदनुरान्त नियुक्त व्यक्ति की कार्य सम्पादन रिपोर्ट और आचरण संकाय सदस्य के रूप में संकाय चयन समिति और अन्य कर्मचारियों के मामले में कुलपति के पुनर्विलोकन में संतोषप्रद पाए जाने पर स्थायी किया जा सकता है। समिति/कुलपति उसके कार्य के आधार पर यदि कार्य सम्पादन असंतोषजनक पाया जाता है और परीक्षा अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से विनिर्दिष्ट अवधि किन्तु चार वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ायी गयी हो तो उसके पद पर यदि कोई प्रगति के संबंध में पूर्व स्थिति के लिए संस्तुति यदि कोई हो दे सकती है, यदि कार्य सम्पादन असंतोषजनक पाया जाता है तो परीक्षा अवधि के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम चार वर्ष तक की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए बढ़ायी जा सकेगी। स्थायीकरण समुचित प्राधिकारी के आदेश से किया जायेगा।
- (2) नियुक्त व्यक्ति अधिनियम और परिणियमों के प्राविधानों के अधधीन उसकी अधिवर्षता तिथि के माह की अन्तिम तिथि तक लगातार सेवा में रहेगा:
- परन्तु यह कि शिक्षक की पुनर्नियुक्ति, प्राध्यापक, सह—प्राध्यापक या सहायक प्राध्यापक के रूप में शिक्षण और शोध के हित में शैक्षणिक सत्र के अन्त तक नियमित रूप से की जा सकती है।

- (3) समस्त नियुक्त व्यक्ति अल्पकालिक कर्मचारियों को छोड़कर विश्वविद्यालय से विहित प्ररूप में लिखित रूप में संविदा निष्पादित करेंगे और विश्वविद्यालय में चिकित्साधिकारी/सक्षम प्राधिकारी से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
- (4) ऐसे कर्मचारी जिनका परीवीक्षा काल समाप्त हो गया है और जिन्हें परीवीक्षा अवधि बढ़ाए जाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, तो उनको परीवीक्षा अवधि समाप्त हो जाने की तारीख के एक वर्ष बाद स्थायी समझा जाएगा।
- (5) विश्वविद्यालय का कर्मचारी कोई अन्य सेवा, व्यापार या गतिविधियां सिवाय परामर्श या ऐसी गतिविधियों में जिसके लिए सम्यक् रूप से समुचित प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त न कर ली हो, नहीं कर सकेगा।
- (6) विश्वविद्यालय के संकाय के सदस्यों या अधिकारियों सहित अस्थायी कर्मचारी की सेवा या परीवीक्षाधीन व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय बिना किसी कारण बताते हुए एक माह का नोटिस देकर या एक माह का वेतन देते हुए सेवा समाप्त की जा सकती है।
- (7) विश्वविद्यालय के कर्मचारी विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर बनाए गए आचरण नियमों तथा उपान्तरित नियमों से नियंत्रित होंगे।
- (8) विश्वविद्यालय के कर्मचारी तथा विनिर्दिष्ट दैनिक, यात्रा और अन्य भत्ते पाने के हकदार होंगे।
- (9) विश्वविद्यालय के कर्मचारी परिनियम 36 में विहित अवकाश के हकदार होंगे।
- (10) विश्वविद्यालय के संकाय का कोई सदस्य या अधिकारी एक माह के नोटिस से या एक माह का वेतन संदाय करके समुचित प्राधिकारी के अनुमोदन से विश्वविद्यालय को छोड़ सकता है।
- (11) कर्मचारियों पर लागू होने वाले चिकित्सा परिचर्या से संबंधित नियम अलग से बनाए जाएंगे।

25- कर्मचारी का हटाया जाना-

- (1) विश्वविद्यालय के हित में किसी कर्मचारी के मामले में जहां उसने आचरण नियमों का उल्लंघन किया है या विश्वविद्यालय का कर्मचारी अनुपयुक्त हो तो, कुलपति

ऐसे कर्मचारी की जांच का निर्धारण, स्पष्टीकरण लेने अनुशासनिक कार्यवाही करने और उसे चेतावनी देने की कार्यवाही कर सकता है।

- (2) कुलपति सेवा की शर्तों और निबन्धनों का विचार किए बिना किसी कार्मिक को दुराचरण, आदेशों के उल्लंघन और निधि के दुर्वियोजन के आरोप में यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना विश्वविद्यालय के हित में हो तो निलम्बित करने हेतु ऐसे कार्मिक के विरुद्ध लगाए गए आरोप की जाँच के लिए आदेश पारित कर कर सकता है तथा यदि किसी मामलों में जहाँ वह नियुक्ति अधिकारी है, निर्णय ले सकता है। अन्य मामलों में वह आवश्यक कार्रवाई हेतु बिना किसी संस्तुति के जांच रिपोर्ट कार्यसमिति के समक्ष रखेगा।
- (3) कार्मिक को हटाना या पदच्युति आदेश जारी करने की तिथि से प्रभावी होगा। निलम्बित कार्मिक के मामले में पद से हटाने की संस्तुति या पदच्युति निलम्बन की तिथि से प्रभावी होगी।

26- अधिभार [धारा 22 (च)]-

- (1) यदि विश्वविद्यालय की या निधियों या सम्पत्ति की क्षति या हानि, दुरुपयोग की कोई शिकायत सरकार द्वारा प्राप्त होती है, या राज्य सरकार स्वयं इस पर विचार करना उचित समझती है तो वह निदेशक, स्थानीयनिधि लेखा, उत्तराखण्ड के किसी अधीनस्थ द्वारा विश्वविद्यालय की विशेष लेखा परीक्षा करा सकता है।
- (2) राज्य सरकार लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय के उस कार्मिक को जिसकी उपेक्षा के कारण या दुराचरण, क्षति, हानि या दुर्वियोजन हुआ नियत समय के अन्दर जो राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाए, उसके कार्य का स्पष्टीकरण मांगते हुए नोटिस जारी किया जा सकता है।
- (3) राज्य सरकार सम्परीक्षा लेखा और सम्बन्धित कार्मिक के उत्तर के विचारोपरान्त इस संबंध में समुचित कार्रवाई कर सकती है। यदि राज्य सरकार यह निश्चित करती है कि कार्मिक द्वारा अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया गया है तो जैसा राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए उसे भू-राजस्व या किसी अन्य रीति से अवशेष के रूप में वसूल किया जायेगा।

27- विश्वविद्यालय परामर्शी समिति [धारा 22 (च)]-

- (1) कार्य परिषद्, शैक्षिक (विद्वत्) परिषद् की संस्तुति पर कार्य परिषद् और शैक्षिक (विद्वत्) परिषद् को शैक्षिक हितों के मामलों में परामर्श के लिए कुलपति की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय परामर्श समिति का गठन कर सकती है।

परन्तु यह कि ऐसा परावर्ष बाध्यकारी नहीं होगा।

- (2) परामर्श समिति के सदस्य शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, जीवन विज्ञान, चिकित्सा, प्रबंधन, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, जनसंचार, उद्योग तथा विश्वविद्यालय के अध्ययन के ऐसे अन्य क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे-
- (3) परामर्श समिति में सदस्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
- (4) समिति का कार्यकाल विश्वविद्यालय द्वारा उसके गठन के समय अवधारित किया जाएगा।
- (5) विश्वविद्यालय का कुलसचिव समिति का गैरसदस्यीय सचिव होगा।

28- विश्वविद्यालय के परिसर/परिसरों में अनुशासन का अनुरक्षण-

कुलपति के अधीन सभी शक्तियां, होंगी जिनके द्वारा गतिविधियों के सुचारु संचालन और विश्वविद्यालय के परिसर/परिसरों में अनुशासन स्थापित करेंगे। इस संबंध में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

29- महाविद्यालय/संस्थानों की संबद्धता (धारा 5)-

- (1) विश्वविद्यालय किसी महाविद्यालय/संस्था को सम्बद्ध कर सकती है:

परन्तु यह कि-

किसी महाविद्यालय/संस्था को सम्बद्धता की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि दून विश्वविद्यालय परिनियम 16 में प्रस्तावित अध्ययन स्कूलों को स्थापित नहीं कर लेता है और अंतिम प्रस्तावित स्कूल की स्थापना के संचालन को न्यूनतम दो वर्ष पूर्ण नहीं हो गए हैं।

- (2) सम्बद्धता के लिए आवेदन करने वाला महाविद्यालय/संस्था सम्बद्धता के लिए आवेदन करते समय जिस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं, उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र दून विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा।

- (3) छात्रों के लिए प्रवेश की अर्हता और प्रवेश का प्रकार, संकाय की भर्ती की प्रक्रिया, संकाय-छात्र अनुपात, परीक्षा और मूल्यांकन का तरीका, विभिन्न पाठ्यक्रमों का पाठ्य-विवरण और पाठ्यक्रम, शुल्क ढांचा और शिक्षकों का वेतन ढांचा आवेदन करने वाली संस्था/विद्यालय दून विश्वविद्यालय के समान होगा।
- (4) सम्बद्धता प्राप्त करने वाले महाविद्यालय/संस्था का संरचनात्मक स्वरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या कोई अन्य राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जैसी भी स्थिति हो, अधिलिखित मानकों के अनुरूप होगा।
- (5) यदि कोई महाविद्यालय/संस्था पांच वर्ष या उससे अधिक से स्थापित है या उसकी मान्यता का स्तर उत्कृष्ट है, तब यह महाविद्यालय/संस्था अपनी स्थापना के लिखत की प्रति, विगत पाँच वर्ष की लेखा-परीक्षा और राज्य सरकार या राज्य के विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त मान्यता की प्रति साक्ष्य में प्रस्तुत करेगा।
- (6) विश्वविद्यालय की शैक्षिक (विद्वत) परिषद् द्वारा स्थापित विशेषज्ञ जिसमें शैक्षिक समिति, शिक्षा नीति समिति का अध्ययन भी सम्मिलित है, सम्बद्धता के लिए आवेदन करने वाले महाविद्यालय/संस्था का निरीक्षण करेगी और उसकी संस्तुति निरीक्षण रिपोर्ट के प्रारूप पर स्पष्ट से सम्बद्धता प्रदान करने या नहीं करने का कारण अंकित करेगी।
- (7) शैक्षिक (विद्वत) परिषद् निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इसके निर्णय हेतु अपने संस्तुति के साथ कार्य परिषद् को प्रस्तुत करेगी।
- (8) किसी मामले में कार्य परिषद् महाविद्यालय/संस्था को सम्बद्धता प्रदान करने का निर्णय लेती है, तो विश्वविद्यालय सम्बद्ध होने वाले महाविद्यालय/संस्था की कोई वित्तीय या अन्य उत्तरदायित्व संबंधी विरासती बाध्यताएं स्वीकार नहीं करेगा।
- (9) इस प्रकार सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्था विश्वविद्यालय के शिक्षण को बनाए रखने की अपेक्षाओं की शाश्वत आधार पर पूर्ति करेगी।
- (10) शैक्षिक (विद्वत) परिषद् को सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्था के किसी भी मामले में विचार-विमर्श करने और शिक्षकों की नियुक्ति तथा हटाने सहित आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार होगा।

- (11) सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्था जिसे सम्बद्धता की अनुज्ञा प्रदान कर दी गई है, विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर जिसमें सम्बद्धता की शर्तों और निबंधन का विवरण अंकित हो, हस्ताक्षरित करेगी।
- (12) दून विश्वविद्यालय की शैक्षिक (विद्वत्) परिषद् द्वारा गठित समिति की संस्तुति पर किसी महाविद्यालय /संस्था के द्वारा उसके और विश्वविद्यालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की शर्तों और निबंधनों का उल्लंघन करने या किसी अन्य कारण से दून विश्वविद्यालय सम्बद्धता प्रत्याहारित कर सकता है।

30- स्कूल सोसाइटी और विश्वविद्यालय छात्र परिषद् [धारा 22 (च)]-

- (1) पूर्णकालिक/नियमित पंजीकृत छात्र अध्ययन केन्द्र में सह-पाठ्येत्तर, अतिरिक्त पाठ्येतर, सांस्कृतिक, खेल और क्रीड़ा तथा अन्य गतिविधियों के जो स्कूल का शैक्षिक और बौद्धिक विकास करें, विभिन्न आयोजनों के लिए स्कूल सोसाइटी का गठन कर सकते हैं। स्कूल सोसाइटी की कार्यकारी समिति को विश्वविद्यालय के प्रत्येक स्कूल से प्रवेश वर्ष के प्रत्येक बैच के छात्रों में से दो पंजीकृत पूर्व स्नातक कक्षाओं से और दो छात्र परास्नातक कक्षाओं (शोध छात्रों सहित में) से कुल चार सदस्य चुने जाएंगे। सोसाइटी की निर्वाचित कार्यकारी समिति सदस्य उनके पदाधिकारी चुनेंगे। अभ्यर्थियों की अर्हता और पदाधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय, परन्तु यह है कि चुनाव लड़ने वाले की आयु चुनाव होने वाले वर्ष की 30 जून को 25 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (2) दो पंजीकृत प्रतिनिधियों से जिनमें एक शोध सहित परास्नातक का छात्र और दूसरा स्कूल के पूर्व स्नातक में से विश्वविद्यालय छात्र परिषद् से अध्ययन केन्द्र के लिए चुने जाएंगे। अभ्यर्थियों की अर्हता और पदाधिकारियों की चुनाव की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसे विहित की जाए, परन्तु यह कि चुनाव लड़ने की आयु चुनाव होने वाले वर्ष की 30 जून को 25 वर्ष से अधिक नहीं होगी। शोध छात्र के मामले में आयु सीमा 28 वर्ष होगी।
- (3) चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी-
- (क) भ्रष्ट चुनाव आचरण में आसक्त नहीं होगा,
- (ख) सामुदायिक और जातीय अपील नहीं करेगा,
- (ग) प्रकाशित पोस्टर और बैनर नहीं लगाएगा,

- (घ) विश्वविद्यालय के भवनों तथा उसके ढाँचे को चिपकाए जाने वाले पोस्टर तथा लिखित नारों से विरूपित नहीं करेगा और
- (ङ) वित्त की याचना या किसी सम्भाग से किसी प्रकार की अन्य सहायता सद्भावी छात्रों में से स्वैच्छिक अंशदान के अतिरिक्त प्राप्त नहीं करेगा।
- (4) स्कूल सोसाइटी और विश्वविद्यालय छात्र परिषद् एक शैक्षिक सत्र के लिए कार्यरत रहेगी। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए चुनाव आने वाले व्यय की सीमा, अर्हता और आचार संहिता विहित की जाएगी।
- (5) स्कूल सोसाइटी और विश्वविद्यालय छात्र परिषद् कार्यकारी समिति के भाग हुए बिना संकाय को सुनकर बनाए जाने की दृष्टि से सहायता दी जा सकती है, इनकी श्रेणी वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक या प्राध्यापक की होगी।
- (6) इन दो संस्थाओं द्वारा विभिन्न छात्र गतिविधियों को आयोजित करने का प्रस्ताव अधिष्ठाता छात्र कल्याण संबंधित संकाय जिसे सहायता देना सुकर बनाया जाय, चक्रीय क्रमानुसार होगा।
- (7) कुलपति स्कूल सोसाइटी की कार्यकारी समिति या विश्वविद्यालय छात्र परिषद् को केन्द्रीय अनुशासन समिति या स्वयं, यदि उसका समाधान हो जाय कि सोसाइटी या समिति की गतिविधियों विश्वविद्यालय के सम्बन्धित स्कूल के अनुशासन और निरन्तरता को संचालित करने में अक्षम हो गई है, तो भंग कर सकता है।

31- पूर्व छात्र संगम संगठन (धारा 22)-

विश्वविद्यालय में विहित सदस्यता शुल्क लेकर एक पूर्व छात्र संगम संगठन स्थापित किया जाएगा। संगठन विहित प्रक्रिया के अनुरूप कार्यकारी समिति का चुनाव करेगा। अधिष्ठाता छात्र कल्याण संगठन के क्रिया कलापों को संचालित करने में सहायता प्रदान करेगा।

32- मुख्य छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक, सहायक छात्रावास अधीक्षक (धारा 22)-

विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्रावास के लिए एक छात्रावास अधीक्षक होगा, जो अपेक्षित निवास और खानपान तथा छात्रों के कल्याण की देख-रेख करेगा। छात्रावास अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा विहित छात्रावास में नियमों का

कड़ाई से पालन हो। छात्रावास अधीक्षक, मुख्य छात्रावास अधीक्षक, को जो उस स्कूल का संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) होगा, जिसमें संबंधित स्कूल का छात्र नामांकित हो, और अधिष्ठाता छात्र कल्याण समय-समय पर छात्रावास से सम्बन्धित मामलों के बारे में रिपोर्ट देगा। प्रत्येक छात्रावास के लिए दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलापों में सहायता दिए जाने के लिए एक सहायक छात्रावास अधीक्षक हो सकता है।

33- छात्र परामर्श पद्धति और छात्र चिन्हीकरण संख्या (धारा 22)-

विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय छात्रों की निश्चित संख्या किसी संकाय को सौंप कर छात्रों एवं संकाय के मध्य आपसी संवर्धन के लिए छात्र परामर्श समिति बनाकर युक्ति कर सकेगा। संकाय सदस्य, पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करेगा और उसको सौंपे गए छात्रों के शैक्षणिक तथा अन्य सभी दार्शनिक मामलों का सम्पादन करेगा। वह उसकी युक्ति की नियमित रूप से शैक्षणिक कार्य और जब यदि आवश्यक हो तो उसके माता-पिता से सम्पर्क करेगा। प्रत्येक छात्र के लिए कुलसचिव कार्यालय प्रवेश के समय एक चिन्हांकन संख्या जारी करेगा, जिस पर उसका अन्त तक स्थायी अधिकारी होगा। छात्रों से संबंधित सभी मामलों पर उसकी पहचान संख्या के प्रयोग के साथ कार्यवाही की जाएगी।

34- परामर्शी एवं व्यावसायिक सेवाएं (धारा 22)-

- (1) विश्वविद्यालय कुलपति से इस निमित्त अनुमति प्राप्त कर विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों को परामर्शी और व्यावसायिक कार्य लेने, उदाहरणार्थ पाठ्यक्रम/शैक्षणिक कार्यक्रम का विकास, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी, व्याख्यान देने, बोर्ड या समिति की सदस्यता को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सरकारी या निजी अभिकरणों में अनुमति दे सकता है।
- (2) बाह्य अभिकरणों द्वारा याचित परामर्शी और व्यावसायिक सुविधा के लिए विश्वविद्यालय या सम्बन्धित स्कूल/संकाय सदस्य से ऐसी सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट या मामले जिसके लिए ऐसी सेवा प्रार्थित है, उसका विवरण देते हुए सम्पर्क कर सकता है, सम्बन्धित स्कूल का संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) प्रोजेक्ट को लिए जाने हेतु विशेषज्ञ को चिन्हित करेगा।
- (3) परामर्शी सुविधाएं संकाय को एक वर्ष में अधिकतम 50 दिनों के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी।
- (4) परामर्श से सम्बन्धित प्राप्त होने वाले व्यावसायिक शुल्क का 40 प्रतिशत सीधे विश्वविद्यालय की विकास निधि में जमा किया जायेगा। शुल्क का बाकी 60

प्रतिशत आय में से नियत कार्य के लिए हुए व्यय को कम करके विशेष धनराशि उक्त कार्य में सलित संकाय सदस्य को देनी होगी।

- (5) परियोजना आकलन रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया, परामर्श सेवा की शर्तें परामर्शी और व्यावसायिक नियत कार्य और कुल बचत के संवितरण की रीति तथा अन्य विषय शैक्षिक (विद्वत्) परिषद् द्वारा अवधारित किए जाएंगे।

35- सेवानिवृत्ति की आयु (धारा 22)-

- (1) विश्वविद्यालय के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष होगी।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को (स्थायी या अस्थायी) 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त बिना किसी कारण बताए विश्वविद्यालय के हित में तीन माह का नोटिस देकर या इस क्रम में तीन माह का वेतन भुगतान करने का नोटिस देकर सेवानिवृत्त कर सकता है। विश्वविद्यालय का कोई कार्मिक 45 वर्ष की आयु या विश्वविद्यालय में 20 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरान्त तीन माह के नोटिस पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्राप्त कर सकता है।
- (3) कर्मचारी, राज्य सरकार के कार्मिकों के समरूप अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ यदि कोई हो, प्राप्त करेगा, परन्तु यदि कोई कार्मिक सेवानिवृत्तिक लाभ प्राप्त कर रहा हो, विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करता है तो विश्वविद्यालय उसके हित में राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप संरक्षण दे सकता है।

36- अवकाश नियम (धारा 22)-

- (1) विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे कार्मिकों को छोड़कर, समस्त कार्मिकों पर यह अवकाश नियम लागू होंगे।
- (2) अवकाश को किसी भी प्रकार से अधिकार स्वरूप नहीं लिया जायेगा और विश्वविद्यालय के हित में किसी अवकाश को उपभोग करने से मना किया जा सकता है, कटौती की जा सकती है या अवकाश पर गए कार्मिक को वापस बुलाया जा सकता है।
- (3) संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) और अन्य आय-व्ययक नियंत्रण अधिकारियों के अवकाश कुलपति द्वारा स्वीकृत किए जायेंगे। संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता), केन्द्रीय/प्रभागीय और नियंत्रक अधिकारी उनके अधीन कार्यरत कार्मिकों के अवकाश स्वीकृत करेंगे। कार्मिक जिन तिथियों में वास्तविक अवकाश का उपभोग किया जाएगा, इंगित करेंगे।

(4) शिक्षकों को स्वीकृत होने वाले अवकाश स्थायी कार्मिकों को अनुमन्य होंगे। विश्वविद्यालय के कार्मिकों को अनुमन्य होने वाले अवकाश निम्नलिखित होंगे:-

(क) आकस्मिक अवकाश- एक कलैण्डर वर्ष में 14 दिन, जिसे आगामी कलैण्डर वर्ष में अग्रोत्तर नहीं किया जायेगा।

(ख) उपार्जित अवकाश- कार्मिक पूर्ण वेतन पर उपार्जित अवकाश का उपभोग कर सकेंगे, परन्तु मात्र ग्रीष्म/शीतकालीन अवकाश लेने वाले शिक्षक 1/30 दिन का अवकाश उपार्जित करेंगे। उपार्जित अवकाश एक बार में भारत में अधिकतम 4 माह की या विदेश में 6 माह की अवधि का उपभोग किया जा सकता है। अधिकतम अवकाश की अवधि 300 दिनों तक संचयन की जा सकती है, इसके पश्चात् संचयन होने वाले उपार्जित अवकाश समाप्त हो जायेंगे।

(ग) अर्ध-औसत वेतन अवकाश- शिक्षक तथा विश्वविद्यालय के अन्य कार्मिक अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में 365 दिन और एक कलैण्डर वर्ष में 31 दिन के अर्द्ध-औसत वेतन अवकाश के लिए हकदार होंगे। ऐसे अवकाश की अधिकतम अवधि भारत में एक बार में 90 दिन और विदेश में 180 दिन की अनुमति दी जाएगी। विश्वविद्यालय में गत दो वर्ष से कार्य कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को 60 दिन का अर्द्ध औसत वेतन अवकाश दिया जाएगा। अस्थायी कर्मचारियों को अपने सम्पूर्ण सेवा काल में 120 दिन के अवकाश की अनुमति होगी।

(घ) असाधारण अवकाश- यदि कर्मिक के पास कोई अन्य अवकाश देय नहीं हो तो विशेष परिस्थितियों के अधीन बिना वेतन असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। यह अवकाश केवल उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने या चिकित्सकीय कारणों से स्वीकृत किया जा सकेगा। यह अवकाश कार्मिक की सेवा अवधि के दौरान दो बार स्वीकृत किया जा सकता है। प्रथम अवकाश विश्वविद्यालय में तीन वर्ष की सेवा के उपरान्त स्वीकृत किया जायेगा। कार्मिक को यह अवकाश दूसरी बार छः वर्ष की सेवा पर पूर्व में उपभोग किए गए अवकाश की अवधि जिसमें दो अवकाशों के मध्य तीन वर्ष का अंतर हो, को छोड़कर स्वीकृत किया जा सकेगा। यह असाधारण अवकाश सम्पूर्ण सेवाकाल में पांच वर्ष से अधिक स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(ड) मातृत्व अवकाश— यह अवकाश महिला कार्मिकों के लिए विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप 135 दिनों की अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा।

(च) चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश—

(एक) स्थायी कार्मिक अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 12 महीनों का चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश उपभोग कर सकेगा। यदि उपार्जित अवकाश के साथ यह अवकाश उपभोग किया जाता है, तो इसकी अवधि एक बार में 8 माह से अधिक नहीं होगी। यह अवकाश सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण पत्र कुलपति को प्रस्तुत कर उपभोग किया जा सकता है।

(दो) अस्थायी कार्मिक अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम चार महीनों का चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश का उपभोग कर सकेगा। उपार्जित अवकाश के साथ अवकाश लेने पर एक बार में 8 माह से अधिक का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। यह अवकाश सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण पत्र पर नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत करने पर उपभोग किया जा सकेगा। यह अवकाश जिस पद से कार्मिक अवकाश पर गया है, अपने कार्य पर वापस आने तक की शर्त के अध्याधीन स्वीकृत किया जा सकेगा।

(छ) विश्राम दिवस संबंधी अवकाश— विश्वविद्यालय का कोई नियमित शिक्षक जिसने विश्वविद्यालय की न्यूनतम चार वर्षों की सेवा कर ली हो, उन्नत शोध कार्य करने के लिए पूर्ण वेतन पर एक वर्ष का विश्राम दिवस संबंधी अवकाश उपभोग कर सकता है। और उसे यह वचन देना होगा कि वापस आने पर विश्वविद्यालय के लिए अगले दो वर्ष की सेवा करेगा तथा असफलता पर ऐसा शिक्षक प्राप्त अवकाश वेतन अंशदायी भविष्य निधि, ब्याज की दर सहित, वापस करेगा। किसी शिक्षक को विश्राम दिवस संबंधी अवकाश तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि पूर्व में विश्राम दिवस संबंधी स्वीकृत अवकाश तथा आवेदित अवकाश में 6 वर्ष का समय व्यतीत न हो गया हो। शिक्षक संस्था में जहां विश्राम दिवस संबंधी अवकाश व्यतीत कर रहा है, शोध अध्ययेतावृत्ति या कोई अन्य पारिश्रमिक नियुक्ति स्वीकार कर सकता है। शिक्षक द्वारा ऐसे स्रोत से प्राप्त धनराशि अवकाश अवधि

के दौरान विश्वविद्यालय से प्राप्त अवकाश वेतन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

(ज) ड्यूटी अवकाश— शिक्षक को मुख्यालय से बाहर किसी अन्य संगठनों में पदीय बैठक में प्रतिभाग करने, परीक्षाएं आयोजित करने और अपनी व्यावसायिक क्षमता बढ़ाने के प्रयोजन से अन्य संस्थाओं/संगठनों में भ्रमण हेतु एक कलैण्डर वर्ष में 25 दिन के लिए ड्यूटी अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(झ) अध्ययन अवकाश— शिक्षकों को विश्वविद्यालय की दो वर्ष की सेवा के पश्चात् अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में परास्नातकीय/डॉक्टरेट कार्यक्रमों या अन्य किसी परास्नातकीय कार्यक्रम के अध्ययन के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा:—

(एक) यदि कोई शिक्षक गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (क्यू0आई0पी0)/संकाय सुधार कार्यक्रम (एस0आई0पी0) कार्यक्रम के अधीन सरकार या सरकारी संस्था से प्रायोजित या नामित किया जाता है या कुलपति की अनुमति प्राप्त करने के बाद किसी अभिकरण से छात्रवृत्ति /अध्येयतावृत्ति प्राप्त करता है, तो उसे अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। सरकार या सरकारी संस्था से प्रायोजित अभ्यर्थी के मामले में अध्ययन अवकाश की अवधि का वेतन और भत्ते विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त प्रतिस्थानी को देने के लिए वचन देगा। अवकाश सम्बन्धित स्कूल द्वारा प्रतिस्थानी के दिए बिना प्रार्थना करने पर अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। अध्ययन अवकाश पर गया शिक्षक अवधि का अनुमन्य पूर्ण वेतन मंहगाई भत्ता सहित प्राप्त करेगा। अध्ययन अवकाश पर जाने वाला शिक्षक कोई अध्ययेतावृत्ति, छात्रवृत्ति या अन्य यात्रा छूट अध्ययन अवकाश की अवधि में किसी बाह्य अभिकरण से स्वीकार कर सकता है।

(दो) कोई शिक्षक जो उपरोक्त खण्ड (एक) से आच्छादित नहीं होता है, वह अध्ययन अवकाश उसे अनुमन्य उपाजित अवकाश का पूर्ण वेतन या अर्द्ध वेतन पर मंहगाई भत्ता उपभोग कर अवकाश पर जा सकता है।

- (तीन) सामान्यतया अध्ययन अवकाश परास्नातकीय मामले में दो वर्ष और डाक्टरेट कार्यक्रम हेतु तीन वर्ष का होगा, जिसे कुलपति प्रत्येक मामले में आपवादिक परिस्थितियों में एक वर्ष के लिए बढ़ा सकता है।
- (चार) शिक्षक यह वचन देगा कि वह वापस आने पर अध्ययन अवकाश के एक वर्ष के लिए न्यूनतम दो वर्ष की सेवा देगा, अन्यथा वह विश्वविद्यालय द्वारा अवकाश अवधि के दौरान भुगतानित की गयी राशि के बराबर धनराशि अंशदायी भविष्य निधि की दर से आगणित कर विश्वविद्यालय को भुगतान करेगा।
- (पाँच) अध्ययन अवकाश में गया शिक्षक नियमित रूप से उसे अनुमन्य वार्षिक वेतनवृद्धि और विश्वविद्यालय अंशदान भवष्य निधि में विश्वविद्यालय को देने की अनुमति होगी।
- (छः) कोई शिक्षक अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में दो बार अध्ययन अवकाश का उपभोग कर सकता है।
- (ज) प्रतिनियुक्ति— प्रतिनियुक्ति राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप किसी कार्मिक/शिक्षक को अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत की जा सकती है।

37— भविष्य निधि (धारा 22)—

- (1) विश्वविद्यालय में सभी नियुक्तियां अंशदायी भविष्य निधि की योजना के अधीन की जाएंगी। पेंशन योजना के लिए केवल उन्हीं कर्मचारियों पर विचार किया जायेगा जो ऐसे संगठन से विश्वविद्यालय में पदभार ग्रहण करते समय राज्य सरकार के नियमों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि सहित पूर्व पेंशन योजना से आच्छदित थे।
- (2) सभी नई नियुक्तियां शासनादेश संख्या 21/XXIV(2) अंशदायी पेंशन योजना/2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 के प्राविधानों के अधीन की जाएंगी, कर्मचारी तदनुसार सेवानिवृत्तिक लाभ प्राप्त करेंगे।

38— सेवानिवृत्तिक उपादान—

विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्तिक उपादान विश्वविद्यालय द्वारा विहित शर्त एवं निर्बन्धन के अधीन अनुमन्य किया जाएगा।

39- यात्रा एवं अन्य भत्ते [धारा (च)]-

- (1) प्राधिकारियों और समितियों की बैठकों में प्रतिभाग करने और पदीय कार्यों के लिए यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता का भुगतान निवास स्थान से बाहर के लिए भुगतान किया जाएगा।
- (2) सदस्य को उसके मूल विभाग में अनुमन्यता श्रेणी के आधार पर लघुत्तम मार्ग द्वारा मील/आकस्मिक व्यय सहित सामान्य आवास या जहाँ से यात्रा प्रारम्भ की है, जो भी कम हो, से रेल/सड़क किराया भुगतान किया जाएगा। यदि सदस्य अपने सामान्य आवास से अपने सामान्य दायित्वों के कारण बाहर हो और वहाँ से यात्रा प्रारम्भ करता है, तो उसे यात्रा भत्ता दावा उसी अनुरूप होगा। आपवादिक मामलों में कुलपति उच्च श्रेणी या हवाई यात्रा की अनुमति दे सकता है।
- (3) टैक्सी और सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्रा करने के लिए उच्च श्रेणी की एक सीट तथा उसका आधा किराया स्थिति की अत्यावश्यकता पर और आपवादिक परिस्थितियों में कुलपति, परीक्षण, चयन समिति के सदस्य, विशिष्ट अतिथि या अन्य किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा विहित दरों पर यात्रा भत्ता का भुगतान विश्वविद्यालय हित में करने के लिए टैक्सी या स्वयं के वाहन से यात्रा करने की अनुमति दे सकता है।
- (4) कोई सदस्य विश्वविद्यालय की बैठक या पदीय कार्य के लिए सामान्य आवास से अन्य जाता है तो वह विराम भत्ता राज्य सरकार के समरूप स्तर के अधिकारी को अनुमन्य बैठक या पदीय कार्य के लिए बैठकों में प्रतिभाग करने के प्रत्येक दिन या पदीय कार्य के लिए विराम की अवधि के किसी प्रतिबंध के बिना बीच की छुट्टियों के लिए विराम भत्ता आहरित करेगा। यदि सदस्य विश्वविद्यालय की दो या दो से अधिक बैठकों में प्रतिभाग करता है और बैठकों की बीच 4 दिन का व्यवधान है तो उसे उपरोक्त दरों के बीच के दिनों के लिए भी विराम भत्ता का दावा करने की अनुमति दी जाएगी। बशर्ते वह बैठक या पदीय कार्य के स्थान पर ठहरता हो।
- (5) निम्नलिखित गैर पदीय सदस्य-

(क) सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी को जिसे सेवानिवृत्ति से पूर्व उसकी परिलब्धियों के आधार पर यात्रा भत्ता नियमों के अधीन अनुमन्य हो, और यदि यह सुविधा सरकार में ऐसे अधिकारियों को अद्यतन उपलब्ध हो,

(ख) किसी शासकीय और निजी संगठन के साथ सहयुक्त व्यक्ति जिसे ऐसी सुविधा उक्त संगठन के नियमों या आदेशों के अधीन अनुमन्य हो,

- (ग) कोई व्यक्ति जिसने अपनी निजी पदीय यात्रा में यह सुविधा ली हो या जिसने वातानुकूलित कोच में बीमारी, अधिक आयु या अंग शैथिल्य के कारण यात्रा की हो, को वातानुकूलित कोच या हवाई जहाज में यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है,
- (6) विश्वविद्यालय के अधिकारियों को छोड़कर प्राधिकरणों और समितियों के पदेन सदस्य ऐसे नियमों के अधीन अनुमन्य यात्रा भत्ता तथा विराम भत्ता का दावा करेंगे जैसा विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित किया जाए,
- (7) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को –
- (क) पदीय कार्यों के लिए की गई यात्रा हेतु सरकारी कर्मचारी के समान वेतनधारी के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में अवधारित भत्ता और विराम भत्ता अनुमन्य होगा
- (ख) विश्वविद्यालय के हित में कुलपति आपवादिक परिस्थितियों तथा अपरिहार्य स्थिति में हवाई यात्रा करने की अनुमति दे सकता है।
- (8) विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् ऐसे मामलों में जो इन परिनियमों से आच्छादित नहीं होंगे, यात्रा भत्ता दरें अवधारित कर सकती हैं।
- (9) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को दैनिक भत्ता विश्वविद्यालय द्वारा उसके कर्मचारियों को समय-समय पर अनुमोदित और परिवर्धित दर पर संदाय किया जाएगा।

40- डिग्री और डिप्लोमा का प्रदान किया जाना (धारा 24)-

- (1) परिनियम 16 में विवर्णित विश्वविद्यालय के स्कूलों में शोध, परास्नातक और स्नातक स्तर की डिग्री, मानद डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं शैक्षिक (विद्वत) परिषद् द्वारा प्रस्तावित तथा कार्य परिषद् के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा शर्तों के अध्याधीन संस्थित की जाएगी। डिग्रियों को विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में संस्थित किया जाएगा, इसके लिए अध्यादेशों/विनियमों में नियम विहित किए जायेंगे।
- (2) मानद उपाधियों को संस्थित किए जाने के लिए प्रस्ताव विश्वविद्यालय के कुलपति और संकायों के संकायाध्यक्षों (अधिष्ठाताओं) से गठित समिति करेगी। यदि शैक्षिक (विद्वत) परिषद् के समक्ष प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो पुष्टि के लिए कुलाधिपति को प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमोदनार्थ रखा जाएगा।

- (3) शैक्षिक (विद्वत्) परिषद् द्वारा निर्धारित अध्यादेशों/विनियमों में उपबंधित निबन्धनों के अधीन प्रदान की गई डिग्री विश्वविद्यालय वापस ले सकता है।
- (4) विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक डिग्री को प्रदान किए जाने के लिए अपेक्षाएं अध्यादेशों/विनियमों में विहित की जाएंगी।

41- अध्ययतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक तथा अन्य पुरस्कार-

कार्य परिषद् शैक्षिक (विद्वत्) परिषद् की संस्तुति पर अध्ययतावृत्ति छात्रवृत्ति, पदक तथा अन्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की नीति का अनुमोदन करेगी। ऐसा अनुमोदन स्वयं अथवा अध्ययन केन्द्र की संस्तुति पर दिया जा सकता है।

42- अध्यादेश (धारा 24) -

- (1) अधिनियम तथा इन परिनियमों में प्राविधानों के अध्याधीन विश्वविद्यालय अध्यादेशों में छात्रों के मध्य अनुशासन बनाए रखने तथा उनके छात्रावास में निवास, उदार शिक्षा के प्राविधान और संस्थाओं का निरीक्षण, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित प्रयोगशालाएं और इकाईयां और विश्वविद्यालय के शिक्षकों की संख्या, अर्हताएं, परिलब्धियां, प्रोत्साहन और शर्तें तथा निबन्धन उपबन्धित कर सकता है।
- (2) प्रवेश, नामांकन, परीक्षाएं, परीक्षकों की नियुक्तियां, शुल्क ढांचा और किसी अन्य छात्र या संकाय से संबंधित मामलों में कार्य परिषद् द्वारा शैक्षिक (विद्वत्) परिषद् की संस्तुति प्राप्त करने के उपरान्त अध्यादेश बनाए जा सकते हैं। कार्य परिषद् संस्तुतियों या उसके किसी भाग को शैक्षिक (विद्वत्) परिषद् के पुनर्विचार के लिए अपने स्तर पर बिना किसी उपान्तरण या संशोधन किए संदर्भित कर सकती है। यदि शैक्षिक (विद्वत्) परिषद् द्वारा उस पर पुनर्विचार कर लिया गया है तो शैक्षिक (विद्वत्) परिषद् की कोई संस्तुति दोबारा वापस लौटायी नहीं जायेगी।
- (3) अध्यादेश में संशोधन कार्य परिषद् द्वारा शैक्षिक (विद्वत्) परिषद् की संस्तुति पर किए जा सकते हैं।

43- विनियम (धारा 25)-

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत निम्नलिखित विनियम बना सकेंगे:-

- (क) बैठकों को आहूत करने, बैठकों की गणपूर्ति और बैठकों के अभिलेखों के रख-रखाव की प्रक्रिया,

- (ख) पाठ्यक्रमों से संबंधित विहित मामले/परिक्रियाएं और शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन से संबंधित मामले जो अधिनियम, परिनियम और अध्यादेशों में उपबन्धित नहीं हैं,
- (ग) उनके द्वारा नियुक्त प्राधिकारियों और समितियों से संबंधित मामले जो अधिनियम, परिनियमों, और अध्यादेशों में उपबन्धित नहीं हैं, और
- (घ) अन्य कोई मामले जो प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक समझे जाएं,
- (ङ) शैक्षिक विनियम कार्य परिषद् द्वारा स्वयं अथवा स्कूल संकाय परिषद्/परिषदों की संस्तुति पर संशोधित किए जा सकते हैं।

आज्ञा से

अजंली प्रसाद,
सचिव।

टिप्पणी – राजपत्र, दिनांक 09-5-2009, भाग-1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 05 शिक्षा/271-15-5-2009-100 (कम्प्यूटर/रीजियो)

शासनादेश सं० 1424/XXIV(4)/2019-01(28)/2016 दिनांक 06.09.2019 से संशोधित, विश्वविद्यालय कार्य परिषद की संस्तुति एवं कुलाधिपति के अनुमोदन (2502जी0एस0(शिक्षा)/c6-2/2011 दिनांक 03 अक्टूबर 2022) के पश्चात अंगीकृत दून विश्वविद्यालय की परिणियमावली के परिणियम संख्या 43 (1) में अंगीकृत में समावेशित/प्रतिस्थापित यूजीसी विनियम

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वरिष्ठ आचार्य, आचार्य और शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मियों के पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएं और ऐसे पदों से सम्बन्धित वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों का पुनरीक्षण।

43 (1)– व्याप्ति

इन विनियमों को उच्चतर शिक्षा में मानकों को बनाए रखने और वेतनमान की पुनरीक्षा के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद निदेशकों के संवर्गों में नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्तों हेतु न्यूनतम अर्हताओं के लिए जारी किया गया है।

(1.1) विश्वविद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षा के संबंध में विधाओं अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य, चिकित्सा, विशेष शिक्षा, कृषि, पशु चिकित्सा और संबद्ध क्षेत्रों तकनीकी शिक्षा, अध्यापक शिक्षा में शिक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संसद के संगत अधिनियम द्वारा स्थापित प्राधिकरणों द्वारा उच्चतर शिक्षा अथवा अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं के लिए समन्वय और मानकों का निर्धारण करने के लिए निर्धारित किए गए मानदंड अथवा मानक प्रचलित होंगे,

(i) बशर्ते कि, उस स्थिति में जहां किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा कोई मानदंड या मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं उस स्थिति में उपर्युक्त वि०अ०आ० विनियम उस समय तक लागू होंगे जब तक कि उपर्युक्त विनियामक प्राधिकारी द्वारा कोई मानक या मानदंड निर्धारित नहीं किए जाएं।

(ii) बशर्ते आगे कि, उन विधाओं जिनमें सहायक आचार्य और समतुल्य पदों पर नियुक्ति, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) के माध्यम से की गई हो, जिसका आयोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् जैसा भी मामला हो, द्वारा किया गया हो अथवा राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एसएलईटी) अथवा राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटी), जिन्हें उक्त प्रयोजनार्थ वि०अ०आ०

द्वारा प्रत्यायित निकायों द्वारा आयोजित किया गया हो उनमें एनईटी/एसईएलटी/एसईटी में अहर्ता प्राप्त करना के अतिरिक्त अपेक्षा होगी।

- (1.2) प्रत्येक विश्वविद्यालय अथवा सम विश्वविद्यालय संस्थान, जैसा भी मामला हो, यथाशीघ्र किंतु इन विनियमों के लागू होने के छह महीने के भीतर, इन्हें अभिशासित करने वाली संविधियों, अध्यादेश अथवा अन्य सांविधिक उपबंधों में संशोधन के लिए प्रभावी कदम उठाएगा, ताकि इन्हें उपर्युक्त विनियमों के अनुरूप लाया जा सके।

43 (2)– वेतनमान, वेतन निर्धारण और अधिवर्षता आयु।

- (2.0) वेतनमान, वेतन निर्धारण और अधिवर्षता की आयु भारत सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित वेतनमान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अंगीकार किया जायेगा।
- (2.1) राज्य सरकार के नियमों के तहत लागू किया जायेगा।
- (2.2) वेतनमान की पुनरीक्षा को लागू करने की तिथि दिनांक 01 जनवरी 2016 होगी।

43 (3)– नियुक्ति और अर्हताएं

- (3.1) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक आचार्य सह आचार्य और आचार्य के पदों और विश्वविद्यालयों में वरिष्ठ आचार्य के पदों पर सीधी भर्ती अखिल भारतीय विज्ञापन के माध्यम से गुणावगुण के आधार पर इन विनियमों के तहत किए गए उपबंधों के अंतर्गत विधिवत रूप से गठित चयन समिति द्वारा चयन के आधार पर किया जाएगा। इन उपबंधों को संबंधित विश्वविद्यालय की संविधियों/अध्यादेशों में सम्मिलित किया जाएगा। ऐसी समिति की संरचना इन विनियमों में विनिर्दिष्ट की गई शर्तों के अनुसार होगी।
- (3.2) सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, वरिष्ठ आचार्य, प्राचार्य, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकालयाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद उप निदेशक तथा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशक के पदों के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं वि0अ0आ0 द्वारा इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट होगी।
- (3.3)
- (1) जहां कहीं भी इन विनियमों में यह उपबंधित हो, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अथवा प्रत्यायित परीक्षा (राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा एसएलईटी/एसईटी) सहायक आचार्य और समकक्ष पदों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता बनी रहेगी, इसके अतिरिक्त,

एसएलईटी/एसईटी केवल संबंधित राज्य के विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थाओं में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम पात्रता के रूप में मान्य होगा:

बशर्ते कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2016 और समय-समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो, को किसी भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्थान में सहायक आचार्य या समकक्ष पद पर भर्ती या नियुक्ति के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की न्यूनतम पात्रता शर्त अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी।

बशर्ते आगे कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एमफिल/पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना, उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन मौजूदा अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के उपबन्धों द्वारा अभिशासित होगा। ऐसे सभी पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की अपेक्षाओं से छूट प्रदान की जाएगी:

- (क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई हो,
- (ख) पीएचडी शोध प्रबंध कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा प्रदान किया गया हो;
- (ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;
- (घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य को दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;
- (ङ) अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/आईसीएसएसआर /सीएसआईआर अथवा ऐसी की किसी एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित/सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो;

इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अधिप्रमाणित किया जाए।

- (II) ऐसे विषयों में एनईटी/एसएलईटी/ एसईटी को उत्तीर्ण करना अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक नहीं होगा जिनके लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी आयोजित नहीं की गई हो।
- 3.4 किसी भी स्तर पर शिक्षकों और अन्य समान संवर्गों की सीधी भर्ती के लिए निष्णात स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत (अथवा प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड, जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है) अनिवार्य योग्यताएं होगी।
- (I) सीधी भर्ती हेतु अर्हता के उद्देश्य और बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड के मूल्यांकन के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिब) (असंपन्न वर्ग)/निशक्त (क) दृष्टिहीनता अथवा निम्न दृश्यता; (ख) बधिर और कम सुनाई देना; (ग) लोकोमोटर निशक्ता साथ ही सेरेब्रल पालसी, कुष्ठ उपचारित, नाटापन, अम्लीय हमले के पीड़ित और मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी; (घ) विचार भ्रम (आटिज्म), बौद्धिक निशक्ता, विशिष्ट अधिगम निशक्ता और मानसिक अस्वस्थता; (ङ) गूंगापन- अंधापन सहित (क) से (घ) के तहत व्यक्तियों में से बहु निशक्ता) से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। 55 प्रतिशत के पात्रता अंकों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है उस स्थिति में किसी प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) और रियायत अंक प्रक्रिया सहित, यदि कोई हो तो, के आधार पर अर्हता अंक में उपर्युक्त उल्लिखित श्रेणियों के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुमेय है।
- 3.5 उन पीएचडी उपाधि धारक अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत (55 प्रतिशत अंक से कम करके 50 प्रतिशत अंक तक) की छूट प्रदान की जाएगी जिन्होंने दिनांक 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व निष्णात उपाधि प्राप्त की है।
- 3.6 एक संगत ग्रेड जिसे निष्णात स्तर पर 55 प्रतिशत के समरूप माना जाता है, जहां कहीं भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली लागू है, को भी वैध माना जाएगा।
- 3.7 आचार्य के पद पर नियुक्ति और पदोन्नति के लिए पीएचडी उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी।
- 3.8 सह आचार्य के पद पर नियुक्ति और पदोन्नति के लिए पीएचडी की उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी।
- 3.9 विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य (चयन ग्रेड/शैक्षणिक स्तर 12) के पद पर पदोन्नति के लिए पीएचडी की उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी।
- 3.10 दिनांक 01 जुलाई, 2021 से विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर सीधी भर्ती के लिए पीएचडी उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी।

3.11 अध्ययन अवकाश हेतु नियम राज्य में शिक्षकों हेतु निर्धारित अवकाश नियमों के अनुसार देय होगा।

3.12 अर्हताएं:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) के तहत मान्यता प्राप्त संघटित अथवा संबद्ध महाविद्यालयों सहित कोई विश्वविद्यालय अथवा कोई संस्थान अथवा उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष अथवा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशक के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होगी जब तक कि व्यक्ति इन विनियमों की अनुसूची 1 में उपर्युक्त पद के लिए यथा उपबंधित अर्हताओं के रूप में अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता हो।

43 (4)– सीधी भर्ती/अर्हतायें

(4.1) कला, वाणिज्य, मानविकी, शिक्षा, विधि, पुस्तकालय विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और पत्रकारिता तथा जनसम्पर्क विधाओं के लिये—

I. सहायक आचार्य:

पात्रता (क अथवा ख):

क.

- (i) किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित/संगत/संबद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंक के साथ निष्णात उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) अथवा किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि।
- (ii) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ-साथ अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) उत्तीर्ण की हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा यथा एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय-समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो, उन्हें एनईटी/एसएलईटी/एसईटी से छूट प्रदान की जाएगी;

बशर्त कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एमफिल/पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे। ऐसे सभी पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी;

- (क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो;
- (ख) पीएचडी शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो;
- (ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;
- (घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;
- (ङ.) अभ्यर्थी ने वि0अ0आ0/आईसीएसएसआर/सीएसआईआर अथवा ऐसी किसी एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित /सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो;

इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा सत्यापित किया जाए।

नोट: ऐसी विधाओं में निष्णात कार्यक्रमों के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी अर्हता अपेक्षित नहीं होगी जिनमें वि0अ0आ0, सीएसआईआर द्वारा एनईटी/एसएलईटी/एसईटी अथवा वि0अ0आ0 द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा जैसे एनईटी/एसएलईटी आदि आयोजित नहीं की जाती है।

अथवा

ख. (i) क्वैक्वेरेली सायमंड (क्यूएस) (ii) दि टाइम्स हॉयर एजुकेशन (टीएचई) अथवा (iii) शंघाई जियाओ टॉंग यूनिवर्सिटी (शंघाई) के विश्व के विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक रैंकिंग (एआरडब्ल्यू) द्वारा संपूर्ण विश्व में विश्वविद्यालय रैंकिंग में विश्व के शीर्षतम 500 रैंक वाले विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान (किसी भी समय) से पीएचडी की उपाधि निम्नलिखित में से किसी एक से प्राप्त की गई हो।

नोट : विश्वविद्यालयों लिए विनिर्दिष्ट परिशिष्ट II (तालिका 3क) और महाविद्यालयों के लिए विनिर्दिष्ट परिशिष्ट II (तालिका 3 ख) में यथा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राप्तांकों पर केवल साक्षात्कार

के लिए चुनने हेतु विचार किया जाएगा और चयन इस साक्षात्कार में किये गए प्रदर्शन पर आधारित होंगे।

II. सह आचार्य

अर्हता:

- (i) संबंधित/संबद्ध/संगत विधाओं में पीएचडी की उपाधि के साथ बेहतरीन शैक्षणिक रिकार्ड।
- (ii) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ निष्णात उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां, प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड)।
- (iii) किसी भी शैक्षणिक/अनुसंधान पद पर शिक्षण और/अथवा अनुसंधान में न्यूनतम आठ वर्षों का अनुभव जो किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा प्रत्यायित अनुसंधान संस्थान/उद्योग में सहायक आचार्य के समान हो तथा समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि०अ०आ० सूचीबद्ध जर्नलों में न्यूनतम सात प्रकाशनों का अनुभव और परिशिष्ट दो, तालिका 2 में दिए गए मानदंडों के अनुसार अनुसंधान में कुल पचहत्तर (75) अंकों के अनुसंधान प्राप्तांक।

III. आचार्य:

पात्रता (क अथवा ख);

क.

- (i) प्रतिष्ठित विद्वान जिसे संबंधित/संबद्ध/संगत विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त हो और उच्च गुणवत्ता वाला प्रकाशन कार्य किया हो तथा प्रकाशित कार्य के साक्ष्य के साथ-साथ अनुसंधान में सक्रिय रूप से शामिल हो तथा समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नलों में न्यूनतम दस वर्षों का प्रकाशन अनुभव एवं परिशिष्ट-II, तालिका दो में दिए गए मानदंडों के अनुसार कुल 120 शोध प्राप्तांक अर्जित किए हो।
- (ii) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सहायक आचार्य/सह आचार्य/आचार्य स्तर पर न्यूनतम दस वर्ष का शैक्षणिक अनुभव और/अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में समतुल्य स्तर पर शोध अनुभव के साथ सफल रूप से डाक्टोरल अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करने का साक्ष्य हो।

अथवा

ख. उपर्युक्त— क/उद्योग में शामिल नहीं किए गए किसी भी संस्थान से संगत/संबद्ध/अनुप्रयुक्त विधाओं में पीएचडी की उपाधि प्राप्त तथा दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित उत्कृष्ट पेशेवर जिन्होंने संबंधित/संबद्ध/संगत विषय में ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, बशर्ते कि उसे दस वर्षों के अनुभव हो।

(IV) विश्वविद्यालयों में वरिष्ठ आचार्य विश्वविद्यालय में आचार्यों की विद्यमान संस्वीकृत संख्या के 10 प्रतिशत संख्या तक सीधी भर्ती के माध्यम से विश्वविद्यालयों में वरिष्ठ आचार्य के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है।

पात्रता:

(i) कोई प्रतिष्ठित विद्वान जिसका समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान प्रकाशन का बेहतर निष्पादन रिकार्ड हो तथा इन विधाओं में महत्वपूर्ण अनुसंधान योगदान और अनुसंधान पर्यवेक्षण किया हो।

(ii) किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा राष्ट्रीय स्तर की किसी संस्थान में आचार्य के रूप में अथवा समतुल्य ग्रेड में शिक्षण/अनुसंधान का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो।

(iii) यह चयन शैक्षणिक उपलब्धियों, तीन प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञ, जो वरिष्ठ आचार्य के पद से कम न हों, अथवा कम से कम दस वर्ष के अनुभव वाले आचार्य की अनुकूल समीक्षा पर आधारित होगा।

(iv) यह चयन, समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 के सूचीबद्ध जर्नलों में सर्वोत्तम दस प्रकाशनों और वि0अ0आ0 विनियमों के अनुसार गठित चयन समिति के साथ सहक्रिया के साथ-साथ पिछले 10 वर्षों के दौरान उनकी पर्यवेक्षण में कम से कम दो अभ्यर्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदत्त किए जाने पर आधारित होगा।

4.2 संगीत परफार्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट्स और अन्य पराम्परागत भारतीय कला स्वरूपों यथा शिल्पकला आदि।

I. सहायक आचार्य:

पात्रता (क अथवा ख):

क.

- (i) किसी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय अथवा किसी समतुल्य उपाधि में कम से कम 55 प्रतिशत अंक के साथ निष्णात उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) ।
- (ii) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ-साथ अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) उत्तीर्ण की हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यापित इसी प्रकार की परीक्षा यथा एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय-समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुरूप पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो। बशर्त कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एमफिल/पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे। ऐसे सभी पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी;

(क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो;

(ख) पीएचडी शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो;

(ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

(ङ) अभ्यर्थी ने वि0अ0आ0/आईसीएसएसआर/सीएसआईआर अथवा ऐसी की किसी एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित/सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो;

नोट 1: इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा सत्यापित किया जाए।

नोट 2: ऐसी विधाओं में निष्णात कार्यक्रमों के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण किया जाना अपेक्षित नहीं होगी जिनमें वि0अ0आ0, सीएसआईआर द्वारा

एनईटी/एसएलईटी/एसईटी अथवा वि0अ0आ0 द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा जैसे एनईटी/एसएलईटी आदि आयोजित नहीं की जाती है।

अथवा

ख. एक परम्परागत अथवा पेशेवर कलाकार जिसकी संबंधित विधा में अत्यंत उल्लेखनीय पेशेवर उपलब्धि रही हो और जिन्हें स्नातक की उपाधि प्राप्त हो, जिन्होंने

- (i) प्रसिद्ध परम्परागत उस्ताद (दों)/कलाकारों के अधीन अध्ययन किया हो।
- (ii) वह आकाशवाणी/दूरदर्शन में 'क' श्रेणी का कलाकार रहा हो
- (iii) वह संबंधित विषय में तार्किक तर्कशक्ति के साथ व्याख्या करने की क्षमता रखता हो और
- (iv) संबंधित विधा में सदोहारण सिद्धांत पढ़ाने के लिये पर्याप्त ज्ञान से सम्पन्न हो।

II. सह आचार्य

पात्रता (क अथवा ख):

क.

- (i) डॉक्टरल उपाधि के साथ बेहतरीन शैक्षणिक रिकार्ड।
- (ii) उच्च पेशेवर मानक के साथ कार्य निष्पादन क्षमता।
- (iii) किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में शिक्षण कार्य में आठ वर्ष का अनुभव/अथवा किसी विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में अनुसंधान में आठ वर्ष का अनुभव जो कि किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सहायक आचार्य के समतुल्य हो।
- (iv) उन्होंने गुणवत्तापूर्ण प्रकाशन द्वारा यथा प्रमाणित संबंधित विषय में ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

अथवा

'ख'

एक परम्परागत अथवा पेशेवर कलाकार जिसकी संबंधित विषय में अत्यन्त उल्लेखनीय पेशेवर उपलब्धि हो और जिन्हें संबंधित विषय में निष्णात उपाधि प्राप्त की हो, जो:

- (i) आकाशवाणी/दूरदर्शन में 'क' श्रेणी का कलाकार रहा हो,
- (ii) विशेषज्ञता के क्षेत्र में आठ वर्ष की उल्लेखनीय कार्य निष्पादन उपलब्धि रही हो

- (iii) नये पाठ्यक्रम और/अथवा पाठ्यचर्या का तैयार करने में अनुभव रहा हो।
- (iv) प्रसिद्ध संस्थाओं में राष्ट्रीय स्तर की विचार गोष्ठियों/सम्मेलनों/संगीत गोष्ठियों में भाग लिया हो, और
- (v) वह सम्बन्धित विषय में तार्किक तर्कशक्ति के साथ व्याख्या करने की क्षमता रखता हो और उक्त विधा में सदोहारण सिद्धान्त पढ़ाने के लिये पर्याप्त ज्ञान से सम्पन्न हो।

III. आचार्य:

पात्रता (क अथवा ख);

क.

- (i) डॉक्टरल उपाधि के साथ प्रतिष्ठित विद्वान।
- (ii) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिक्षण और/अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में अनुसंधान में कम से कम दस वर्ष के अनुभव के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे हों।
- (iii) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि०अ०आ० सूचीबद्ध जर्नलों में न्यूनतम 6 अनुसंधान प्रकाशित हुये हों।
- (iv) परिशिष्ट II, तालिका-दो के अनुसार अनुसंधान में कुल 120 प्राप्तांक हों।

ख. एक पराम्परागत अथवा पेशेवर कलाकार जिसकी संबंधित विषय में अत्यन्त उल्लेखनीय पेशेवर उपलब्धि रही हो,

- (i) संबंधित विषय में निष्णात उपाधि धारक हो
- (ii) आकाशवाणी/दूरदर्शन में 'क' श्रेणी का कलाकार हो
- (iii) विशेषज्ञता के क्षेत्र में दस वर्ष का उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन की उपलब्धि रही हो
- (iv) विशेषज्ञता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो और अनुसंधान में मार्गदर्शन करने की क्षमता हो
- (v) राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं/संगीतगोष्ठियों में भागीदारी की हो और राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येयवृत्तियां प्राप्त की हों।
- (vi) सम्बन्धित विषय में तार्किक तर्कशक्ति के साथ व्याख्या करने की क्षमता रखता हो, और
- (vii) उक्त विधा में सदोहारण सिद्धान्त पढ़ाने के लिये पर्याप्त ज्ञान से सम्पन्न हो।

3 नाट्य विद्या

I. सहायक आचार्य

पात्रता (क अथवा ख)

क.

(i) भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय अथवा किसी समतुल्य उपाधि में कम से कम 55 प्रतिशत अंको के साथ निष्णात उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड)

(ii) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ-साथ अभ्यर्थी ने वि0अ0आ0 अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) उत्तीर्ण की हो अथवा वि0अ0आ0 द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा यथा एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिये न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय समय पर इनमें बाद में किये गये संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो।

बशर्ते आगे कि दिनांक 11 जुलाई 2009 से पूर्व एमफिल/पीएचडी कार्यक्रम के लिये पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे। ऐसे सभी पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिये एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी:

(क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो,

(ख) पीएचडी शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो,

(ग) पीएचडी के लिये अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गयी हो

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो,

(ङ) अभ्यर्थी ने वि0अ0आ0/सीएसआईआर/आईसीएसएसआर अथवा ऐसी किसी एजेन्सी द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित/सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो,

नोट 1: इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अधिप्रमाणित किया जाय।

नोट 2: ऐसी विधाओं में निष्णात कार्यक्रमों के लिये एनईटी/एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिसके लिये वि०अ०आ० सीएसआईआर द्वारा एनईटी/एसईटी अथवा वि०अ०आ० द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा (जैसे एसईएलटी/एसईटी) आयोजित नहीं की जाती है।

अथवा

ख. संबंधित विषय में उच्च उल्लेखनीय पेशेवर उपलब्धि रखने वाला कोई परम्परागत अथवा पेशेवर कलाकार जिसके पास:

- (i) भारतीय नाट्य विद्यालय अथवा भारत या विदेश में किसी अन्य ऐसी ही संस्थान से 55 प्रतिशत अंक (अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समान ग्रेड की उपाधि) के साथ तीन वर्षीय स्नातक की उपाधि/स्नातकोत्तर डिप्लोमा की उपाधि के साथ पेशेवर कलाकार रहा हो,
- (ii) साक्ष्य सहित क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पाँच वर्ष का नियमित रूप से प्रशासनीय कार्यनिष्पादन रहा हो और
- (iii) संबंधित विषय की ताकिक रूप से व्याख्या करने की क्षमता हो और संबंधित विधा में सोदाहरण सिद्धान्त पक्ष को पढ़ाने की पर्याप्त जानकारी हो।

II. सह आचार्य:

पात्रता (क अथवा ख)

क.

- (i) सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा उक्त उद्देश्य के लिये गठित की गयी विशेषज्ञ समिति द्वारा यथा अनुप्रमाणित उच्च पेशेवर मानकों के कार्य निष्पादन की क्षमता के साथ पीएचडी के उपाधि सहित उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकार्ड रहा हो।
- (ii) किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिक्षण कार्य में आठ वर्ष का अनुभव और/अथवा किसी विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में शोध कार्य में आठ वर्ष का अनुभव रहा हो जो कि किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सहायक आचार्य के समतुल्य हो।
- (iii) गुणवत्तायुक्त प्रकाशन द्वारा यथा प्रमाणित, सम्बन्धित विषय में ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया दिया हो।

अथवा

ख. एक परंपरागत अथवा पेशेवर कलाकार जिसकी संबंधित विषय में अत्यन्त उल्लेखनीय पेशेवर उपलब्धि रही हो और जिन्हें संबंधित विषय में निष्णात उपाधि प्राप्त की हो, जो:

- (i) रंगमंच/रेडियो/टेलीविजन में जाना माना कलाकार रहा हो,
- (ii) विशेषज्ञता के क्षेत्र में आठ वर्ष की उल्लेखनीय कार्य निष्पादन उपलब्धि रहा हो।
- (iii) नये पाठ्यक्रम और/अथवा पाठ्यचर्या का तैयार करने का अनुभव रहा हो,
- (iv) प्रख्यात संस्थाओं में संगोष्ठियों/सम्मेलनों में भाग लिया हो, और
- (v) वह संबंधित विषय में तार्किक तर्कशक्ति के साथ व्याख्या करने की क्षमता रखता हो और उक्त विधा में सोदाहरण सिद्धान्त पढ़ाने के लिये पर्याप्त ज्ञान से सम्पन्न हो।

III. आचार्य

पात्रता (क अथवा ख)

क.

डॉक्टरेट की उपाधि सहित अनुसंधान कार्य से सक्रिय रूप से जुड़े प्रख्यात विद्वान हो और विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन उपलब्धियों के साथ डॉक्टरेट स्तर पर अनुसंधान मार्गदर्शन प्रदान करने में अनुभव सहित विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में शिक्षण और/अथवा अनुसंधान में दस वर्ष का अनुभव हो साथ ही समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि०अ०वि० सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम 6 अनुसंधान प्रकाशन एवं परिशिष्ट-II तालिका-दो में दिये गये मानदंडों के अनुसार शोध में कुल 120 अंक प्राप्त किये हों।

अथवा

ख.

एक परंपरागत अथवा पेशेवर कलाकार जिसकी संबंधित विषय में अत्यन्त उल्लेखनीय पेशेवर उपलब्धि रही हो और जिनके पास

- (i) संगत विषय में निष्णात उपाधि हो,
- (ii) विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में दस वर्ष की उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन उपलब्धि रही हो,
- (iii) उत्कृष्टता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया हो,
- (iv) अनुसंधान में मार्गदर्शन प्रदान किया हो
- (v) राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भागीदारी की हो और /अथवा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येयवृत्तियां प्राप्त की हों,
- (vi) संबंधित विषय को तार्किक रूप से स्पष्ट करने की क्षमता हो,
- (vii) उक्त विषय में उदाहरणों सहित सिद्धान्त को पढ़ाने हेतु पर्याप्त ज्ञान हो।

4.4 योग विधा

I. सहायक आचार्य:

पात्रता (क अथवा ख):

क. भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय अथवा किसी समतुल्य उपाधि में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ योग अथवा अन्य संगत विषय में निष्णात उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो उस स्थिति में प्वाइंट स्केल में समतुल्यग्रेड) सहित अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड हो।

इसके साथ-साथ, उपयुक्त अर्हताओं को पूरा करने के अतिरिक्त अभ्यर्थी ने वि0अ0आ0 अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अथवा वि0अ0आ0 द्वारा प्रत्यायित ऐसी ही परीक्षा यथा एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण की हो अथवाजिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय-समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों जैसा भी मामला हो के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो।

अथवा

ख. किसी भी विषय में 55 प्रतिशत अंकों के साथ निष्णात उपाधि धारक (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो उस स्थिति में प्वाइंट स्केल में समान ग्रेड) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय-समय पर इनमें किए गए संशोधन, जैसा भी मामला हो, के अनुरूप योग में पीएचडी की उपाधि धारक हो।

नोट: योग के इस नए उभरते क्षेत्र में शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए यह विकल्प दिया गया है और यह इन विनियमों के अधिसूचना की तिथि से केवल पांच वर्षों के लिए ही मान्य होंगे।

II. सह आचार्य

- (i) सम्बन्धित विषय अथवा संगत विषय में पीएचडी उपाधि के साथ बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड।
- (ii) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो, उस स्थिति में प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) प्राप्त की हो।
- (iii) किसी शैक्षणिक/अनुसंधान पद जो किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा प्रत्यायित अनुसंधान संस्थान/उद्योग में सहायक आचार्य के समतुल्य हो में प्रकाशन कार्य के साक्ष्य सहित न्यूनतम आठ वर्ष का शिक्षण कार्य और/अथवा अनुसंधान का अनुभव हो और पुस्तकों के रूप में और/अथवा समकक्ष व्यक्ति समीक्षित

अनुसंधान/नीतिगत पत्रों अथवा वि०अ०आ० सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम सात प्रकाशन किए हों और परिशिष्ट-II तालिका- 2 में दिए गए मानदंडों के अनुसार कम से कम पचहत्तर (75) कुल अनुसंधान अंक प्राप्त किए हों।

III. आचार्य

पात्रता (क और ख):

क.

(i) संबद्ध/संगत विषय में पीएचडी की उपाधि के साथ प्रतिष्ठित विद्वान हो और उच्च गुणवत्ता वाला प्रकाशन कार्य किया हो, प्रकाशित कार्य के साक्ष्य के साथ अनुसंधान में सक्रिय रूप से जुड़े हों और प्रकाशन कार्य के साक्ष्य सहित पुस्तकों के रूप में और/ अथवा समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अनुसंधान/नीतिगत पत्रों अथवा वि०अ०आ० सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम दस प्रकाशन किए हों और परिशिष्ट-II तालिका- 2 में दिए गए मानदंडों के अनुसार कम से कम 120 कुल अनुसंधान अंक प्राप्त किए हों।

(ii) किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में न्यूनतम दस वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर की संस्थानों/उद्योगों में अनुसंधान का अनुभव हो और डॉक्टोरल अभ्यर्थियों का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन करने के साक्ष्य हों।

अथवा

ख. संगत क्षेत्र में प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त उत्कृष्ट पेशेवर जिन्होंने प्रत्यायन द्वारा अभिपुष्टि किए जाने वाले सम्बन्धित/संबद्ध/संगत विषय में ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

4.5 पेशे से जुड़े रोजगारपरक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं, अनुभव और अन्य पात्रता सम्बन्धी अपेक्षाएं

I. सहायक आचार्य:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाँइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ पेशेवर से जुड़े स्नातक उपाधि (बी.ओ.टी./बी.टी.एच.ओ./बी.ओ.टी.एच, पेशे से जुड़े रोगोपचारों में निष्णात उपाधि (एम.ओ.टी.एच./एम.टी.एच.ओ./एम.एससी. ओ.टी./एम.ओ.टी.)।

II. सह आचार्य:

(i) अनिवार्य: सहायक आचार्य के रूप में आठ वर्ष के अनुभव के साथ पेशे से जुड़े रोगोपचारों में निष्णात उपाधि (एम.ओ.टी./एमओ टी.एच./एम.ओ टी.एच./एम.एससी. ओ.टी.)।

- (ii) वांछनीय: वि०अ०आ० द्वारा मान्यता प्राप्त पेशे से जुड़े रोगोपचारों की किसी भी विधा में पीएचडी की उपाधि सहित उच्च योग्यता और समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि०अ०आ० सूचीबद्ध जर्नलों में उच्च मानकों का प्रकाशन कार्य।

III. आचार्य:

- (i) अनिवार्य: पेशे से जुड़े रोगोपचारों में कुल दस वर्ष के अनुभव के साथ पेशे से जुड़े रोगोपचारों में निष्णात उपाधि (एम.ओ. टीएच./एम.टीएच.ओ./एम.एससी. ओ.टी.)।
- (ii) वांछनीय: वि०अ०आ० द्वारा मान्यता प्राप्त पेशे से जुड़े रोगोपचारों की किसी विधा में पीएचडी की उपाधि जैसी उच्च अर्हता और समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि०अ०आ० सूचीबद्ध जर्नलों में उच्च मानकों का प्रकाशन कार्य।

IV. प्राचार्य/निदेशक/संकाय अध्यक्ष:

अनिवार्य: पंद्रह वर्षों के अनुभव के साथ पेशे से जुड़े रोगोपचारों में निष्णात उपाधि (एमओटी/ एम.टीएच.ओ. एम.ओटीएच./एम.एससी.ओ.टी.) जिसमें आचार्य (पेशे से जुड़े रोगोपचारों) के रूप में पांच वर्ष का अनुभव शामिल होगा।

नोट :

- (i) संस्थान के वरिष्ठतम आचार्य को प्राचार्य/निदेशक/संकाय अध्यक्ष के रूप में पदनामित किया जाएगा।
- (ii) वांछनीय: वि०अ०आ० द्वारा मान्यता प्राप्त पेशे से जुड़े रोगोपचारों की किसी विधा में पीएचडी की उपाधि जैसी उच्च अर्हता और समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि०अ०आ० सूचीबद्ध जर्नलों में उच्च मानक वाले प्रकाशन कार्य।

4.6 भौतिक चिकित्सा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं अनुभव और अन्य पात्रता संबंधी अपेक्षाएं।

I. सहायक आचार्य:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंक (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू है, वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ भौतिक चिकित्सा में स्नातक उपाधि (बीपी/टी./बी. टीएच./बी.पी.टीएच.), भौतिक चिकित्सा में निष्णात उपाधि (एम.एडं पी. टीएच./एम.टीएच. पीटी/एम. पी.टी.)।

II. सह आचार्य:

- (i) अनिवार्य। सहायक आचार्य के रूप में आठ वर्षों के अनुभव के साथ भौतिक चिकित्सा में निष्णात उपाधि (एम.पी.टी./एम.पी.टीएच./एम.टीएच.पी./एम.एससी.पी.टी.)।

- (ii) वांछनीय: वि०अ०आ० द्वारा मान्यता प्राप्त भौतिक चिकित्सा की किसी विधा में पीएचडी की उपाधि के रूप में उच्च अर्हता एवंसमकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि०अ०आ० सूचीबद्ध जर्नलों में उच्च मानक वाला प्रकाशन कार्य।

III. आचार्य:

अनिवार्य: दस वर्ष के अनुभव के साथ भौतिक चिकित्सा में निष्णात उपाधि (एम.पी.टी./एम.पी.टीएच./एम.टीएच.पी./एम.एससी.पी.टी.)।

वांछनीय:

- (i) वि०अ०आ० द्वारा किसी मान्यता प्राप्त भौतिक चिकित्सा विधा में पीएचडी जैसी उच्चतर शिक्षा, और
- (ii) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि०अ०आ० सूचीबद्ध जर्नलों में उच्च मानक वाला प्रकाशन कार्य।

IV. प्राचार्य/निदेशक/संकाय अध्यक्ष:

अनिवार्य: प्राचार्य (भौतिक चिकित्सा) के रूप में पांच वर्षों के अनुभव के साथ पंद्रह वर्षों के कुल अनुभव सहित भौतिक चिकित्सा में निष्णात उपाधि (एम. पी. टी./एम. टीएच. पी./एमपी.टीएच./एम.एससी.पी.टी.)।

नोट:

- (i) वरिष्ठतम आचार्य को प्राचार्य/निदेशक/संकाय अध्यक्ष के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाएगा।
- (ii) वांछनीय: वि०अ०आ० द्वारा मान्यता प्राप्त भौतिक चिकित्सा की किसी विधा में पीएचडी जैसी उच्च अर्हता और समकक्ष व्यक्ति समीक्षित तथा वि०अ०आ० सूचीबद्ध जर्नलों में उच्च मानक वाला प्रकाशन कार्य।
- 4.7 विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष, विश्वविद्यालय उप पुस्तकालयाध्यक्ष और विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताएं।
- (I) विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष

- (i) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ पुस्तकालय विज्ञान, सूचना विज्ञान अथवा प्रलेखन विज्ञान में निष्णात उपाधि अथवा समतुल्य पेशेवर उपाधि ।
- (ii) पुस्तकालय में कंप्यूटरीकरण के ज्ञान के साथ सतत् रूप से बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड ।
- (iii) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के अलावा, अभ्यर्थी को वि0अ0आ0, सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अथवा वि0अ0आ0 द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा यथा एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण करनी होगी अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक व प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 एवं समय-समय पर इनमें किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो:

बशर्ते कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पीएचडी की उपाधि के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी ऐसी उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के मौजूदा अध्यादेशों/उपविधियों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे तथा ऐसे पीएचडी अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त होगी:-

- (क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो;
- (ख) पीएचडी शोध प्रबंध का कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया गया हो;
- (ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;
- (घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हों जिनमें से कम से कम एक रेफर्ड जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;
- (ङ.) अभ्यर्थी ने वि0अ0आ0/आईसीएसएसआर/सीएसआईआर अथवा इसी प्रकार की एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित /सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किए हो ।

नोट

- (i) इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा ।

(ii) ऐसे निष्णात कार्यक्रमों में एनईटी/एसएलईटी/एसईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा जिसके लिए वि०अ०आ०, सीएसआईआर द्वारा एनईटी/एसएलईटी/एसईटी अथवा वि०अ०आ० द्वारा एसएलईटी/एसईटी जैसी परीक्षा आयोजित नहीं की जाती हो।

(II) विश्वविद्यालय उप पुस्तकालयाध्यक्ष

(i) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ पुस्तकालय विज्ञान/ सूचना विज्ञान/प्रलेखन विज्ञान में निष्णात उपाधि अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू है वहां प्वाइंट स्केल में समान ग्रेड प्राप्त किया हो।

(ii) सहायक विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में आठ वर्षों का अनुभव।

(iii) पुस्तकालय में आईसीटी के समेकन के साथ नवोन्मेषी पुस्तकालय सेवाओं का साक्ष्य।

(iv) पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखन विज्ञान/अभिलेख और पुस्तकालय की पांडुलिपियों का रखरखाव/कंप्यूटरीकरण करने में पीएचडी की उपाधि।

(III) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष

(i) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू है वहां प्वाइंट स्केल में समान ग्रेड के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखन विज्ञान में निष्णात उपाधि।

(ii) विश्वविद्यालय पुस्तकालय में किसी भी स्तर पर पुस्तकाध्यक्ष के रूप में कम से कम दस वर्षों का अनुभव अथवा पुस्तकालय विज्ञान में सहायक/सह आचार्य के रूप में दस वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा किसी महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष के रूप में दस वर्षों का अनुभव।

(iii) किसी पुस्तकालय में आईसीटी के समेकन के साथ नवोन्मेषी पुस्तकालय सेवाओं का साक्ष्य।

(iv) पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/ प्रलेखन/ अभिलेख और पांडुलिपि के रखरखाव में पीएचडी की उपाधि।

4.8 शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के सहायक निदेशकों एवं शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के उपनिदेशक तथा शारीरिक शिक्षा के निदेशक (डीपीईएस) के पदों के लिये न्यूनतम अर्हताएं।

- (I) विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के सहायक निदेशक तथा महाविद्यालय में शारीरिक खेलकूद के निदेशक

पात्रता (क अथवा ख)

क.

- (i) शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद विज्ञान अथवा शारीरिक विज्ञान में 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइन्ट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ निष्णात उपाधि।
- (ii) अंतर्विश्वविद्यालयी/अंतर्महाविद्यालयी प्रतिस्पर्धाओं अथवा राज्य और/अथवा राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने का रिकार्ड।
- (iii) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के अलावा, अभ्यर्थी को वि0अ0आ0 अथवा सीएसआईआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अथवा वि0अ0आ0 द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा यथा एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण करनी होगी अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिये न्यूनतम मानक व प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 एवं समय समय पर इनमें किये गये संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार शारीरिक शिक्षा और खेलकूद अथवा खेल विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गयी हो:

बशर्त कि दिनांक 11 जुलाई 2009 से पूर्व पीएचडी की उपाधि के लिये पंजीकृत अभ्यर्थी ऐसी उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के मौजूदा अध्यादेशों/उपविधियों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे तथा ऐसे पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिये एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त होगी:

- (क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गयी हो,
- (ख) पीएचडी शोध प्रबंध का कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया गया हो,
- (ग) पीएचडी के लिये अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गयी हो,
- (घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें कम से कम एक रेफर्ड जर्नल में प्रकाशित हुआ हो,
- (ङ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर सम्मेलन/विचार गोष्ठियों में कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो।

- नोट: (क) से (ड़) तक दी गयी इन शतों पर खरा उतरने के संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना होता है।
- (iv) ऐसी विधाओं में निष्णात कार्यक्रमों में एनईटी/एसएलईटी/एसईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा जिसके लिये वि0अ0आ0, सीएसआईआर, द्वारा एनईटी/एसएलईटी/एसईटी अथवा वि0अ0आ0 द्वारा एसएलईटी/एसईटी जैसी परीक्षा आयोजित नहीं की जाती हो।
- (v) इन विनियमों के अनुसार आयोजित की गयी शारीरिक फिटनेस परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

अथवा

ख.

एशियाई खेल अथवा राष्ट्रमण्डल खेलों में पदक विजेता, जिनके पास कम से कम स्नातकोत्तर स्तर की उपाधि हो।

(II) विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद उप निदेशक

पात्रता (क अथवा ख)

क.

- (i) शारीरिक शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद अथवा खेलकूद विज्ञान में पीएचडी की उपाधि। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय प्रणाली से इतर अभ्यर्थी जिनके पास संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि स्तर पर कम से कम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो, वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड)।
- (ii) विश्वविद्यालय सहायक डीपीईएस/महाविद्यालय डीपीईएस के रूप में आठ वर्ष का अनुभव हो।
- (iii) कम से कम दो सप्ताह की अवधि की प्रतिस्पर्धाएं और अनुशिक्षण शिविर के आयोजन सम्बन्धी साक्ष्य।
- (iv) राज्य/राष्ट्रीय/अंतरविश्वविद्यालयी/संयुक्त विश्वविद्यालय आदि जैसी प्रतिस्पर्धाओं के लिये दलों/ऐथलिटों द्वारा बेहतर निष्पादन कराने के साक्ष्य आदि।
- (v) इन विनियमों के अनुसार शारीरिक स्वस्थता जांच परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- अथवा

ख.

ओलम्पिक खेलों/विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप पदक विजेता, जिन्होंने कम से कम स्नातकोत्तर स्तर की उपाधि प्राप्त की हो।

(III) विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशक

- (i) शारीरिक शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद अथवा खेलकूद विज्ञान में पीएचडी धारक
- (ii) विश्वविद्यालय सहायक/उप डीपीईएस के रूप में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में कम से कम दस वर्ष का अनुभव अथवा महाविद्यालय डीपीईएस के रूप में दस वर्ष का अनुभव अथवा सहायक/सह आचार्य के रूप में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद अथवा खेलकूद विज्ञान में दस वर्ष का शिक्षण अनुभव हो।
- (iii) कम से कम दो सप्ताह की अवधि की प्रतियोगिता और अनुशिक्षण कैम्पों को आयोजित किये जाने का साक्ष्य।
- (iv) राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय/संयुक्त विश्वविद्यालय आदि जैसी प्रतियोगिताओं के लिये दलों/खिलाड़ियों द्वारा बेहतर निष्पादन कराये जाने संबंधी साक्ष्य।

(IV) शारीरिक स्वस्थता जांच संबंधी मानदंड

(क) इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन सभी अभ्यर्थी जिनके लिये शारीरिक स्वस्थता जांच कराना अपेक्षित है, उन्हें ऐसी जांच करवाने से पूर्व एक चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा कि वह ऐसी जांच करने के लिये चिकित्सीय रूप से स्वस्थ हैं।

(ख) उपरोक्त उपखण्ड (क) में वर्णित ऐसे प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी को निम्न मानक के अनुसार शारीरिक परीक्षा में भाग लेना अपेक्षित होगा।

पुरुषों के लिये मानक			
12 मिनट की दौड़/चलने की परीक्षा			
30 वर्ष तक	40 वर्ष तक	45 वर्ष तक	50 वर्ष तक
1800 मीटर	1500 मीटर	1200 मीटर	800 मीटर

महिलाओं के लिये मानक			
8 मिनट की दौड़/चलने की परीक्षा			
30 वर्ष तक	40 वर्ष तक	45 वर्ष तक	50 वर्ष तक
1000 मीटर	800 मीटर	600 मीटर	400 मीटर

43 (5)– चयन समिति का गठन और चयन प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देश

5.1 चयन समिति की संरचना

वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के तहत इसमें निम्न आंशिक संशोधन के साथ अंगीकृत किया जाता है:–

- 1– कुलपति, चयन हेतु गठित समिति का अध्यक्ष होगा।
- 2– कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद् जो आचार्य से कम नहीं होगा।
- 3–वि०वि० की विद्या परिषद/कार्य परिषद द्वारा तैयार किये गये विषय विशेषज्ञों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा नामित तीन विषय विशेषज्ञ,
- 4–संकाय का संकायाध्यक्ष,
- 5–सम्बन्धित विभाग का विभागाध्यक्ष
- 6–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/निशक्त श्रेणी से शिक्षाविद्, यदि इन श्रेणियों से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो तो, और यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो तो उसे कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा।

चयन प्रक्रिया में पूर्ण रूप से पारदर्शिता हेतु चयन समिति के विषय विशेषज्ञों का चयन विश्वविद्यालय की विद्या परिषद (Academic Council) के द्वारा प्रस्तावित कम से कम 7 विषय विशेषज्ञों, यथासम्भव राज्य के बाहर, की सूची में से तीन को कुलाधिपति के द्वारा नामित किया जायेगा।

यही प्रक्रिया सह आचार्य, आचार्य, वरिष्ठ आचार्य के स्तर पर होने वाली चयन प्रक्रिया में अपनायी जायेगी।

- 5.1 IX.** शारीरिक शिक्षा और खेल कूद के निदेशकों, उप-निदेशकों, सहायक निदेशकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, उप- पुस्तकालयाध्यक्षों और सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों के पद के लिए चयन समितियां क्रमशः आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य के समान ही होगी, और क्रमशः पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा और खेल कूद अथवा खेल कूद प्रशासन में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष/निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेल कूद, जैसा भी मामला हो, चयन समिति में एक विषय विशेषज्ञ के रूप में सम्बद्ध होंगे।

5.1 X पुस्तकालयाध्यक्षों/ शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में सहायक आचार्यों/ समकक्ष संवर्गों में एक स्तर से उच्चस्तर में सीएस प्रोन्नति के लिए "छानबीन-सह-मूल्यांकन समिति" निम्नानुसार होगी

क. विश्वविद्यालय शिक्षकों हेतु:

- (i) कुलपति या उनका नामिति समिति का अध्यक्ष होगा;
- (ii) संबंधित संकाय का संकाय अध्यक्ष;
- (iii) विभाग का प्रमुख/विद्यालय का अध्यक्ष और
- (iv) कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ के पैनलों में से संबंधित विषय में एक विषय विशेषज्ञ को नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

ग. विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष हेतु:

- (i) कुलपति समिति का अध्यक्ष होगा;
- (ii) संबंधित संकाय का संकाय अध्यक्ष;
- (iii) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का पुस्तकालयाध्यक्ष; और
- (iv) कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ पैनल से नामनिर्देशित एक विशेषज्ञ जो पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हो।

डं. विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा और खेलकूद सहायक निदेशक हेतु:

- (i) कुलपति समिति का अध्यक्ष होगा;
- (ii) संबंधित संकाय का संकाय अध्यक्ष;
- (iii) विश्वविद्यालय का शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशक; और
- (iv) विश्वविद्यालय प्रणाली से शारीरिक शिक्षा और खेलकूद प्रशासन में एक विशेषज्ञ जिसे कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ पैनल से नाम निर्देशित किया जायेगा।

5.3 चयन प्रक्रिया को चयन समिति की बैठक के दिन/ अंतिम दिन पूरा किया जायेगा, जहां कार्यवृत्त का रिकार्ड रखा जाएगा और साक्षात्कार में किए गए निष्पादन के आधार पर अनुशंसा की जाएगी जिस पर चयन समिति के सभी सदस्यगणों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

5.4 इन विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी चयन समितियों के लिए विभागाध्यक्ष/ प्रभारी शिक्षक को साक्षात्कार के रैंक/ पद के समकक्ष अथवा उच्चतर रैंक/ पद में होना चाहिए।

43 (6)– चयन प्रक्रिया

- (I) समग्र चयन प्रक्रिया में आवेदकों के गुण अवगुण और प्रत्ययपत्रों के विश्लेषण की पारदर्शी निष्पक्ष और विश्वसनीय पद्धति शामिल होगी जो विभिन्न संगत मानदंडों में अभ्यर्थी के निष्पादन को दिए गए महत्व और परिशिष्ट II, तालिका 1, 2, 3क, 3ख, 4 और 5 के आधार पर ग्रेडिंग प्रणाली प्रोफार्मा में उनके निष्पादन पर आधारित होगा।

प्रणाली को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए विश्वविद्यालय साक्षात्कार के स्तर पर शिक्षण और/अथवा शोध में नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में संगोष्ठियों अथवा कक्षा की स्थिति में व्याख्यान के माध्यम से शिक्षण की योग्यता और/अथवा अनुसंधान करने की योग्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है। जहां कहीं इन विनियमों में चयन समितियां निर्धारित की गई हैं, वहां यह प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष भर्ती और सीएएस प्रोन्नति, दोनों के लिए अपनाई जा सकती हैं।

- (II) विश्वविद्यालय विभागों और उनके संघटक महाविद्यालयों/ सम्बद्ध महाविद्यालयों; सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/स्वायत्त/निजी महाविद्यालयों के लिए संस्थानागत स्तर पर परिशिष्ट II, तालिका 1, 2, 3क, 3ख, 4 और 5 को समाहित करते हुए विश्वविद्यालय अपने संबंधित सांविधिक निकायों के माध्यम से चयन समितियों और चयन प्रक्रिया के लिए इन विनियमों को अपनाएगा ताकि सभी चयन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाई जा सके। विश्वविद्यालय इन विनियमों में विनिर्दिष्ट परिशिष्ट II, तालिका 1, 2, 3क, 3ख, 4 और 5 का कड़ाई से अनुपालन करते हुए शिक्षकों के लिए अपना स्व-मूल्यांकन- सह- निष्पादन समीक्षा प्रारूप तैयार कर सकती है।

- (III) यदि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए सभी चयन समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/महिलाओं/निशक्त श्रेणियों से संबंधित कोई अभ्यर्थी आवेदक है और यदि चयन समिति का कोई सदस्य उस श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो कुलपति द्वारा उक्त श्रेणियों से संबंध रखने वाले से शिक्षाविद् को नाम निर्देशित किया जाएगा और महाविद्यालय की स्थिति में उस विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा जिससे महाविद्यालय सम्बद्ध है। इस प्रयोजन हेतु इस प्रकार नामनिर्देशित शिक्षाविद् आवेदक के संवर्ग के स्तर से एक स्तर पर होगा और ऐसा नामिती सुनिश्चित करेगा कि चयन प्रक्रिया के दौरान उपर्युक्त श्रेणियों के संबंध में सरकार या संबंधित राज्य सरकार के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

(IV) आचार्य के चयन की प्रक्रिया में इन विनियमों के परिशिष्ट II, तालिका 1 और 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यांकन मानदंड और पद्धति संबंधी दिशा निर्देशों के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा आवेदन आमंत्रित करना तथा अभ्यर्थियों के महत्वपूर्ण प्रकाशनों का पुनर्मुद्रण करना शामिल है।

बशर्ते कि अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए प्रकाशन को अर्ह अवधि के दौरान प्रकाशित किया गया हो।

बशर्ते आगे कि साक्षात्कार किए जाने से पूर्व ऐसे प्रकाशनों को मूल्यांकन हेतु विषय विशेषज्ञों को उपलब्ध कराया जाएगा। विशेषज्ञ द्वारा किए गए प्रकाशनों के मूल्यांकन को चयन के निष्कर्षों को अंतिम रूप देते समय ध्यान में रखा जाएगा।

(V) ऐसे संकाय सदस्यों के चयन के मामले में जो शैक्षणिक सत्र के इतर हों उन्हें इन विनियमों के खंड 4.1 (III-ख), 4.2 (I-ख, II-ख, III-ख), 4.3 (I-ख, II-ख, III-ख) और 4.4 (III-ख) के तहत विचार किया जाएगा, विश्वविद्यालय के सांविधिक निकायों द्वारा स्पष्ट तथा पारदर्शी मानदंड तथा प्रक्रियाएं निर्धारित की जानी चाहिए ताकि उत्कृष्ट पेशेवर, जो विश्वविद्यालयी ज्ञान प्रणाली में पर्याप्त योगदान दे सकते हैं, उनका चयन किया जा सके।

(VI) कतिपय विधाओं/क्षेत्रों यथा संगीत तथा ललित कला, विजुअल आर्ट्स तथा परफार्मिंग आर्ट्स, शारीरिक शिक्षा तथा खेल कूद और पुस्तकालय जिनमें भिन्न स्वरूप के उत्तरदायित्व होते हैं वहां इन विनियमों में प्रत्येक पद के समक्ष उल्लिखित दायित्वों के स्वरूप पर बल दिया जाना चाहिए, जिस पर सीधी भर्ती तथा सीएएस प्रोन्नति, दोनों के लिए प्रारूप को विकसित करते हुए संस्थान द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए।

(VII) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) दिशानिर्देशों के अनुसार कुलपति की अध्यक्षता (विश्वविद्यालय के मामले में), प्राचार्य की अध्यक्षता में (महाविद्यालय के मामले में) सभी विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की स्थापना की जाएगी। आईक्यूएसी, संस्थान के लिए प्रलेखन तथा अभिलेखों का रखरखाव करने वाले प्रकोष्ठ के रूप में कार्य करेगा जिसमें इन विनियमों के आधार पर मूल्यांकन मानदंड और पद्धति प्रारूप विकसित करने में सहायता प्रदान करना शामिल है। जहां कहीं भी संभव हो आईक्यूएसी संस्थागत मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन मानदंड और पद्धति प्रारूप में प्रत्येक शिक्षक के संबंध में छात्र के मूल्यांकन के घटक को सम्मिलित नहीं

करते हएु एनएएसी दिशानिर्देशों के अनुसार छात्र प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित कर सकता है।

क. सीएएस प्रोन्नति हेतु महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के निष्पादन का मूल्यांकन निम्नवत मानदंडों पर आधारित है।

(i) शिक्षण-ज्ञान-अर्जन और मूल्यांकन: कक्षा में नियमित रूप से आने समय पर आने, कक्षा के समय में या उसके बाद सुधारात्मक शिक्षण और संशय मिटाने परामर्श और मार्गदर्शन, जब आवश्यकता हो तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में सहायता हेतु अतिरिक्त अध्यापन इत्यादि जैसे ध्यान देने योग्य संकेतकों पर आधारित शिक्षण की वचनबद्धता। परीक्षा और मूल्यांकन कार्यकलाप जैसे परीक्षा पर्यवेक्षण संबंधी कार्य करना, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र बनाना, परीक्षा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में भाग लेना, प्रत्येक शिक्षा सत्र से पहले घोषित अनुसूची के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन के लिए परीक्षाएं संचालित करना और वापस आकर कक्षा में उत्तर पर चर्चा करना।

(ii) शिक्षण और शोध कार्यकलापों से संबंधित व्यक्तिगत विकास प्रबोधन/पुनश्चर्या/कार्यविधि पाठ्यक्रम में भाग लेना एई-विषयवस्तु और एमओओसी का विकास, संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं का आयोजन/पत्र प्रस्तुत करना और सत्रों की अध्यक्षता करना/शोध परियोजनाओं को मार्गदर्शन प्रदान करना तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में शोध निष्कर्षों का प्रकाशन इत्यादि।

(iii) प्रशासनिक सहायता और छात्र सह-पाठ्यक्रम और पाठ्येत्तर कार्यकलापों में भागीदारी

ख. मूल्यांकन प्रक्रिया

सभी स्तरों पर सीएएस के अंतर्गत प्रोन्नति हेतु मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित त्रिस्तरीय प्रक्रिया की सिफारिश की जाती है:

पहला स्तर; विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक विनिर्दिष्ट प्रपत्र में वार्षिक स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को भेजेंगे जिसे परिशिष्ट 2 की तालिका 1 से 5 के आधार पर बनाया जाएगा। यह रिपोर्ट विनिर्दिष्ट समय में प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में भेजी जानी चाहिए। शिक्षक, वार्षिक स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट में किए गए दावों के लिए साक्ष्यों के दस्तावेज

उपलब्ध करवाएगा, जिसकी विभागाध्यक्ष/प्रभारी शिक्षक द्वारा पुष्टि की जाएगी। इसे विभागाध्यक्ष (एचओडी)/प्रभारी शिक्षक के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।

दूसरा स्तर; सीएएस के अंतर्गत प्रोन्नति हेतु आवश्यक वर्षों के अनुभव को पूर्ण किए जाने और नीचे दी गई अन्य अपेक्षाओं को पूरा किए जाने के उपरांत शिक्षक सीएएस के अंतर्गत आवेदन भेजेगा।

तीसरा स्तर; सीएएस प्रोन्नति, इन विनियमों के खण्ड 6.4 में दी गई पद्धति के अनुसार प्रदान की जाएगी।

6.1 मूल्यांकन मानदण्ड और कार्यविधि;

(क) परिशिष्ट II की तालिका 1 से 3, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में सहायक आचार्य/सह आचार्य/आचार्य/वरिष्ठ आचार्य के चयन के लिए लागू है।

(ख) परिशिष्ट II की तालिका 4, कॅरियर उन्नति योजना के अंतर्गत प्रोन्नति हेतु सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष और उप पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए लागू है; और

(ग) परिशिष्ट II की तालिका 5, कॅरियर उन्नति योजना के अंतर्गत प्रोन्नति हेतु शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद के सहायक निदेशक/महाविद्यालय निदेशक और शारीरिक शिक्षा और खेल कूद के उपनिदेशक/निदेशकों पर लागू है।

6.2 उक्त संवर्गों के लिये चयन समिति का गठन और चयन कार्यविधि तथा मूल्यांकन मानदण्ड और कार्यविधि चाहे वह सीधी भर्ती के लिये हो या कॅरियर उन्नति योजना के अन्तर्गत हो, इन विनियमों के अनुसार होंगे।

6.3 इन विनियमों के तहत कॅरियर उन्नति योजना के अन्तर्गत प्रोन्नतियों के लिए बनाए गए मानदण्ड, इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे। तथापि, विद्यमान विनियमों के अंतर्गत पहले से योग्य अथवा संभावित योग्यता प्राप्त करने वाले संकाय के सदस्यों की कठिनाई कम करने के लिए उन्हें विद्यमान विनियमों के अंतर्गत प्रोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए विकल्प दिया जा सकता है। यह विकल्प इन विनियमों की तिथि से केवल तीन वर्ष तक प्रयोग में लाया जा सकता है।

(I) सीएएस के अंतर्गत प्रोन्नति हेतु विचार किए जाने के इच्छुक शिक्षक को अंतिम तिथि से तीन माह के भीतर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को लिखित में यह भेजना होगा कि वह सीएएस के अंतर्गत सभी अर्हताओं को पूरा करता है/करती है और विश्वविद्यालय /महाविद्यालय को इन विनियमों में निर्धारित किए गए

मूल्यांकन मानदण्ड और कार्यविधि दिशानिर्देशों के अनुसार सभी जानकारियों सहित संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा विकसित मूल्यांकन मानदण्ड और कार्यविधि प्रपत्र में भेजेगा। सीएएस के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए चयन समिति की बैठकों के आयोजन में किसी विलंब से बचने के लिए विश्वविद्यालय/महाविद्यालय जांच /चयन की प्रक्रिया आरंभ कर सकता है और आवेदन प्राप्ति से 6 माह के भीतर प्रक्रिया को पूरा करेगा। इसके अतिरिक्त, इन विनियमों के अधिसूचित होने की तिथि को इन विनियमों में दिए गए सभी अन्य मानदण्डों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की कठिनाई को कम करने के लिए उन पर इन योग्यताओं को पूरा करने की तिथि के बाद से अथवा उस तिथि से प्रोन्नति हेतु विचार किया जा सकता है।

- (II) खण्ड 5.1 से 5.4 में यथा अंतर्विष्ट चयन समिति संबंधी विनिर्दिष्टताएं, संकाय पदों अथवा समकक्ष संवर्गों और सहायक आचार्य से सह आचार्य, सह आचार्य से आचार्य, आचार्य से वरिष्ठ आचार्य (विश्वविद्यालय में) और समकक्ष संवर्गों के लिए सभी सीधी भर्ती तथा कॅरियर उन्नति योजना के लिए लागू होंगे।
- (III) एक निचले स्तर से सहायक आचार्य के ऊंचे स्तर तक सीएएस प्रोन्नति, परिशिष्ट-II की तालिका 1 में विनिर्दिष्ट मानदण्डों को पालन करते हुए एक जांच एवं मूल्यांकन समिति के माध्यम से संचालित की जाएगी।
- (IV) सीएएस के अंतर्गत प्रोन्नति, स्थायी संस्वीकृत पदधारक शिक्षक की वैयक्तिक प्रोन्नति है, उसकी सेवानिवृत्ति पर उक्त पद मूल संवर्ग में वापस चला जाएगा।
- (V) सीएएस के अंतर्गत प्रोन्नति के लिए आवेदक शिक्षक, चयन समिति द्वारा विचार किए जाने वाली तिथि को विश्वविद्यालय /महाविद्यालय की सक्रिय सेवा और भूमिका में होना चाहिए।
- (VI) यदि अभ्यर्थी संगत मूल्यांकन मानदण्ड और कार्यविधि तालिकाओं में विनिर्दिष्ट न्यूनतम ग्रेडिंग को पूरा करता है/करती है तो वह आवेदन तथा अपेक्षित मूल्यांकन मानदण्ड और कार्यविधि प्रपत्र भेज कर प्रोन्नति हेतु मूल्यांकन के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा। वह ऐसा अंतिम तिथि से तीन माह पूर्व कर सकता है। विश्वविद्यालय योग्य अभ्यर्थी से सीएएस प्रोन्नति हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिए वर्ष में दो बार एक सामान्य परिपत्र निकालेगा।
- (i) यदि एक अभ्यर्थी न्यूनतम योग्यता अवधि की पूर्ति पर प्रोन्नति के लिए आवेदन करता है और सफल हो जाता है तो प्रोन्नति की तिथि, योग्यता की न्यूनतम अवधि को पूरा करने की तिथि होगी।

- (ii) तथापि, यदि अभ्यर्थी को पता चलता है कि वह परिशिष्ट- II की तालिकाओं 1,2,4 और 5 में यथा विनिर्दिष्ट सीएस प्रोन्नति मानदण्डों को बाद की तिथि में पूरा करेगा और वह उसी तिथि को आवेदन करता है तथा सफल हो जाता है तो उसकी प्रोन्नति उसके द्वारा योग्यता मानदण्ड पूरा करने की तिथि से प्रभावी होगी।
- (iii) ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम मूल्यांकन में सफल नहीं हो पाते हैं उनका पुनर्मूल्यांकन एक वर्ष के बाद ही किया जाएगा। जब ऐसे अभ्यर्थी बाद में किए गए मूल्यांकन में सफल हो जाते हैं तो उनकी प्रोन्नति अस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष मानी जाएगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2010 और इसमें बाद में किए गए संशोधनों के तहत कॅरियर उन्नति योजना के अंतर्गत एक अकादमिक स्तर/ग्रेड वेतन से दूसरे अकादमिक स्तर/ग्रेड वेतन में प्रोन्नतियों में लंबित मामलों के संबंध में शिक्षक को एक अकादमिक स्तर/ग्रेड वेतन से दूसरे अकादमिक स्तर/ग्रेड वेतन में प्रोन्नति पर विचार किए जाने हेतु निम्नानुसार विकल्प दिया जाएगा:

- (क) इन विनियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर एक अकादमिक स्तर/ग्रेड वेतन से दूसरे में प्रोन्नति हेतु सीएस के अनुसार विचार किया जाएगा।

अथवा

- (ख) एक अकादमिक स्तर/ग्रेड वेतन से दूसरे में प्रोन्नति हेतु संकाय के सदस्यों पर सीएस के अनुसार विचार किया जाएगा जो कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2010 तथा इसमें बाद में किए गए संशोधनों के तहत होगा जिसमें इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि तक अकादमिक निष्पादन संकेतकों (एपीआई) पर आधारित निष्पादन आधारित मूल्यांकन पद्धति (पीबीएस) की अर्हताओं में छूट प्रदान की जाएगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2010 और इसमें किए गए संशोधनों में यथा उपबंधित सीएस के अंतर्गत एक अकादमिक स्तर/ग्रेड वेतन से दूसरे में प्रोन्नति हेतु इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि

तक अकादमिक निष्पादन संकेतक (एपीआई) आधारित निष्पादन आधारित मूल्यांकन पद्धति (पीबीएएस) की अर्हताओं में छूट को नीचे परिभाषित किया गया है:

- (i) उपर्युक्त उल्लिखित परिशिष्ट- III में यथा परिभाषित श्रेणी- I के तहत प्राप्तांक से छूट के लिए उपर्युक्त उल्लिखित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2010 सहित संकाय और अन्य समतुल्य संवर्ग के पदों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शैक्षिकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) (चौथा संशोधन) संबंधी विनियम, 2016।
- (ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2010 में यथा उपबंधानुसार संकाय और अन्य समतुल्य संवर्ग के पदों के लिए श्रेणी- II तथा श्रेणी- III के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे जिसमें श्रेणी- II तथा श्रेणी- III पर एक साथ विचार कर निम्नवत समेकित न्यूनतम एपीआई प्राप्तांक अपेक्षाएं निम्नानुसार होंगी:

नोट : श्रेणी- II और श्रेणी-III के लिए पृथक रूप से कोई न्यूनतम एपीआई प्राप्तांक की अपेक्षाएं नहीं होंगी।

तालिका- क (विश्वविद्यालय विभागों में सीएएस के अंतर्गत शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए एपीआई संबंधी न्यूनतम अपेक्षाएं)

क्र. सं.	सहायक आचार्य (चरण 1/एजीपी 6000/- रूपए से चरण 2/एजीपी 7000/- रूपए)	सहायक आचार्य (चरण 2/एजीपी 7000/- रूपए से चरण 3/एजीपी 8000/- रूपए)	सहायक आचार्य (चरण 3/एजीपी 8000/- रूपए से सह आचार्य (चरण 4/एजीपी 9000/- रूपए)	सह आचार्य (चरण 4/एजीपी 9000/ रूपए से आचार्य (चरण 5/एजीपी 10000/ रूपए)

1	शोध और अकादमिक योगदान (श्रेणी -III)	40/मूल्यांकन अवधि	100/मूल्यांकन अवधि	90/मूल्यांकन अवधि	120/मूल्यांकन अवधि
2.	विशेषज्ञ मूल्यांकन पद्धति	छानबीन समिति	छानबीन समिति	चयन समिति	चयन समिति

तालिका -ग (विश्वविद्यालयों में सीएएस के अंतर्गत पुस्तकालय स्टॉफ की प्रोन्नति हेतु एपीआई संबंधी न्यूनतम अपेक्षाएँ):

क्र. सं.		सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (चरण 1/एजीपी 6000/- रूपए से चरण 2/एजीपी 7000/- रूपए)	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (चरण 2/एजीपी 7000/- रूपए) से चरण 3/एजीपी 8000/- रूपए)	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड /उप पुस्तकालयाध्यक्ष) (चरण 3/एजीपी 8000/- रूपए) से उप पुस्तकालयाध्यक्ष (चरण 4/एजीपी 9000/- रूपए)	उप पुस्तकालयाध्यक्ष (चरण 4/एजीपी 9000/- रूपए) से उप पुस्तकालयाध्यक्ष (चरण 5 एजीपी 10000/- रूपए)
1	शोध और अकादमिक योगदान (श्रेणी -III)	40/मूल्यांकन अवधि	100/मूल्यांकन अवधि	90/मूल्यांकन अवधि	120 प्रति मूल्यांकन अवधि
2.	विशेषज्ञ मूल्यांकन पद्धति	छानबीन समिति	छानबीन समिति	चयन समिति	चयन समिति

तालिका -ड (विश्वविद्यालय निदेशक /उप निदेशक/सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद की प्रोन्नति हेतु एपीआई संबंधी न्यूनतम अपेक्षाएँ) :

क्र. सं.		सहायक निदेशक (चरण 1/एजीपी 6000/- रूपए से चरण 2/एजीपी 7000 /- रूपए)	सहायक निदेशक (चरण 2/एजीपी 7000/- रूपए) से सहायक निदेशक (चयन ग्रेड)/ उप निदेशक (चरण 3/एजीपी 8000/- रूपए)	सहायक निदेशक (चयन ग्रेड /उप निदेशक (चरण 3/एजीपी 8000/- रूपए) से उप निदेशक (चरण 4/एजीपी 9000/- रूपए)	उप निदेशक (चरण 4/एजीपी 9000/- रूपए) से उप निदेशक (चरण 5 एजीपी 10000/- रूपए)
1	शोध और अकादमिक योगदान (श्रेणी -III)	40/मूल्यांकन अवधि	100/मूल्यांकन अवधि	90/मूल्यांकन अवधि	120/प्रति मूल्यांकन अवधि
2.	विशेषज्ञ मूल्यांकन पद्धति	छानबीन समिति	छानबीन समिति	चयन समिति	चयन समिति

VIII. सीएएस के अंतर्गत प्रोन्नतियों के लिए प्रबोधन पाठ्यक्रम और पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम की अपेक्षा दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक अनिवार्य नहीं होगी।

43 (7)- विश्वविद्यालय के सम कुलपति/ कुलपति का चयन:

7.1 सम कुलपति:

सम कुलपति की नियुक्ति कार्य परिषद द्वारा कुलपति की सिफारिशों के आधार पर की जायेगी।

7.2 यह कुलपति का विशेषाधिकार होगा कि वह एक व्यक्ति की कार्य परिषद में सम कुलपति के रूप में सिफारिश करे। सम कुलपति, कुलपति की कार्यालय अवधि समाप्त होने तक ही कार्यालय में बना रहेगा।

7.3 कुलपति

- (i) सर्वोच्च स्तर की सक्षमता, सत्यनिष्ठता, नैतिकता और संस्था के प्रति प्रतिबद्धता सम्पन्न व्यक्ति को ही कुलपति नियुक्त किया जाएगा। कुल पति के रूप में नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति एक विश्वविद्यालय में कम से कम 10 वर्षों के लिए आचार्य के रूप में अनुभव या एक प्रतिष्ठित अनुसंधान या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में शैक्षणिक नेतृत्व के साक्ष्य के साथ 10 वर्षों के अनुभव के साथ एक विशिष्ट शिक्षाविद् होना चाहिए।
- (ii) कुलपति के पद हेतु चयन एक खोज सह चयन समिति के माध्यम से एक सार्वजनिक अधिसूचना या नामांकन या प्रतिभा खोज प्रक्रिया या इनके संयोजन से 3 से 5 लोगों के एक पैनल द्वारा उचित पहचान के माध्यम से की जानी चाहिए। ऐसी खोज सह चयन समिति के सदस्य उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए और किसी भी प्रकार से संबंधित विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों से नहीं जुड़े होने चाहिए। पैनल तैयार करते समय खोज सह चयन समिति को शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश और विदेश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली से अवगत होने के अतिरिक्त शैक्षणिक और प्रशासनिक अभिशासन में पर्याप्त अनुभव को लिखित रूप में पैनल सहित कुलाध्यक्ष/कुलाधिपति को देना चाहिए। राज्यों, निजी और सम विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के चुनाव हेतु खोज सह चयन समिति के एक सदस्य का नामांकन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति द्वारा किया जाना चाहिए।
- (iii) कुलपति की नियुक्ति खोज सह चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए पैनल के नामों में से कुलाध्यक्ष/कुलाधिपति द्वारा की जाएगी।
- (iv) कुलपति का कार्यकाल उसकी मौजूदा सेवा अवधि का भाग बन जाएगा, जो उसे सेवा से जुड़े सभी लाभों हेतु पात्र बनाएगी।

किन्तु

चयन समिति एवं सर्व कमेटी का गठन विश्वविद्यालय के तत्सम्यक प्रचलित अधीनियम (Act) के प्राविधानों के अनुसार होगा।

43 (8)– इतर कार्यार्थ छुट्टी, अध्ययन छुट्टी, सबैटिकल छुट्टी तथा अन्य प्रकार की छुट्टियां

विश्वविद्यालय में कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान प्रचलित व्यवस्था के अनुसार होगी।

43 (9)– शोध संवर्धन अनुदान

संवर्धन अनुदान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों तथा वित्तीय संसाधनों के अनुसार दिया जायेगा।

43 (10)– सी.ए.एस. के अन्तर्गत सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु पिछली सेवाओं की गणना

सहायक आचार्य, सह-आचार्य, आचार्य अथवा किसी अन्य नाम से जाने वाले रूप में एक शिक्षक को सी.ए.एस. के अंतर्गत सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं अथवा सीएसआईआर, आईसीएआर, डीआरडीओ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आईसीएसएसआर, आईसीएचआर, आईसीएमआर और डीबीटी जैसे अन्य वैज्ञानिक/व्यावसायिक संगठनों में सहायक आचार्य, सह- आचार्य अथवा आचार्य अथवा समकक्ष के रूप में पूर्व नियमित सेवा, चाहे राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय हो, की गणना की जानी चाहिए, बशर्ते कि—

- (क) धारित पद की अनिवार्य अर्हताएं सहायक आचार्य, सह- आचार्य और आचार्य, जैसी भी स्थिति हो, के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई अर्हताओं से कम नहीं हो।
- (ख) पद, सहायक आचार्य (व्याख्याता), सह- आचार्य (उपाचार्य) और आचार्य के पद के रूप में समकक्ष श्रेणी का हो/था अथवा पूर्व संशोधित वेतनमान पर हो/ रहा हो।
- (ग) संबंधित सहायक आचार्य, सह- आचार्य और आचार्य के पास सहायक आचार्य, सह- आचार्य और आचार्य, जैसी भी स्थिति हो, के पद पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं होनी चाहिए।
- (घ) ऐसी नियुक्तियों के लिए संबंधित विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/केंद्र सरकार/संस्थानों की निर्धारित चयन प्रक्रिया के निर्धारित विनियमों के अनुसार पद भरे गए हो।
- (ङ) किसी भी अवधि के दौरान पूर्व नियुक्ति अतिथि व्याख्याता के रूप में नहीं की गई हो।
- (च) पूर्व तदर्थ अथवा अस्थाई अथवा परिशिष्ट सेवा (जिस भी नाम से इसे जाना जाए) की प्रत्यक्ष भर्ती और प्रोन्नति हेतु गणना की जाएगी, बशर्ते कि—
 - (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायक आचार्य, सह आचार्य और आचार्य, जैसी भी स्थिति हो, हेतु अनिवार्य अर्हताएं आवश्यक धारित पद की आवश्यक अर्हताओं से कम ना हो;

- (ii) पदधारी की नियुक्ति, विधिवत रूप से गठित चयन समिति/संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों पर की गई हो;
- (iii) पदधारी नियमित आधार पर नियुक्त किए गए सहायक आचार्य, सह-आचार्य और आचार्य, जैसी भी स्थिति हो, के मासिक सकल वेतन से कम कुल सकल परिलब्धियां प्राप्त नहीं कर रहे हों; और
- (छ) इस खंड के अंतर्गत विगत सेवा की गणना करते समय संस्थान (निजी/स्थानीय निकाय/सरकारी), जहां पूर्व सेवाएं प्रदान की गई थी, की प्रबंधन के स्वरूप का संदर्भ देते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

43 (11)– परिवीक्षा और स्थायीकरण की अवधि

- 11.1 किसी शिक्षक की परिवीक्षा की न्यूनतम अवधि एक वर्ष होगी, जिसे असंतोषजनक प्रदर्शन किए जाने की स्थिति में एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।
- 11.2 परिवीक्षाधीन शिक्षक को एक वर्ष के अंत में स्थायी किया जाएगा, जब तक कि पहले वर्ष की समाप्ति से पूर्व किसी विशिष्ट आदेश के माध्यम से इस अवधि को एक और वर्ष बढ़ाया ना गया हो।
- 11.3 इस विनियम के खंड 11 के अध्यक्षीन, विश्वविद्यालय/संबंधित संस्थान के लिए यह अनिवार्य है कि वह संतोषजनक कार्य निष्पादन के सत्यापन की यथावत प्रक्रिया के अनुसरण के पश्चात् परिवीक्षा अवधि के पूरा होने के 45 दिनों के भीतर पदधारियों को स्थायी करने का आदेश जारी करें।
- 11.4 परिवीक्षा और स्थायीकरण नियमों को केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी केवल भर्ती के शुरूआती चरण पर ही लागू किया जाएगा।
- 11.5 परिवीक्षा और स्थायीकरण संबंधी केंद्र सरकार के अन्य सभी नियम यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

43 (12)– शिक्षकों के पदों का सृजन और उनका भरा जाना

- 12.1 जहां तक व्यवहार्य हो, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों का पद पिरामिड क्रम में सृजित किए जाएं, उदाहरण के लिए, आचार्य के 1 पद के लिए प्रति विभाग सह-आचार्य के 2 पद और सहायक आचार्यों के चार पद होने चाहिए।

12.2 विश्वविद्यालय प्रणाली में सभी स्वीकृत/अनुमोदित पद तत्काल आधार पर भरे जाएंगे।

43 (13)– परिशिष्ट आधार पर नियुक्तियां

संविदा आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया/मानदेय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है।

गैस्ट फ़ैकल्टी का प्रतिवादन रुपये 500/- या समय-समय पर निर्धारित मानदेय दिया जायेगा।

43 (14)– शिक्षण दिवस

14.1 विश्वविद्यालय में कम से कम 180 शिक्षण दिवस होने चाहिये अर्थात् 6 दिनों के सप्ताह में न्यूनतम 30 सप्ताह के वास्तविक शिक्षण दिवस होने चाहिये। शेष दिनों में, 12 सप्ताह को प्रवेश और परीक्षा सम्बन्धी कार्यकलापों और सह-पाठ्यचर्या, खेलकूद, विश्वविद्यालय दिवस इत्यादि हेतु शिक्षणोत्तर दिवसों के लिये उपयोग किया जा सकता है। 08 सप्ताह प्रावकाश के लिये और 2 सप्ताह विभिन्न सरकारी छुट्टियों के लिये दिये जा सकते हैं। यदि विश्वविद्यालय पाँच दिवसीय प्रति सप्ताह की पद्धति अपनाता है तो सप्ताह की संख्या तदनुसार बढ़ाई जानी चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छह दिवसीय सप्ताह में 30 सप्ताह के समकक्ष वास्तविक शिक्षण कार्य किया जा सके।

उक्त उपबंध को निम्नानुसार संक्षेप में दिया गया है—

	सप्ताहों की संख्या: एक सप्ताह में छह दिवसीय पद्धति		सप्ताहों की संख्या: एक सप्ताह में छह दिवसीय पद्धति	
श्रेणीकरण	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय
शिक्षण और ज्ञान अर्जन प्रक्रिया	30 (180 दिन) सप्ताह	30 (180 दिन) सप्ताह	36 (180 दिन) सप्ताह	36 (180 दिन) सप्ताह
प्रवेश, परीक्षा और परीक्षा हेतु तैयारी	12	10	8	8
प्रावकाश	8	10	6	6
सरकारी छुट्टियां (शिक्षण दिनों में तदनुसार वृद्धि करना और उनका समायोजन करना)	2	2	2	2
कुल	52	52	52	52

14.2 प्रावकाश में दो सप्ताह की कमी करने के बदले विश्वविद्यालय के शिक्षकों के अर्जित आवकाश में उक्त अवधि की एक तिहाई दिनों के अवकाश की वृद्धि की जा सकती है। तथापि महाविद्यालय के पास एक वर्ष में कुल 10 सप्ताहों के प्रावकाश का विकल्प होगा और प्रावकाश के दौरान कार्य करने की आवश्यकता के अलावा किसी और कारण से अर्जित अवकाश नहीं दिया जायेगा जिसके लिये विश्वविद्यालय के शिक्षकों के मामले में अर्जित अवकाश के रूप में एक तिहाई अवधि की छुट्टी दी जायेगी।

14.2 प्रावकाश

जैसे कि राज्य सरकार के नियमों में शिक्षकों के लिये समय समय पर लागू हैं।

43 (15)– कार्यभार

15.1 पूर्णकालिक रोजगार के मामले में एक शिक्षा वर्ष में शिक्षकों का कार्यभार 30 कार्य सप्ताह (एक सौ अस्सी शिक्षण दिवस) के लिए एक सप्ताह में 40 घंटों से कम नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिक्षकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह कम से कम 5 घंटे प्रतिदिन उपलब्ध हो। शिक्षक अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों के मामले में सामुदायिक विकास/पाठ्येत्तर कार्यकलापों/पुस्तकालय परामर्श/शोध हेतु छात्रों को शिक्षित करने के लिए कम से कम प्रतिदिन दो घंटे (प्रति समन्वयक न्यूनतम 15 छात्र) और/अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के मामले में शोध हेतु प्रतिदिन कम से कम दो घंटे का समय देंगे जिसके लिए विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आवश्यक स्थान और अवसंरचना प्रदान की जाएगी। प्रत्यक्ष शिक्षण-ज्ञान अर्जन कार्यभार निम्नानुसार होना चाहिए :

सहायक आचार्य 16 घंटे प्रति सप्ताह

सह-आचार्य और आचार्य 14 घंटे प्रति सप्ताह

विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिये अनिवार्य उपलब्धता

प्रतिदिन कम से कम 5 घण्टे तथा सप्ताह में 40 घण्टे की अनिवार्य उपलब्धता।

43 (16)– सेवा करार और वरिष्ठता का निर्धारण करना

16.1 विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में भर्ती के समय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय और संबंधित शिक्षक के बीच एक सेवा करार होना चाहिए और उसकी एक प्रति रजिस्ट्रार/प्राचार्य के पास जमा की जाएगी। उक्त सेवा करार पर सरकारी प्रयोजनों के अनुसार विधिवत् रूप से स्टॉम्प ड्यूटी का भुगतान किया जाएगा।

16.2 खंड 6.0 और इसके उपखंडों और उपखंड 6.1 से 6.4 और इसमें अंतर्विष्ट सभी उपखण्ड तथा परिशिष्ट –II की तालिका 1 से 5 के अनुसार स्व- मूल्यांकन प्रविधियां, पात्रता के अनुसार, सेवा करार/रिकॉर्ड का भाग होंगी।

16.3 सी.ए.एस. के अन्तर्गत प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किये गये और प्रोन्नत किये गये शिक्षकों के बीच परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण

सी.ए.एस. के अन्तर्गत प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किये गये और प्रोन्नत किये गये शिक्षकों के बीच परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण कार्यभार सम्भालने की तिथि से किया जायेगा और सी.ए.एस. के अन्तर्गत प्रोन्नत किये गये शिक्षकों हेतु पात्रता की तिथि से किया जायेगा, जैसे कि संबंधित भर्तियों की चयन समिति की सिफारिशों में दर्शाया गया है। वरिष्ठता के अन्य सभी मामलों के लिये संबंधित केंद्र/राज्य सरकार के नियम और विनियम लागू होंगे।

43 (17)– व्यावसायिक आचार संहिता

I- शिक्षक और उनके दायित्व :

जो कोई भी शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाता है उसका दायित्व होता है कि वह पेशे के आदर्शों के अनुरूप अपने आचरण को बनाए रखे। एक शिक्षक लगातार अपने छात्रों और समाज की समीक्षा के अधीन रहता है। इसलिए, प्रत्येक शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी कथनी और करनी के बीच कोई भेद नहीं हो। पहले से ही निर्धारित शिक्षा के राष्ट्रीय आदर्शों और उन्हें छात्रों प्रसार करना एक शिक्षक का स्वयं का आदर्श होना चाहिए। इस व्यवसाय में आगे यह भी आवश्यक है कि शिक्षक शांत, धैर्यवान, मिलनसार और मैत्रीपूर्ण स्वभाव का हो।

एक शिक्षक को:

- (i) ऐसा जिम्मेदारी भरे आचरण तथा व्यवहार का पालन करना चाहिए जैसा कि समुदाय उनसे आशा करता है;
- (ii) उन्हें अपने निजी मामलों का इस प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए जो कि पेशे की प्रतिष्ठा के अनुरूप हों;
- (iii) अध्ययन और शोध के माध्यम से लगातार पेशेवर विकास जारी रखने चाहिए;
- (iv) ज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए पेशेवर बैठकों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों इत्यादि में भागीदारी करके मुक्त और मैत्रीपूर्ण विचार व्यक्त करने चाहिए;

- (v) पेशेवर संगठनों में सक्रिय सदस्यता को बनाए रखना चाहिए और उनके माध्यम से शिक्षा और व्यवसाय को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए;
- (vi) विवेकपूर्ण और समर्पण भावना से शिक्षण, अनुशिक्षण, प्रायोगिक ज्ञान, संगोष्ठियों और शोध कार्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना चाहिए;
- (vii) शिक्षण और शोध में साहित्य चोरी और अन्य अनैतिक व्यवहार में शामिल नहीं होना और उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए;
- (viii) विश्वविद्यालय के अधिनियम, साविधि और अध्यादेश का पालन करना चाहिए और विश्वविद्यालय के आदर्शों, विज्ञान, मिशन, सांस्कृतिक पद्धतियों और परंपराओं का आदर करना चाहिए;
- (ix) महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक दायित्वों से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन करने में सहायगे और सहायता प्रदान करना जैसे कि: प्रवेश हेतु आवेदनों का मूल्यांकन करने में सहायता करना, छात्रों को परामर्श देना और उनका मार्गदर्शन और निगरानी करना, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करने सहित विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में परीक्षाएं आयोजित कराने में सहायता करना; और
- (x) सामुदायिक सेवा सहित सह- पाठ्यचर्या और पाठ्येत्तर कार्यकलापों के विस्तार में भागीदारी करना।

II-शिक्षक और छात्र शिक्षक को:

- (i) छात्रों को विचार व्यक्त करने के उनके अधिकारों और प्रतिष्ठा का आदर करना चाहिए;
- (ii) छात्रों के धर्म, जाति, लिंग, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक गुणों को ध्यान में नहीं रखते हुए उनसे निष्पक्ष और बिना भेदभाव व्यवहार करना चाहिए;
- (iii) छात्रों के व्यवहार और क्षमताओं में अंतर को पहचानना और उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए;
- (iv) छात्रों को उनकी उपलब्धियों में और सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए और
सामुदायिक कल्याण में योगदान देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए;
- (v) छात्रों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति, जिज्ञासा का भाव और लोकतंत्र, देश भक्ति, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, और शांति के आदर्श का संचरण करना चाहिए;

- (vi) छात्रों के साथ सम्मान से व्यवहार करना और किसी भी कारण के लिए किसी के साथ प्रतिशोधात्मक तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए;
- (vii) गुणों का मूल्यांकन करने में छात्र की केवल उपलब्धियों पर ध्यान देना चाहिए;
- (viii) कक्षा के समय के बाद भी छात्रों के लिए स्वयं को उपलब्ध कराना और बिना किसी लाभ और पुरस्कार के छात्रों की सहायता और उनका मार्गदर्शन करना चाहिए;
- (ix) छात्रों में हमारी राष्ट्रीय विरासत और राष्ट्रीय उद्देश्यों की समझ विकसित करने में सहायता करना चाहिए;
- (x) अन्य छात्रों, सहपाठियों अथवा प्रशासन के विरुद्ध छात्रों को उत्तेजित नहीं करना चाहिए।

III- शिक्षक और सहयोगी शिक्षक को:

- (i) पेशे से जुड़े अन्य सदस्यों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह स्वयं के साथ पसंद करेंगे
- (ii) अन्य शिक्षकों के बारे में आदरपूर्वक बात करना और पेशेवर बेहतरी के लिए सहायता देनी चाहिए;
- (iii) उच्च प्राधिकारियों को सहयोगियों के विरुद्ध बेबुनियादी आरोप लगाने से बचना चाहिए;
- (iv) अपने पेशेवर प्रयासों में जाति, रंग, धर्म प्रजाति अथवा लिंग संबंधी विचारों को नहीं आने देना चाहिए।

IV-शिक्षक और प्राधिकारी शिक्षक :

- (i) लागू नियमों के अनुसार अपने व्यवसायिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और अपने स्वयं के संस्थागत निकाय और/अथवा व्यवसायिक संगठनों के माध्यम से पेशे के लिए घातक ऐसे नियम में परिवर्तन के लिए कदम उठाने के लिए पेशे के अनुकूल प्रक्रियाओं और पद्धतियों का पालन करना चाहिए जो पेशेवर हित में हो।
- (ii) निजी ट्यूशन और अनुशिक्षण कक्षाओं सहित अन्य कोई रोजगार और प्रतिबद्धता से दूर रहना चाहिए, जिससे उनके पेशेवर

उत्तरदायित्वों में हस्तक्षेप होने की संभावना हो;

- (iii) विभिन्न पदों का कार्यभार स्वीकार करके और उक्त पदों के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करके संस्था की नीति निर्माण में सहयोग करना;
- (iv) अन्य संस्थाओं की नीतियों के निर्माण में अपने संगठनों के माध्यम से सहयोग करके पदों को स्वीकार करेंगे;
- (v) पेशे की मर्यादा के अनुरूप और हितों के मद्देनजर संस्थाओं की बेहतरी हेतु प्राधिकरणों का सहयोग करना चाहिए;
- (vi) परिशिष्ट की शर्तों का अनुपालन करेंगे;
- (vii) किसी स्थिति में नियोजन में परिवर्तन से पहले उचित नोटिस देंगे और ऐसे नोटिस की अपेक्षा करेंगे;
- (viii) अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त छुट्टियां लेने से बचेंगे और जहां तक संभव हो सके शैक्षणिक सत्र को पूरा करने हेतु अपने विशेष उत्तरदायित्वों के मद्देनजर छुट्टी लेने से पूर्व सूचना प्रदान करेंगे।

शिक्षक और शिक्षणेत्तर कमर्चारी शिक्षकों को चाहिए कि:

- (i) प्रत्येक शैक्षणिक संस्था में सहयोग से किए जाने वाले कार्यों में शिक्षणेत्तर स्टाँफ को अपना सहकर्मि और समान सहयोगी समझे;
- (ii) शिक्षकों और शिक्षणेत्तर स्टाँफ से संबंधित संयुक्त स्टाँफ परिषदों के कार्य में सहायता करे।

VI. शिक्षक और अभिभावक शिक्षकों को चाहिए कि:

- (i) शिक्षक, निकायों और संगठनों के माध्यम से इस बात पर ध्यान देने का प्रयास करें कि संस्थाएं, अभिभावकों अपने विद्यार्थियों के साथ सम्पर्क बनाएं और जब कभी आवश्यक हो, अभिभावकों को उनकी निष्पादन रिपोर्ट भेजें और परस्पर विचारों के आदान- प्रदान और संस्था के लाभ हेतु इस प्रयोजनार्थ आयोजित बैठकों में अभिभावकों से भेंट करें।

VII . शिक्षक और समाज शिक्षकों को चाहिए कि:

- (i) इस बात को स्वीकार करें कि शिक्षा एक जन सेवा है और चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए प्रयास करें;
- (ii) समाज में शिक्षा में सुधार करने और समाज के नैतिक और बौद्धिक जीवन को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करें;

- (iii) सामाजिक समस्याओं से अवगत हों और ऐसी क्रियाकलापों में भाग लें जो समाज की प्रगति और कुल मिलाकर देश की प्रगति में सहायक हो;
- (iv) नागरिक के कर्तव्यों का निर्वहन करें, सामाजिक क्रियाकलापों में भाग ले और सरकारी सेवा के उत्तरदायित्वों में सहायता करें;
- (v) ऐसी क्रियाकलापों में भाग लेने से और सदस्य बनने या किसी भी प्रकार से सहायता करने से बचें जो विभिन्न समुदायों, धर्मों या भाषायी समूहों में नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देती हो, परंतु राष्ट्रीय एकता के लिए सक्रिय होकर कार्य करें।

कुलपति / सम-कुलपति / कुलदेशिक

कुलपति / सम-कुलपति / कुलदेशिक को चाहिए कि:

- (क) नीति निर्माण, प्रचालन प्रबंधन, मानव संसाधनों के इष्टतम उपयोग और पर्यावरण और धारणीयता के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रेरणादायक और प्रेरक मूल्य आधारित अकादमिक और कार्यकारी नेतृत्व प्रदान करे;
- (ख) पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी, सर्वोच्च नैतिकता के साथ आचरण करें और निर्णय लें, जोकि विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित में हो;
- (ग) कार्य और शिक्षा के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण, इष्टतम तथा, प्रभावी तरीके और कुशलता के साथ संसाधनों के प्रबंधन में विश्वविद्यालय की संपत्ति के प्रबंधक के रूप में कार्य करें;
- (घ) विश्वविद्यालय में सहयोग, साझा करने और परामर्श से कार्य करने की संस्कृति को बढ़ावा दें, जिससे अभिनव सोच और विचारों के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके;
- (ङ) ऐसी कार्य संस्कृति और नैतिकता को बढ़ावा देने का प्रयास करें जो राष्ट्र और समाज के लिए गुणवत्ता, व्यावसायिकता, संतुष्टि और सेवा प्रदान करे;
- (च) अपने पेशेवर प्रयासों के माध्यम से जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, लिंग पर विचार करने से बचें।

महाविद्यालय के प्राचार्य को चाहिए कि:

- (क) नीति निर्माण, प्रचालन प्रबंधन, मानव संसाधनों के इष्टतम उपयोग और पर्यावरण और धारणीयता के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रेरणादायक और प्रेरक मूल्य आधारित अकादमिक और कार्यकारी नेतृत्व प्रदान करे;

- (ख) पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी, सर्वोच्च नैतिकता के साथ आचरण करें और निर्णय लें, जो कि विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित में हो;
- (ग) कार्य और शिक्षा के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण, इष्टतम तथा, प्रभावी तरीके और कुशलता के साथ संसाधनों के प्रबंधन में विश्वविद्यालय की संपत्ति के प्रबंधक के रूप में कार्य करें;
- (घ) विश्वविद्यालय में सहयोग, साझा करने और परामर्श से कार्य करने की संस्कृति को बढ़ावा दें, जिससे अभिनव सोच और विचारों के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके;
- (ङ) ऐसी कार्य संस्कृति और नैतिकता को बढ़ावा देने का प्रयास करें जो राष्ट्र और समाज के लिए गुणवत्ता, व्यावसायिकता, संतुष्टि और सेवा प्रदान करे;
- (च) आचरण और व्यवहार में उत्तरदायित्वपूर्ण प्रतिमानों का अनुपालन करें जिसकी समाज उनसे अपेक्षा करता है;
- (छ) पेशे की गरिमा के अनुरूप अपने निजी मामलों का प्रबंधन करें;
- (ज) शिक्षण और शोध में साहित्य चोरी और अन्य अनैतिक व्यवहार में संलिप्त न हों और इसे हतोत्साहित करें;
- (झ) समाज सेवा सहित विस्तार, पाठ्यचर्या से जुड़े हुए और पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में भाग लें;
- ञ) अपने पेशेवर प्रयासों के माध्यम से जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, लिंग पर विचार करने से बचें।
- शारीरिक शिक्षा और खेल कूद निदेशक (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय)/पुस्तकाध्यक्ष (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय) को चाहिए कि वह:
- (क) आचरण और व्यवहार में उत्तरदायित्वपूर्ण प्रतिमानों का अनुपालन करें जिसकी समाज उनसे अपेक्षा करता है;
- (ख) पेशे की गरिमा के अनुरूप अपने निजी मामलों का प्रबंधन करें;
- (ग) शिक्षण और अनुसंधान में साहित्य चोरी और अन्य अनैतिक व्यवहार में संलिप्त न हों और इसे हतोत्साहित करें;
- (घ) समाज सेवा सहित विस्तार, पाठ्यचर्या से जुड़े हुए और पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में भाग लें;
- (ङ) अपने पेशेवर प्रयासों के माध्यम से जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, लिंग पर विचार करने से बचें।

43 (18.0)– उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में मानकों को बनाए रखना:

उच्चतर शिक्षा में शिक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें अपनाई जाएंगी:

- (i) इस संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों और उनमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों में पीएचडी उपाधि की मूल्यांकन प्रक्रिया समान होगी। विश्वविद्यालय उक्त विनियमों को इनकी अधिसूचना के पश्चात् छह माह के भीतर अंगीकार कर लेंगे।
- (ii) महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों को पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सेवारत शिक्षकों के लिए पीएचडी सीटों की अधिकता के संबंध में विशेष उपबंध किया जाएगा लेकिन, यदि विभाग में पात्र पर्यवेक्षकों के पास कोई रिक्त सीट उपलब्ध नहीं हो तो यह विभाग में उपलब्ध कुल सीटों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- (iii) शोध को बढ़ावा देने के लिए और देश की शोध उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के शिक्षकों को पीएचडी/एमफिल विद्वानों के पर्यवेक्षण की अनुमति प्रदान करेगा और आवश्यकता आधारित सुविधाएं प्रदान करेगा, तदनुसार विश्वविद्यालय अपनी उपविधियों तथा अध्यादेशों में संशोधन करेंगे।
- (iv) इन विनियमों में निर्धारित उपबंधों के अनुसार सभी नव-नियुक्त संकाय सदस्यों को मूल शोध/कंप्यूटेशनल सुविधा स्थापित करने के लिए एक बार प्रारम्भिक धन/स्टार्ट अप अनुदान/शोध अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- (v) इन विनियमों में निर्धारित उपबंधों के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति के लिए पीएचडी उपाधि को अनिवार्य अपेक्षा बनाया जाएगा।
- (vi) संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में समन्वय स्थापित करने के लिए शोध सुविधाओं, मानव संसाधन, कौशल, और अवसंरचना को साझा करने के लिए राज्य में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं के बीच अनुसंधान शोध कलस्टर सृजित किए जाएंगे।
- (vii) विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं में सभी नव-नियुक्त सहायक आचार्यों के लिए आदर्श रूप से उनके शैक्षिक कार्य शुरू करने से पहले एक माह का अनुगम कार्यक्रम शुरू किया जाएगा लेकिन यह नव-नियुक्त संकाय सदस्य की भर्ती के निश्चित रूप से एक वर्ष के भीतर हो जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानव संसाधन

विकास केन्द्रों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय/संस्थाएं, अध्यापक और शिक्षण से संबंधित पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (पीएमएमएमएमएमटीटी) योजना के माध्यम से अपने अधिदेश के अनुरूप उक्त अनुगम कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

- (viii) उक्त अनुगम कार्यक्रमों को सीएस आवश्यकताओं के प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानव संसाधन विकास केन्द्रों द्वारा पहले से चलाए जा रहे अभिविन्यास कार्यक्रमों के समतुल्य माना जाएगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थाएं अपने संकाय सदस्यों को चरणबद्ध तरीके से उक्त कार्यक्रमों में भेजेंगे जिससे शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न न हो।
- (ix) पीएमएमएमएमएमटीटी योजना के अंतर्गत स्कूल ऑफ एजुकेशन (एसओई), टीचिंग लर्निंग सेंटर्स (टीएलसी), फ़ैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर्स (एफडीसी), सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस इन साइंस एंड मेथमेटिक्स (सीईए सएमई), सेंटर्स फॉर अकैडमिक लीडरशिप एंड एजुकेशन मैनेजमेंट (सीएएलईएम) जैसे केन्द्रों द्वारा शिक्षकों/संकाय सदस्यों हेतु आयोजित एक सप्ताह से लेकर एक माह तक के सभी अल्पकालीन और दीर्घकालीन क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों के साथ-साथ अध्यापन-संबंधी और विषय-विशिष्ट क्षेत्रों के लिए आयोजित किए जा रहे संगोष्ठियों, कार्यशालाओं पर इन विनियमों के तहत कॅरियर उन्नति योजना में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने में विचार किया जाएगा।

43 (18)– अनुदान

- 18.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इन विनियमों में निर्धारित उपबंधों के अनुसार सभी नव-नियुक्त संकाय सदस्यों को मूल शोध/कंप्यूटेशनल सुविधा स्थापित करने के लिए एक बार राज्य सरकार द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति के अनुरूप शोध अनुदान प्रदान किया जा सकता है।

43 (19)–

- 19.1 पीएचडी./एम.फिल और अन्य उच्चतर शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार।

19.2 पदोन्नति

सरकारी विश्वविद्यालयों में संबंधित विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार तथा अन्य में यूजीसी के विनियम 2018 के अनुसार किन्तु राज्य सरकार के महाविद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार।

19.3 वेतन और भत्ते

भत्तों के संदर्भ में राज्य सरकार अपने नियमों के अनुरूप प्रदान करने की कार्यवाही करेगी।